खण्ड-184, अंक-7
शनिवार, 5 श्रावण, शक संवत् 1879
(27 जुलाई, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 184 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २७ जुलाई, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (२७८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अल्लाहबख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशफाकअली खां, श्री
असगरअली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कहैन्यालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री

जंगबहादुर सिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री

मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुरसिंह, श्री
शिवरामपांडेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी

श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्तपालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह कुंवर, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

जातीयता या दल विशेष से सम्बन्धित प्रश्नों के पूछने की मनाही

श्री अध्यक्ष––मैं एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूं। मेरे पास नेता सदन ने एक प्रश्न के सम्बन्ध में जिक्र किया है। वह शायद श्री इन्दुभूषण गुप्त जी ने यहां प्रश्न पूछा था कि राजनीतिक पीड़ित लोग जो नान-क्षायस्थ हैं सगड़ी तहसील में उनका नम्बर क्या है। तो उन्होंने मेरे पास फिगर्स भेज दीं कि कुल ३ वहां सगड़ी तहसील में हैं और बाकी १७ जिले भर में हैं। उसमें जो फार्म बना है उसमें किसी किस्म का यह पता ही नहीं लग सकता कि कौन किस जाति का है। यहां तक कि वह अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उसका भी जिक्र उसमें नहीं है। जिसने कि राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया और नुकसान उठाया देश के लिए, वह सब राजनीतिक पीड़ितों में आ जाते हैं चाहे किसी पार्टी को वह ज्वाइन कर लें। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो बहुत सी चीजें बड़ी नाजुक होती हैं, उनका जिक्र यहां नहीं होना चाहिए। देश में जनतंत्र को अगर कायम करना है तो जातीयता का मैं समझता हूं ज्यादा जिक्र यहां नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। यद्यपि डिप्टी स्पीकर साहब ने उसी वक्त यह आज्ञा दे दी थी कि प्रोसीडिंग्स में वह हिस्सा नहीं रहेगा। मैंने भी उस आज्ञा को स्वीकार करके प्रोसीडिंग्स से तो उसे हटा दिया, लेकिन आइन्दा भी मैं प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का जातीयता का जिक्र न हो तो अच्छा है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध), अधिनियम के अधीन प्रख्यापित आज्ञा*

श्रम मत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४०२५ (एस० टी०) /३६–ए––१३४ (एस० टी०)–५५, दिनांक १२ जुलाई, १९५७ द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापित राज्यपाल की आज्ञा को उक्त धारा की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि यह आज्ञा जो बतलाई गई है कि यह आज्ञा देना आवश्यक था तो यह क्या आज्ञा थी? इसे जरा स्पष्ट कर दिया जाय।

*छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष---यह तो मैं समझता हूं कि सबकी मेज पर रख दी गई होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो रखा है उसी में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की राय में जनसुरक्षा तथा सुविधा के लिए तथा लोक समाज के जीवन के लिए आवश्यक जन-व्यवस्था तथा पूर्तियों और सेवाओं को एवं उपायोजन को बनाये रखने के लिए संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १९४७ (सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ ई०) की धारा ३ के खंड (ख), (ग), (घ) तथा (छ) और धारा ६-क तथा ८ के अधीन १४ जुलाई, १९५४ ई० को एक आज्ञा देना आवश्यक था, वही आज्ञा जो है इसमें फिर दोहराई गई है। तो वह आज्ञा कौन-सी है, इसमें तो वह है ही नहीं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह आज्ञा वह है कि जिसके अनुसार हम अपने प्रदेश में निर्णायकों के स्थापना और संराधन की योजना प्रख्यापित करने के आदेशों को जारी करते हैं। कल भी मैंने इसके सिलसिले में आपके सामने अर्ज किया था कि इन आदेशों के जारी करने पर वह मेशीनरी बनती है जिसे हम पंचनिर्णायकों और संराधन समितियों के नाम से पुकारते हैं और इस मेशीनरी के अधीन जब कोई औद्योगिक विवाद होता है तो उस समय न मजदूर हड़ताल और न कोई मालिक ताला बन्द कर सकता है। उस आज्ञा को समय-समय निकालते रहते हैं, क्योंकि संशोधन भी उसमें होते रहते हैं और उस आज्ञा को जारी रखने की आवश्यकता है जिसके कारण आपके सम्मुख यह प्रस्तुत किया है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) *विधेयक, १९५७ (क्रमागत)†

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल मजदूरों के अधिकारों, देश की अर्थ व्यवस्था जो कि कारखानों के सम्बन्ध में है, के सम्बन्ध में कह रहा था। श्रीमन्, किसी भी देश के अन्दर सबसे पहले राष्ट्रीय चरित्र के होने की आवश्यकता है। जब हम यह देखें कि हमारे देश में जो मजदूर है उनके प्रति हमारी क्या कल्पना होनी चाहिये, उनके लिये हमारी क्या भावना हो और मजदूर यह समझे कि उसकी उद्योगपति के प्रति क्या भावना होनी चाहिये। जब इस भावना का एकीकरण होगा, जब लोग एकत्रित होंगे और अपने देश की उन्नति और अवनति के बारे में सोचने की क्षमता उनमें होगी उस समय हड़ताल या भूख-हड़ताल के सभी प्रश्न हमारे सामने से दूर हो जायेंगे।

श्रीमन्, मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपके द्वारा श्रम मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह संशोधन हमारे सामने रक्खा है उसमें सिर्फ एक पूंजीपति को ही प्रधानता दी है और जब हम यह देखते हैं कि मिलमालिक जिसका कि मिल चलता है उसमें श्रमिक जो काम करता है उसका उस मिल में कोई जोर नहीं होता। यह हमारी स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये कि जो भी नेट प्राफिट हो उसमें उद्योगपति को यह ध्यान रखना चाहिये कि वह इतनी पूंजी लें जिसमें वह अपना और अपने परिवार का काम चला सके और बाकी उन मजदूरों के लिये जो दिन रात उस कारखाने में काम करते हैं उनको हिस्से के तौर पर बांट देना चाहिये। यदि हम इसको भारतीय संस्कृति के आधार पर लें तो हमारे यहां इस प्रकार की प्रणाली थी कि जो भी गरीब व्यक्ति होते थे उनको उस समय के उद्योगपति अपनी आमदनी का दशांश बांट देते थे, लेकिन फिर यही प्रश्न आता है कि इस तरह की भावना चरित्र से बनती है। हमारे यहां बराबर यह देखा गया कि राष्ट्रीय चरित्र की कमी होती गई क्योंकि मिल मालिक अपने लिये ही सोचते हैं। इसी कारण मंत्री महोदय अच्छे अच्छे विधेयक लाये जैसे चकबन्दी। लेकिन जो कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं उन सबका कारण राष्ट्रीय चरित्र या सहयोग की भावना थी। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि

---

* ७ मई, १९५७ की कार्यवाही में छापा गया।

† २६ जुलाई, १९५७ से क्रमागत।

[श्री मलिखान सिंह]

मजदूर लोग कानून की प्रतिष्ठा के लिये भूख हड़ताल करते हैं और कानून की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये वह मालिकों से कहते हैं कि यदि तुम हमारे अधिकारों का हनन करोगे, हमारी मांगों को पूरा नहीं करोगे तो हम भूखे रहेंगे और मिल का काम बराबर करेंगे ऐसे भी उदाहरण आये हैं।

श्रीमन्, मैंने देखा है कि शिकोहाबाद में तीन दिन तक भूख हड़ताल रही। इसलिये कि वहां के मजदूर को मिल-मालिक ने निराधार करके निकाल दिया था तो वहां के मजदूरों ने मिल कर यह तय किया कि हम सब लोग भूखे रह कर काम करेंगे और मिल-मालिक को बतायेंगे कि हम आपके कार्य में रोड़े नहीं अटकाते हैं, हमारी मांगों को किसी तरह से पूरी करो। इसी तरह से फिरोजाबाद में १५ दिन तक भूख हड़ताल रही। जनता की इस भावना की सरकार को कद्र करनी चाहिये और सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उद्योग-पतियों को इस प्रकार की आज्ञा दे कि जो श्रमिक उनके साथ सहयोग की भावना बरतें उनकी मांगें आपस में बैठ कर तय कर दें।

श्रीमन्, आपके सामने जो संशोधन पेश हुआ है मैं उसके लिये सदन को बतला देना चाहता हूं कि जो समिति श्रम-मंत्री जी ने निर्धारित करने के लिये रखी है उसमें सब से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन सरकारी पक्ष का है। एक व्यक्ति तो हाई-कोर्ट का जज होना चाहिये वह रिटायर्ड हो या काम करता हो। चाहे उसको अध्यक्ष चुन लिया जाय हमें कोई एतराज नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई व्यक्ति लिया जाय तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम हमेशा देखते हैं कि सरकार अपने हाथ मजबूत करने के लिये और एकीकरण के लिये सदा तैयार रहती है, जैसे कि कोआपरेटिव सोसाईटीज में सबसे अधिक अधिकार रजिस्ट्रार को दिये हैं। इसी तरह से अपना पक्ष प्रबल करने के लिये तीन व्यक्ति सरकार के रखे हैं। वह नहीं होने चाहिये। इन तीन व्यक्तियों में एक तो मजदूर यूनियन का व्यक्ति लेना चाहिये ऐसा न हो कि सरकार अपने पक्ष की यूनियन को ले ले बल्कि जिस रजिस्टर्ड यूनियन के सब से ज्यादा सदस्य हों उनमें से एक व्यक्ति को लेना चाहिये जिससे उनका प्रतिनिधित्व वहां पहुंचे। वही प्रतिनिधि लेना चाहिये जो मजदूर पक्ष का हो।

इसके साथ ही साथ मैं आपके द्वारा श्रम मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो सदन में पेश किया गया है, ३० दिन की लिमिट रखी गई है जो बहुत ज्यादा है। इसको कम होना चाहिये। हालांकि मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये बोल रहा हूं लेकिन साथ ही मैं यह सजेशन (suggestion) दे रहा हूं कि १५ दिन की लिमिट रखी जाय तो अच्छा होगा। श्रीमन्, यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि सरकार अपने पक्ष को प्रबल करे और मजदूरों का शोषण करे। १९५२ में जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक उपस्थित हुआ था तो उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी खुश होकर उसका स्वागत करने के लिये तैयार थी।

श्री अध्यक्ष--यह असंगत हो रहा है। इसी विधेयक से संबंधित बातें कहिये।

श्री मलिखान सिंह--इसी सम्बन्ध में मैं आ रहा हूं। सबसे बड़ा प्रश्न उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूरों का है और मजदूर किसानों से संबंधित हैं। इसलिये जिस समय यह विधेयक पास हुआ था उस समय जनता ने क्या कल्पना की, मजदूरों ने क्या कल्पना की ? उस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सदन को बतला रहा हूं कि उस समय सोचा गया था कि जमींदारी खत्म हो गई, बीच के दलाल खत्म हो गये। लगान आधा होगा। हम जमीन के राजा बनेंगे और जो बीच का दलाल था उससे छुट्टी मिल जायगी, किन्तु वह नहीं हुआ। इसी तरह से मजदूरों में यह भावना होनी चाहिये कि वास्तव में उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है और वह इसके लिये रजामन्द हैं तो मुझे एतराज नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार को इसे जनता में

घुमाना चाहिये। यदि यह भी नहीं कर सकतो तो कम से कम प्रवर समिति को इसे सुपुर्द कर दे और उसको यह भी अधिकार हो कि इस विधेयक का जो भी रूप वह करना चाहे, करे। बस इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं जब पहली बार इस सदन में आया तो मानव स्वभाव के नाते चारों तरफ इस भवन की दीवालों पर देखा। तो उस तरफ 'नहीं' और इस तरफ 'हां' लिखा हुआ देखा। मैंने मित्रों से भी इसकी व्याख्या चाही कि इसके माने क्या होते हैं। थोड़ा अनुभव भी हुआ क्योंकि अब कुछ दिन हो भी चुके हैं, कई बिल भी बन चुके हैं। यह सदैव हां और सदैव नहीं की परम्परा अच्छी नहीं है और न इस देश के लिये अच्छी है। हम तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो हां भी कहेंगे और नहीं भी कहेंगे। हम देखते हैं कि सरकारी सदस्य टीका-टिप्पणी भी करते हैं और मैंने भी पिछली बार टीका की थी, लेकिन उस पक्ष से देखा कि सदैव 'नहीं' है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह नहीं वाली परम्परा अच्छी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--यह तो असंगत सी बात है क्योंकि अगर यह कहा जाय कि कौन किस तरफ वोट करता है तो बड़ी मुश्किल हो जायगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन्, मैं तो प्रसंगवश यह बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि अंग्रेजी की एक कहावत है कि जो शीशे के घर में रहता हो उसे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिये।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--मैं देखता हूं कि यह छोटा सा विधेयक और निर्दोष सा विधेयक है और उस पर इतना वादविवाद चले इसीलिये प्रसंगवश इतनी बात कह दी।

अब जो इसके छोटे-मोटे पहलू हैं उन पर अपना मत प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमन्, विनोबा जी ने अभी हाल में कहा था कि हम लोग संघ और तन्त्र में संघ यानी संगठन को अधिक महत्व देने लगे हैं और जो उसकी स्पिरिट है उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमने जब मजदूर ट्रेड यूनियन्स बनाईं तो उसका मतलब यह था कि जो एम्प्लायर और एम्प्लाई हैं उसमें सद्भावना हो जिससे अधिक उत्पादन हो सके। लेकिन एकांगी बात हो जाती है केवल संगठन पर अधिक जोर देने लगते हैं और जो उसका एसेंस है, जो उसकी स्पिरिट है उसका ध्यान नहीं होता। उधर से श्रीमन् यही हुआ जिससे एम्प्लायर और एम्प्लाई दोनों ठीक से चल सकें और देश का उत्पादन बढ़ सके इस भावना से यह विधेयक लाया गया है।

अब दूसरी बात यह है कि इस विधेयक के दूसरे पृष्ठ पर नियम ३ के अनुसार जो आफिसर्स ट्रिब्यूनल्स वगैरह के जजेज रखे जायेंगे उनके करेक्टर रोल्स मंगाये जायेंगे। और उनके बारे में अच्छी तरह से निर्णय होने के बाद तब वे जज मुकर्रर किये जायं, मैं इतना ही नहीं नियम २० में लिखा है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे तो उसमें दो आदमी असेसर्स नियुक्त कर सकती है किसी झगड़े को तय करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि जजेज इंपार्शियल हों, उसका डिस्पोजल स्पीडी हो। क्योंकि हमारी यह शिकायत रही है कि फैसलों में देर होती है और "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" (Justice delayed is Justice denied), इसलिये जस्टिस में देर नहीं होनी चाहिये। तीसरी धारा में लिखा हुआ है कि उनका पूरा विवरण जानने के बाद यह तय होगा कि कौन जजेज होंगे और उसके बाद भी अगर कहीं गड़बड़ हो तो २०वें क्लाज में लिखा है कि उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करें कि असेसर्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

रखे जायं। इसके साथ ही साथ यह भी दूसरे में लिखा है कि यदि सरकार पहले से ही पुनरीक्षण कराने के निर्देश न दे तो प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षित करायेगी। इसके उपरान्त वह यह भी देखते रहेंगे कि जजेज ठीक हैं या नहीं।

इसके बाद स्थान और तिथि के बारे में है। इस सम्बन्ध में क्लाज ५ के सबसेक्शन (२) में स्पष्ट है कि १५ दिन के अन्दर ट्रिब्यूनल पार्टीज को सम्मन जारी करेगा और साथ ही वह दोनों पार्टीज से पूछ कर समय और स्थान निश्चित करेगा, यह नहीं कि लखनऊ आयें या इलाहाबाद जायें। वह इस सम्बन्ध में अपना निश्चय लेगा और केसेज शुरू हो जायंगे। रूल ६ में दिया है कि अगर इसी सिलसिले में और झगड़े उठें और कोई पक्ष अगर चाहे तो अपनी दरख्वास्त देकर उसको बढ़ा-घटा सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति संघ की ओर से अपना केस न करना चाहे, वह अपना केस यूनियन से कराना चाहता है तो उसके लिये पेज ४, क्लाज ८ पर है कि वह रिप्रेजेन्टेशन कर सकता है अपनी यूनियन की तरफ से और मालिकों को भी यह अधिकार है कि वह अपनी किसी पार्टनर की तरफ से उसके द्वारा प्रबन्ध करा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी दिया हुआ है कि अगर खर्चा कोर्ट का न इकट्ठा हो सके तो वह पार्टवाइज जमा हो सकता है। कई किस्तों में खर्चा जमा किया जा सकता है, उसके कारण मुकदमा रुका नहीं रहेगा। इतनी अधिक सुविधायें इसमें मजदूरों को दी गई हैं। जैसी परिस्थिति पैदा हुई है, होती है उसको सुलझाने के लिये, उनके अनुसार यह बिल लाया गया है।

पहले १९५४ में सहजनवां मिल में झगड़ा पड़ा और वहां किसी एक नेता ने मजदूरों का संचालन किया। मिलमालिकों ने कहा कि हम मिल नहीं चलायेंगे और नतीजा यह हुआ कि हजारों मजदूर बेकार हो गये। तो इस तरह की परिस्थिति से उत्पादन घटेगा और बेकारी बढ़ेगी।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, वक्ता महोदय इस बिल के सम्बन्ध में जो कुछ कह रहे थे उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जो संशोधन विधेयक है उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, वह ओरीजिनल बिल के सेक्शन्स की बात कर रहे हैं, जैसे किस्तों में रुपया जमा करने की बात या और दूसरी बातें हैं।

श्री अध्यक्ष—आप यह कहना चाह रहे हैं कि वह असंगत हो रहे हैं। (श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी से) आप अपने भाषण को इसी विधेयक पर सीमित रखें, इसके सिद्धान्तों पर, और आगे भाषण में इधर-उधर न जायं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरे पास वह बिल मौजूद है और उसी सिलसिले में मैंने क्लाजेज देख कर अपनी राय जाहिर की। माननीय सदस्य.....

श्री अध्यक्ष—इसमें माननीय सदस्य की बात नहीं है। यह प्रश्न उठाने का तो सबका अधिकार है कि जो विधेयक है उसी पर सीमित रहें। अगर बहस बढ़ जायगी तो सभी उस प्रकार बहस करेंगे और सदन का समय नष्ट होगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह चर्चा कर रहा था कि जब हमारा लक्ष्य यह है कि हमें मजदूरों और मिलमालिकों के बीच में सामन्जस्य स्थापित करना है.....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा भी एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—प्वाइंट आफ आर्डर पहले हो चुका है। अब आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर एक व्यवस्था के सम्बन्ध में है इस कारण मैं उठाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, एक दफा प्वाइंट आफ आर्डर उठ चुका है और मैं उस पर अपना निर्णय दे चुका हूँ। अब फिर से जब वह अपना भाषण शुरू करें और उसमें आप को कोई नुक्स दिखाई दे तब आप प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा सकते हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरी राय में इन रूल्स में दोनों के पक्ष की बात इतनी स्पष्ट दी हुई है कि किसी किस्म के झगड़े की गुंजायश नहीं रहती। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक उपस्थित किया है उसमें मैं कोई असंगत बात नहीं पाता हूँ। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री मोती लाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं यह प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूँ कि जिस विषय पर इस समय सदन में विवाद हो रहा है उस विषय के न तो यहां पर कोई मन्त्री उपस्थित हैं और न कोई उपमन्त्री ही हैं। मैं समझता हूँ यह हाउस का अपमान है।

श्री अध्यक्ष—श्री बहुगुणा जी तो मौजूद हैं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं अपने को इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य, कारण और सिद्धान्तों से असहमत पाता हूँ। मैं अपना यह भी कर्तव्य समझता हूँ कि माननीय भगवती सिंह जी के संशोधन का समर्थन करूँ। इस बिल के उद्देश्य और कारणों में लिखा गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल मात्र कुछ शाब्दिक संशोधन करना है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के एक भूतपूर्व मेम्बर को एक समिति का सदस्य बनाना है जो कि पूर्व पारित संशोधन विधेयक के अनुसार इस सदन ने स्वीकृत किया था। लेकिन मैं आप के द्वारा नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विधेयक न तो शाब्दिक संशोधन करता है और न आनुषंगिक संशोधन ही। बल्कि यह विधेयक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण श्रमनीति के सम्बन्ध में, आधारभूत नीति के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तावित करता है जो, मैं यह समझता हूँ, कि इस प्रदेश की प्रगतिशील श्रमनीति के सिद्धान्तों पर, उसकी बुनियाद पर स्वयं कुठाराघात करने वाले ही हैं। मुझे खेद है कि आज मेरे मित्र माननीय बहुगुणा जी जैसे प्रगतिशील नवयुवक को एक ऐसे प्रतिगामी विधेयक का अनुशीलन करना पड़ रहा है। शायद उनको स्वतः ही खेद होगा कि वह इस प्रकार के विधेयक का आज इस सदन के सन्मुख नेतृत्व कर रहे हैं जिसके लिये वह स्वयं हृदय से दुखी होंगे।

जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को एक समिति का सदस्य बनाने का सवाल है वह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है। यदि केवल इतना ही संशोधन हुआ होता तो शायद हम इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करने में कोई आपत्ति न करते लेकिन आगे चल कर हम देखते हैं कि सरकार अपने हाथ में एक ऐसे अधिकार को लेने जा रही है जिसको लेकर वह किसी भी पंच निर्णय को, किसी भी अवार्ड को संशोधित कर सकती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब सन् ५३ में माननीय बहुगुणाजी ने स्वयं कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में एक प्रश्न किया था। अपीलेट लेबर ट्रिब्यूनल ने एक फैसला दिया था जो मजदूरों के हित में था लेकिन हमारी राज्य सरकार ने अपने उसी अधिनायकत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग कर के लेबर ट्रिब्यूनल आफ इंडिया के अवार्ड को ठुकरा कर मार्टिन बर्न के हक में कह दिया कि अवार्ड नहीं लागू किया जायगा। आज उसी अधिकार को और अधिक बलशाली करके यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है।

नाम इसका बड़ा सुन्दर है। सरकार न्याय और इन्सानियत का नाम लेकर इसको ला रही है। इसमें है "on publicgrounds affecting national or state economy or social justice"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हिन्दी में कहिये कि सार्वजनिक कारणों के आधार पर अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला या सामाजिक न्याय के आधार पर यह विधेयक आया है। देखिये कितनी गुंजाइश इसमें है। यानी, किसी भी अवार्ड को सरकार माडीफाई कर सकती है। यह पहले अधिनियम में नहीं था। आज प्रथम बार सरकार इसे ला रही है। मैं यह जानना चाहूँगा कि कौन-सी ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई जिसके कारण सरकार यह अधिकार लेना चाहती है। श्रम नीति का पिछले वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग १०० में से कम से कम ९९ मामलों में मजदूरों के हितों के खिलाफ किया है। "नेशनल इकोनामी" शब्द का इस्तेमाल सेन्ट्रल ऐक्ट में भी किया गया लेकिन "राज्य की इकोनामी" का क्या अर्थ है? मदरास, बम्बई और बंगाल ने भी ऐसे ऐक्ट्स बनाये हैं लेकिन इतना व्यापक अधिकार किसी ने नहीं लिया है। इसलिये मेरे विरोध का प्रथम कारण इस प्रकार का संशोधन इस विधेयक में प्रस्तावित होना है।

दूसरी बात जिसे सिद्धान्ततः मैं गलत समझता हूँ यह है कि यूनियनों के स्वतंत्र रूप से अपने मामले की पैरवी करने के अधिकार को सरकार कुंठित करना चाहती है। यहां पर यह याद रखने की बात है कि ८, ९ महीने हुये इस सम्बन्ध में एक पूरा विधेयक पारित हुआ जो आपको याद होगा, सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा गया था। मेरे पास वह विधेयक यहां मौजूद है जिसमें १७ खंड थे। एक तो पहले ही जो अधिकार लिया गया था वह गलत था। वह यह था कि अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जिसका रजिस्ट्रेशन २ वर्ष पहले हुआ हो, तो २ वर्ष के अन्दर उसका कोई भी पदाधिकारी श्रम न्यायालय में उन मजदूरों की पैरवी नहीं कर सकता जोकि उसके मेम्बर हों। और एक फैडेरेशन पैरवी कर सकता है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं कर सकता है। अब राज्य सरकार उसमें भी एक और आपत्ति लगाना चाहती है।

अब यह सरकार क्या कहती है? वह कहती है कि जो फेडरेशन अथवा महासंघ हैं उनको भी सरकार को मान्यता लेनी पड़ेगी और जो सरकार नियम बनायेगी उन्हीं के मातहत मजदूर यूनियनों को पैरवी करनी पड़ेगी। पहले तो सरकार ने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स के लिये मनाही की थी लेकिन अब महासंघों को भी मना किया जा रहा है जिनसे वे एफिलिएटेड हैं। यह साफ-साफ मजदूर आन्दोलन को स्वतंत्र रूप से संगठित होने में रुकावट डालना है। माननीय मंत्री जी और सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का कोई जिक्र सेंट्रल ऐक्ट में भी है। मेरे सामने इस समय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है, जिसके सिद्धान्तों के आधार पर यह बिल बनाया जा रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी प्रान्त के अधिनियम में इस प्रकार की प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी धारा रखी हुई है? नहीं रखी है। मैंने इंडियन लेबर बुलेटिन को भी प्राप्त करने की चेष्टा की, दूसरी विधान सभाओं में जो संशोधन इस प्रकार के हुए हैं उनको भी देखने की चेष्टा की लेकिन कहीं भी इस प्रकार का कानून नहीं है। तो क्या इस प्रकार का कानून लेकर ट्रेड यूनियन्स के फ्री आर्गनाइजेशन में बाधा डालना नहीं है।

एक पदाधिकारी ने बातचीत के दौरान में बताया कि जितने लिमिटेशन्स हम मजदूरों पर लगाते हैं उतने ही मिल मालिकों पर भी लगाते हैं। उन्होंने कहा कि १४ दिन का नोटिस की बात हमने मजदूरों के लिये रखी और वही मिल मालिकों के लिये भी रखी। लेकिन वह बैलेंस यहां कहां रखा गया है? क्या सरकार ने ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित किया है कि जो मिल मालिक कम्पनीज ऐक्ट के मातहत दो साल पहले रजिस्ट्री करा लेगा उसी को पैरवी करने का अधिकार होगा। यहां पर आपने मजदूरों को तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया लेकिन मिल मालिकों को पूरी छूट है। अगर कोई मिल मालिक आज ही अपना कोई मिल मालिक संघ बनाते हैं और आज ही उसकी रजिस्ट्री कराते हैं तो वह पैरवी कर सकता है। उसके लिये

न ट्रेड यूनियन का घपला है और न फेडरेशन का। यह सरकार की नीति का सवाल है और वह सरकार की नीति मिक्स्ड एकोनोमी तो हो सकती है लेकिन सोशलिज्म की नीति नहीं हो सकती।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ ही एक बात का और ध्यान रखना होगा। श्रम विभाग की ओर से एक रिपोर्ट बटा करती है। सन् ५६ की रिपोर्ट अभी तीन दिन हुये मुझे मिली है। माननीय बहुगुणा जी ने बड़े गम्भीर शब्दों में कहा कि वे दूकानदारी बंद करना चाहते हैं और उसी दूकानदारी को रोकने के लिये वे यह बिल ला रहे हैं। लेकिन इस दूकानदारी का कहीं जिक्र इस श्रम विभाग की रिपोर्ट में नहीं है। उसमें तो इस प्रकार के शब्द लिखे हुये हैं— "बड़ी प्रगति हो रही है ट्रेड यूनियन्स की, प्रामाणिक व्यावसायिक संघों की संख्या ५४-५५ में ८१ थी जो बराबर बढ़ रही है?" उसमें जो शिकायत की गयी है वह यह है कि सदस्य संख्या की लिस्ट वे नहीं भेजते, वार्षिक विवरण समय पर नहीं भेजते लेकिन यह सरकारी रिपोर्ट में कहीं नहीं है कि उनमें दूकानदारी चल रही है इसलिये उनकी संख्या को कम किया जाय। उन्होंने तुलना भी कर के रखा थी। वे कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल में १,५१८, बम्बई में ९०७, यू० पी० में ६९८, और मद्रास में ६५० हैं और हमारे यहां ट्रेड यूनियन्स की संख्या बढ़ती जा रही है तथा दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश में ज्यादा संगठित ट्रेड यूनियन्स हैं। यह तो एक ओर सरकार की नीति है, जो होनी चाहिये। मैं यह मानता हूं कि ट्रेड यूनियन्स ज्यादा बढ़ें, संगठित हों, वे नियमों का पालन करें, वे इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट की धाराओं का पालन करें, यह होना चाहिये लेकिन यदि दो साल की रुकावट माननीय मंत्री जी लगा देंगे तो क्या होगा? कोई भी नया रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पनप नहीं पायेगा। जब मजदूर यह देखेगा कि किस ट्रेड यूनियन का वह मेम्बर होने जा रहा है, वह पैरवी नहीं कर सकता तो वह उसका मेम्बर क्यों बनेगा? नहीं बनेगा उसका मेम्बर। या तो वह पुरानी ट्रेड यूनियन का मेम्बर बनेगा और यदि कहीं पुरानी ट्रेड यूनियन न हो तो वहां क्या हो, मैं जानना चाहूंगा? जैसे बाजपुर व किच्छा में शुगर फैक्टरी बन रही है और वहां पुरानी ट्रेड यूनियन नहीं है तो वहां मजदूर क्या करेंगे? इसके लिये तो यही हो सकता है कि वे किसी यूनियन के साथ अपने को एफिलियेट करें।

तो इस प्रकार से इस विधेयक के इस अंश द्वारा इस प्रदेश में बढ़ते हुए ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर संगठित होते हुए ट्रेड यूनियन पर एक जबरदस्त कुठाराघात है। और मैं कहूंगा कि "निपिंग इन दि बड" (Nipping in the bud) यानी उसकी बढ़ती हुई अंकुरियों को माननीय बहुगुणा जी कठोरता से अपने बूटों से कुचल रहे हैं। बहुगुणा जी इसके लिये मुझे माफ करेंगे। यह कोई व्यक्तिगत बात मैं नहीं कह रहा हूं।

आगे चल कर इस विधेयक की एक धारा द्वारा हड़ताल करने के अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। हड़ताल करने के अधिकार के लिये मैं यह नहीं कहता कि हड़ताल हमेशा होनी ही चाहिये। यह कोई हमारा मुख्य अधिकार नहीं है लेकिन जैसा कि लहरी जी ने भी कहा कि यह तो आखिरी अधिकार है। इस अधिकार को लेकर यह राज्य सरकार और सब राज्य सरकारों के लिये एक मिसाल बनती जा रही है। किसी राज्य सरकार ने भी अपने यहां के ऐक्ट में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी है कि इस प्रकार का ट्रेड यूनियन होना चाहिये। सेंट्रल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में भी इस तरह की बात नहीं है। इस ऐक्ट की जो धारा ३ है उसके अनुसार सरकार सब कुछ करने का अधिकार अपने हाथ में ले रही है। इसके मातहत सरकार जो कुछ चाहे कर सकती है। चाहे तो १० दिन की नोटिस दे, चाहे तो ३० दिन की नोटिस दे, चाहे तो एक दिन की ही नोटिस दे। सेंट्रल ऐक्ट में तो यह है कि एक दिन की नोटिस दिये बिना भी जो कुछ चाहे मिल मालिक कर सकता है। एक तरफ तो सरकार धारा ३ के अनुसार अधिकार लिये हुये ही है, यह इन्द्र महाराज के बज्र के समान है और दूसरी तरफ वह नये अधिकार भी लेना चाहती है। नये संशोधनों के द्वारा और वह उनको भी रखना चाहती है। सेंट्रल डिस्प्यूट्स ऐक्ट बहुत विस्तृत है। उसके

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अन्दर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के दो हिस्से किये गये हैं। एक तो मजदूर संगठन से सम्बन्धित है तथा एक इंडस्ट्रियल इस्टेबलिशमेंट से हैं। इस सम्बन्ध में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के परिच्छेद ५ की धारा २२ में दिया हुआ है —

"No person employed in a public utility service shall go on strike in breach of contract.

(a) without giving to the employer notice of strike, as hereinafter provided, within six weeks before striking; or

(b) within fourteen days of giving such notice;

यानी कोई भी व्यक्ति जो किसी सर्विसेज में काम कर रहा हो वह बिना मालिक को हड़ताल करने के ६ हफ्ते पहले नोटिस दिये हुए और १४ दिन के अन्दर इस प्रकार का नोटिस देने के कोई हड़ताल नहीं कर सकता है। यह उसकी मंशा है। तो वहां केन्द्रीय औद्योगिक झगड़ा अधिनियम मे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को पारिभाषित भी कर रखा है, उसका पूरा डेफिनिशन भी दिया है। आगे चल कर उसको केन्द्रीय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के परिच्छेद ५ की धारा २३ में लिखा है—

"23. No workman who is employed in any industrial establishment shall go on strike in breach of contract and no employer of any such workman shall declare a lock-out;

(a) during the pendancy of conciliation proceedings before a Board and seven days after the conclusion of such proceedings;

(b) during the pendancy of proceedings before a Tribunal and two months after the conclusion of such proceedings, or

(c) during any period in which a settlement or award is in operation, in respect of any of the matters covered by the settlement or award"

यानी कोई भी कर्मचारी जो किसी औद्योगिक प्रस्थान में कर्मचारी है और बोर्ड के सामने या कंसीलियेशन प्रोसीडिंग्ज कहीं चल रही है और ७ दिन बीत गये हैं और किसी ट्रिब्युनल के सामने मामला चल रहा है तो उसकी समाप्ति के दो मास के अन्दर या अगर समझौते की बातचीत चल रही हो तो उस प्रश्न पर हड़ताल नहीं हो सकती। यह २ धारायें वहां पर मौजूद हैं। लेकिन यहां हमने यह चमत्कार किया है कि केन्द्र के फर्क को भी नहीं माना है। हमने अपने यहां उस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और नान-पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के भेद को भी इसमें समाप्त कर दिया है और तमाम दाल भात तरकारी चटनी सबको मिला कर एक साथ कर दिया है और केन्द्र के ऐक्ट में जो १४ दिन के नोटिस की बात थी यहां सब के लिये उसे अनिवार्य कर दिया है। जहां केन्द्र के अधिनियम में ६ सप्ताह के नोटिस की जरूरत है वहां इसमें केवल ३० दिन रखे गये हैं और इस तरह से १५ दिन का जो उसे वहां ज्यादा मौक़ा था वह भी कम कर दिया गया और उसके बाद भी केन्द्र के अधिनियम में कहीं ३ दिन की रुकावट नहीं है लेकिन यहां वह ३ दिन की भी रुकावट डाल दी गई है, कहीं भी किसी प्रदेश के अधिनियम में ऐसा नहीं है, जब कि हम जानते हैं कि यू० पी० ऐसा कानून बनाने के लिये पहला राज्य नहीं है।

साथ ही साथ केन्द्र ने आगे एक और सहूलियत दी है कि कोई भी आदमी जानबूझ कर ऐसी गैरकानूनी हड़ताल के जो ऐक्ट के विरुद्ध हुई हों उन पर जाकर पैसा खर्च नहीं करेगा, अगर गैर जानकारी में रुपया दिया गया तो दूसरी बात है। कोई इनसाइट या प्रोवोक नहीं कर सकता है यानी हर माने में यह केन्द्रीय अधिनियम के विरुद्ध जाता है और मजदूरों का हड़ताल करने का जो संविधान से संगत अधिकार है उस पर यह कुठाराघात करता है। मैं एक पल के लिये भी तैयार नहीं हूं कि हम इस प्रकार की धाराओं को मान्यता दें और स्वीकार करें और हम एक पल के लिये भी तैयार नहीं हैं कि इस प्रकार के विधेयक को यहां पर पारित करें और अपने प्रदेश में और प्रदेश के बाहर हम एक ऐसा राज्य कहलाने का बोझ अपने ऊपर

लें जो मजदूर आन्दोलन की गति को कुंठित करे और समाजवादी राज्य का नाम ले कर ऐसा करे। आजतक हम यह कह रहे हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम मजदूरों को कारखानों में प्रतिनिधित्व देंगे, हम दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व देंगे। जब उसका मैनेजमेंट में पार्टनर बनाने की बात हो रही है तो ऐसे समय में इस प्रकार का प्रतिगामी कदम उठाना हमारे सूबे के श्रम और उद्योग दोनों इंटेरेस्टस के लिये अहितकर होगा। इसलिये श्री भगवती सिंह जी विशारद ने तो इसको जनता की राय जानने के लिये प्रसारित करने का प्रस्ताव किया है लेकिन अच्छा उससे यही होगा कि हम यहीं इसका विरोध कर दें। जनता की राय के लिये भेजने का यह अर्थ तो है कि सरकार के इरादों का जनता के सामने एक सही नकशा आ जायगा, लेकिन यह विधेयक तो जनता के सामने भेजने लायक भी नहीं है। इसके सम्बन्ध में हमारी तो ऐसी इच्छा है कि सरकार इस विधेयक को यहीं पर इतिश्री कर दे। अगर ऐसा करें तो मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा। यदि वह चाहते हैं और मैं समझता हूं वह इस बात के आकांक्षी भी होंगे कि वह स्वयं बधाई के पात्र हों लेकिन यह तभी हो सकता है जब वह पुनर्विचार के लिये इसे वापस ले लेने की घोषणा करें और हमारे भावों को विधेयक में स्थान देने की कृपा करें।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस डिबेट में कोई खास हिस्सा लेने का नहीं था लेकिन श्री नारायणदत्त जी तिवारी की स्पीच ने कुछ थोड़ी सी इस दिशा में प्रेरणा दी। मैंने बहुत काफी यह जानने की कोशिश की कि इस विधेयक में, यह जो अमेंडिंग विधेयक है इसमें रिएक्शनरी बातें कहां-कहां हैं और कौन-कौन सी हैं। क्योंकि अगर किसी बिल में, चूंकि हम आगे बढ़ गये हैं, उसमें अमेंडमेंट इसलिए हो कि उससे पीछे जाने की बात हो तो हर आदमी का फर्ज हो जाता है कि उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। जहां तक मैं समझता हूं इस बिल के अन्दर मुझे जाहिरा तरीके से कोई ऐसी बात दिखायी नहीं दी इसलिए मैंने बड़े गौर से उन के आर्गुमेंट्स को भी सुना। गवर्नमेंट ने एक पालिसी के मातहत इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट बनाया जिसका मकसद था कि जो हकूक अभी तक मजदूरों को नहीं हैं और जिनका शोषण होने की खुली इजाजत थी उन्हें कुछ हकूक दिये जायं। यही मकसद था इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के लाने का कि जो हमारी जनरल पालिसी है, यानी मिक्स्ड इकानोमी के जरिये सोशलिज्म की तरफ बढ़ें। उस में जरूरी हो जाता है कि कैपिटल और लेबर दोनों के अन्दर अच्छे ताल्लुकात हों और मजदूर जिसे कोई हक अब तक उस समाज में नहीं हैं, शासन की तरफ से उसे कुछ हक दिये जायं।

तजुर्बे ने यह बताया कि इस बिल के अन्दर कुछ त्रुटियां हैं और उससे कुछ नफा भी हुआ हो, हो सकता है कि कुछ बातों में नुकसान भी हुआ हो, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्किंग ने बताया कि इस ऐक्ट के अन्दर कुछ किस्म की ऐसी और बातें करने की जरूरत है जिस से समूची इन्डस्ट्री और लेबर के ताल्लुकात अच्छे रह सकें और जिधर जाना चाहते हैं उधर बढ़ सकें। मैं समझता हूं एक ही नीयत हो सकती है जो इस अमेंडमेंट के लाने के लिए जिम्मेदार हो सकती है कि किस तरह से हम इसे इम्प्रूव करें और इस नियत से इम्प्रूव करें कि उधर मजदूर को ज्यादा सुख-सुविधा मिले और कैपिटल के अन्दर भी ऐसा एहसास हो कि उसके साथ कोई सोशल मिनिमम जस्टिस का बर्ताव है।

बहरहाल, मैंने इस दृष्टिकोण से इस बिल को देखा और दो स्पीचेज जो उधर से हुईं उनको भी गौर से सुना। तिवारी जी का ख्याल है कि इस बिल के अन्दर जो एक प्रतिगामी चीज है, वह यह है कि सरकार को कुछ ज्यादा पावर मिल जाती है और जब सरकार को ज्यादा पावर मिलेगी और ख्याल यह है कि सरकार की तमाम वर्किंग प्रो-कैपिटल है तो उनके अन्दर यह पैदा होना स्वाभाविक है कि इसका इस्तेमाल कैपिटल के हित के लिए ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से यही तिवारी जी का ख्याल है। यह बात सही है और बड़ा मुश्किल है आजकल की मिक्स्ड सोसाइटी में यह बताना कि सरकार प्रो-कैपिटल है या उसकी सर्विसेज हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कैपिटलिज्म का जहां तक ताल्लुक है उसका सभी तबकों पर असर है। अभी

[श्री गोविन्द सहाय]

हमारी मशीनरी में कैपिटलिज्म के खिलाफ कोई आबहवा नहीं है और सरकार उससे निकलने की कोशिश कर रही है। तो उस की जो मशीनरी है उसके सोचने का जरिया क्या है यह नहीं कहा जा सकता कि वह एकदम प्रो-सोशलिस्ट हो गया है, या प्रो-लेबर हो गयी। तो अगर सरकार मशीनरी ताकत मांगे, और वह मशीनरी सोशलिज्म की तरफ बढ़ने का कदम बढ़ा रही है, तो मेरे ख्याल से, अगर इसको मान लिया जाय कि ताकत सरकार की ज्यादा हो जायगी, तो उस सरकार की ताकत ज्यादा हो जायगी जो मजदूरों की सुरक्षा करने की नीयत से एक बिल लायी है, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर यह माना जाय तो मुझे कोई रिऐक्शनरी बात नहीं मालूम होती, क्योंकि महज सरकार के अन्दर पावर का होना रिऐक्शनरी नहीं है। सेन्ट्रलाइजशन बुरी चीज है, लेकिन एक जमाने में जरूरी भी हो सकता है और आज अगर सरकार की ताकत ज्यादा हो जायगी तो एवोल्यूशन के ला के मुताबिक कल जब आप इधर आ जायेंगे तो वह फायदा आपको भी हो सकता है। उससे कोई भड़कने की बात नहीं है और रिऐक्शनिज्म की बात नहीं है। तो इस ख्याल से मैं समझता हूं उनका प्रोपोजल रिऐक्शनरी नहीं हो जाता है बशर्ते कि सरकार का कैरेक्टर प्रोग्रेसिव कायम रहना चाहिए।

अब दूसरी बात की तरफ आता हूं। तिवारी जी ने इस बात की सराहना की कि पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर मुकर्रर होने का प्रोपोजल है। मुझे उनका विरोध नहीं है। मैं आप से कहता हूं कि चाहे कायदे से मैं विरोध न करता होऊं, मगर मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग ज्यादा प्रोग्रेसिव आदमी ही चुनते हैं। वह भी उनका दिमागी नजरिया है। हो सकता है कि उनकी च्वायस और भी ज्यादा रिऐक्शनरी हो। गवर्नमेंट की च्वायस को मैं ज्यादा प्रोग्रेसिव मान सकता हूं। इसमें मुझे कोई मुखालिफत नहीं है। इसलिए कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की च्वायस को ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं समझता हूं।

तीसरे मेरा ख्याल है कि बहरहाल इस समाज में सोशलिस्ट ट्रांस्फार्मेशन का एक प्रोसेस होगा, और उसमें मजदूर की जिम्मेदारी कैपटिलिस्ट से ज्यादा है इस माने में कि वह उससे ज्यादा फायदा उठायेगा और कैपिटल और मजदूर दोनों के कोआपरेशन के थोड़े से दौरान के अन्दर यह चीज है।

तो इसके अन्दर जो अमेंडमेंट किये गये हैं, जो कुछ इसमें रिवोल्यूशन किया गया है या रैशनलाइजेशन स्ट्राइक वगैरह का किया गया है वह कोई इतना नुक्सानदेह नहीं है अगर नीयत पर शक न हो। अगर नीयतों पर शक हो तब तो हम किसी ठीक नतीजे पर आ ही नहीं सकते हैं। नीयत पर शक होता है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। जैसे कि एक साहब ने अपने टेंट में रस्सी बांध रखी थी। उधर से कोई बुजुर्ग साहब गुजरे और उसमें फंसकर गिर गये, तो उन्होंने कहा कि तुमने तो रस्सी इसीलिए बांध रखी थी कि उसमें मैं फंसकर गिर पड़ूं। इसलिए नीयत पर अगर शक होता है, तो कोई काम हो ही नहीं सकता।

मेरा ख्याल है कि यह बिल जो लाया गया है वह उसकी स्प्रिट को इम्प्रूव करने के लिए है। आप उसमें और फर्दर इम्प्रूवमेंट करना चाहें, तो अमेंडमेंट लायें। आपकी जो सर्विसेज हैं, आप के जो ट्रिब्युनल्स हैं, उनके नजरिये में एक सोशलिस्ट वायस हो, यह आप कहिये। प्रोग्रेसिव डिमांड आप कीजिये। जो बोर्डस वगैरह बनाये जायं, उनके चालक प्रोग्रेसिव हों यह आप कहिये, और उसकी जांच करिये कि सरकार इस तरह से बनाती है या नहीं बनाती है। लेकिन जो कुछ प्रोग्रेसिव बात लायी जाती हो, उसका आप अपोजीशन करें, तो यह कोई ज्यादा हेल्दी बात नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मिक्स्ड इकानोमी में ऐसी बात सोची जा सकती है, कुछ पसन्द की कुछ नापसन्द की।

श्री गोविन्दसहाय--बहरहाल जहां तक मैंने इस अमेंडिंग बिल को पढ़ा मुझे यह काफी मासूम लगता है। मासूम भी लगा है और कुछ इसमें बातें अच्छी भी दिखायी दीं और कुछ अगर बुरी बातें छिपी भी हैं तो वह इधर ज्यादा मासूम हैं उधर कम मालूम हैं। उन बातों के खतरों से आगाह किया जाय तो मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि कोई इरादा ऐसे रिऐक्शनरी बिल को लाने का नहीं है, उन का खुद इरादा है कि उसमें तब्दीली हो और उसको इम्प्रूव करने के लिए एसेंश्यली तब्दीली हो। यह कोई मेरा विषय भी नहीं है और मैं ज्यादा वाकिफ भी नहीं हूं इस किस्म के कानूनों से। मुझ पर इस सदन के अन्दर जो असर हुआ उस के आधार पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस बिल को लम्बा चलाने से तो टैक्स-पेयर के पैसे का ज्यादा अच्छा उपयोग शायद न होगा, क्योंकि एक एक मिनट जो हम यहां खर्च करते हैं, उस के लिए किन्हीं लोगों को पे करना होता है। ऐसे बिल का अगर हम इम्प्रूव कर सकें तो वह तो अच्छा है। लेकिन अगर हम ऐसे नान-कान्ट्रावर्शियल बिल को बगैर विरोध के ज्यादा सपोर्ट के साथ पास करें, तो इससे सब को मदद मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि इस बिल को कम बहस के साथ में चालू किया जायगा और इस से ज्यादा और मौके होंगे उन पर यह वक्त लगाया जायगा तो हमारे समय का भी अच्छा उपयोग होगा।

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझ माननीय गोविन्द सहाय जी की कुछ उक्तियों को सुनने के बाद प्रेरणा मिला कि कुछ निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष--मैं सब प्रेरणा वालों को ही बुला रहा हूं।

***श्री गेंदासिंह**--श्रीमन्, नारायणदत्त जी जिन बातों को कह रहे थे मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी विस्तार से और बहुत जरूरी बातों की तरफ ध्यान दिलाया। माननीय गोविन्द सहाय जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि वह दो एक बातें इस विधेयक पर विचार करते समय सोच लें। कहते हैं कि यह विधेयक मासूम है और इम्प्रूवमेंट है पुराने अधिनियम का। अब इन दो बातों की रोशनी में वह विधेयक को जरा देखें। एक तो यह देखें कि जिस तरफ इशारा दिया नारायणदत्त जी ने, जरा उस बात को देखें। ऐसा लगता है कि माननीय गोविन्द सहाय जी नारायणदत्त जी की उस बात को सुन नहीं रहे थे।

मैं उनका ध्यान दिलाऊं। इसमें जहां यह इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस की तरफ जाता है या यह किस तरफ जाता है, यह स्वतः उनका विवेक काम देगा जहां पर केवल सोशल जस्टिस के नाम या किसी अवार्ड को सरकार परिवर्तित कर सकती थी या उसको लागू होने से रोक सकती थी, उसके स्थान पर अब सरकार का यह कहना है कि इस विधेयक के जरिये, सोशल जस्टिस से ही काम नहीं चलता। राष्ट्र की व्यवस्था के नाम पर, राज्य की व्यवस्था के नाम पर भी अगर आवश्यकता हो, तो उस अवार्ड को लागू करने से रोक दिया जाय यह अधिकार सरकार ले रही है। पहली बात तो यह है कि मैं उनसे फैसला चाहूंगा कि यह प्रोग्रेस की तरफ है या पीछे की तरफ है। पुराने अधिनियम में सोशल जस्टिस का एक ऐसा लफ्ज है जिस लफ्ज से जितनी मोहब्बत हमको नहीं होगी, उतनी उनको होगी, क्योंकि मैं तो सामाजिक न्याय से मोहब्बत करता हूं। सोशल जस्टिस का अर्थ उतना नहीं जितना कि सामाजिक न्याय का अर्थ समझता हूं। सोशल जस्टिस के नाम पर राज्य की इकानोमी, राष्ट्र की इकानोमी, इस नाम पर अवार्ड लागू होने से रोके जायेंगे। इस की अगर उन्होंने कभी कल्पना की हो तो वह मुझे भी बतायें। लेकिन मैं उन से निवेदन करता हूं कि प्रायः ऐसे मौके आये हैं जब सरकार ने पूंजीपतियों के पक्ष में, उद्योगपतियों के पक्ष में अवार्डों को लागू होने से मना किया है। जरा इस बात को भी वह समझने की मेहरबानी करें। सरकार की कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर अवार्ड लागू होने से रह जाते हैं, अवार्ड कुछ दिनों तक लागू न कर पाये जायं, जो एक्जीक्युटिव आर्डर से लागू होने चाहिए, तो क्या मैं नहीं कह सकता हूं कि सरकार की कोई ऐसी नीति है कि अगर ऐसे अवार्ड न लागू किये जा सकें, जो मजदूरों के हित में हों, तो उस पर आंख

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिह]

मींच लेनी चाहिए और काफी दूर तक उसको चलने देना चाहिए। यह भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अवार्ड अगर किसी ट्रिब्यूनल ने दे दिया तो एक्जीक्युटिव आर्डर से लागू कराये। अगर वह नहीं लागू होता तो उस को मशीनरी जो बनी हुई है अवार्ड लागू करने की, वह फिर सजा दे। यह इतिहास जो है वह पिछले कई वर्षों से अच्छा नहीं है। और मैं समझूंगा कि माननीय बहुगुणा जी को उस कुर्सी पर बैठने के बाद शायद कबूल करने में कठिनाई हो। लेकिन जब तक वह उस कुर्सी पर नहीं थे तब तक उन को अपने संगठन में भी बैठ कर रोना रोना पड़ता था।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा)--कैसे मालूम ?

श्री गेंदा सिंह--मैं आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों से काफी दोस्ती रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कह दूं इस सिलसिले में राज्य की इकानोमी के नाम पर, मुझे निजी जानकारी है कि राष्ट्र की इकानामी के नाम पर पिछले कई वर्षों से इस राज्य में आखिर क्या हो रहा है, राज्य की नीति को देखने का मुझे तो नजदीक से मौका मिलता है। मजदूर की मजदूरी बकाया रहे, उस के लिए कानून में गुंजाइश कर के, उस के मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही करके उसे दिलाया जाय। लेकिन मैं पूछूंगा और गोविन्द सहाय जी से कहूंगा कि कि वह भी पूछें कि सरकार ने जो कानून बनाया है उस अधिकार का उपयोग करके मजदूरों की मजदूरी दिलाने में कितनी जगह सख्ती की है। सख्ती वैसी नहीं, लेकिन विधान में सख्ती करने के जो अधिकार हैं उनके मुताबिक हमने क्या किया? मैं कहता हूं कि उनके पक्ष में फैसला कर देना और हमेशा काम करना इसका मौका ढूंढा जाय तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण होंगे। इसका पता लगाइये कि सरकारी मालगुजारी कितनी है चीनी मिलों पर। दो तीन दिन पहले उत्तर मिला था कि मालगुजारी करीब ५ करोड़ रुपये की बकाया है। सरकार को विधान में जो अधिकार मिला हुआ है उसके मुताबिक सरकार ने इस ५ करोड़ की मालगुजारी को वसूल करने के लिये किस मिल मालिक पर कोई कार्यवाही की, क्यों उस पर बकाया है ? दूसरी तरफ किसान पर अगर पंचायत टैक्स एक आना बकाया है तो उस किसान से जो मरा हुआ है थाली लोटा बिकवा कर सख्ती करके वह टैक्स वसूल किया जाता है। तो ये करोड़पति लोग कौन सी मुसीबत में पड़े हुए हैं। गोरखपुर के सरदार साहब मोदी साहब या बिजनौर वालों को ले लीजिये किस संकट में वे पड़े हुए हैं क्यों नहीं बकाया वसूल हुआ और उनके ऊपर अगर मजदूरों की मजदूरी बकाया है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की।

इनकम-टैक्स हमारे परव्यु के बाहर है लेकिन इतना कह देना अपना फर्ज समझता हूं कि हमारी ढील की वजह से इनकम टैक्स वसूल नहीं हो पाता है। हमारे एक्सचेकर में जब कमी होती है तो दूसरे कामों में टैक्स लगा कर गरीबों के ऊपर बोझ डाला जाता है। उसकी चर्चा इस बिल के सिलसिले में नहीं होनी चाहिये। बहुगुणा जी के अख्तियार में होता तो शायद वह वसूल कर सकते थे लेकिन केबिनेट का पूरा जोर नहीं पड़ा। मैं समझता हूं कि वह नीति से मतलब रखते हैं। गोविन्द सहाय जी ने यह कहा कि सरकार की नीति पूंजीपतियों के विरुद्ध रही है। मैं कहता हूं कि इस रोशनी में मेहरबानी करके बात सोचने की कृपा करें .....

श्री गोविन्द सहाय--माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि मैंने कहा या कि सरकार की पालिसी पूंजीपतियों के विरोध में रही है। यह मैंने नहीं कहा।

श्री गेंदासिंह--मजदूरों के हित में रही है यह भी अगर उनका खयाल हो तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने खयाल को बदल दें।

मैं सरकार से इस वक्त जरा यह भी पूछना चाहता हूं कि उसके स्वतः जो कारखाने हैं उनके साथ उसका क्या बर्ताव रहता है । चुर्क सीमेंट फैक्टरी को क्या हालत है ? कितने लोग निकाले गये कितने लोग मुस्तकिल किये गये ? जो लोग बाहर निकाले गय तो क्यों निकाले गये ? मैं कहता हूं कि आखिर रोडवेज चुर्क सीमेंट फैक्टरी और प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी जो हैं.....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह बिल्कुल गैर मुताल्लिक बात है। इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है । वोट आन डिमांड्स जब आवें तो आप इस तरह का भाषण करें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि अगर मैंने टोकने की इजाजत दी तो फिर वह थोड़ा सा जवाब देंगे अपने स्पष्टीकरण में ।

श्री गेंदासिंह--मैं तो स्वतः ही अध्यक्ष महोदय, उस तरफ जाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी रोडवेज या प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी पर कुछ कहा कि वह बात जादू की तरह से असर करती है। सरकार भड़क जाती है। वह किसी को इनका नाम नहीं लेने देना चाहती है। मेरी हमदर्दी भी इस मामले में सरकार के साथ है। सरकार के द्वारा शुरू-शुरू का यह राष्ट्रीयकरण है । उसके लिये साफ्ट कार्नर हमारे दिल में भी है। इसलिये बहुत ज्यादा मैं उसके मुताल्लिक नहीं कहता । लेकिन देश के जो पूंजीपति हैं उनको हमें सबक सिखाने की जरूरत है। अगर हम अपने राष्ट्रीय कारखानों में अच्छा बर्ताव करेंगे तो हम दूसरों के सामने अपना मुंह खोल सकते हैं। अब मैं एक बात और कहूं कि जो आप समिति बना रहे हैं, उसका मैं भी स्वागत करता हूं। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेम्बर रखा है और अध्यक्ष आपने हाईकोर्ट के जज को रखा है, यह बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस कमेटी में मुख्य सचिव और श्रम विभाग के सचिव को क्यों रखा गया है ? लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के रखने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर और हाई.....

(इस समय १२ बजकर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

कोर्ट के जज के अलावा भी कुछ और नाम रखे जा सकते हैं जिससे सरकार को कोई दिक्कत न हो । लेकिन मुख्य सचिव और श्रम विभाग के सचिव तो न सोना हैं, न पत्थर हैं बल्कि हाड़-चाम के हैं। उन्हें गुस्सा आता है । जितनी शासन की तिकड़में हो सकती हैं उनके आचार्य मुख्य सचिव हो सकते हैं। और श्रम के आचार्य श्रम विभाग के सचिव हो सकते हैं । इन दोनों को आप क्यों इस कमेटी में रखते हैं। इनको तो आप अपनी अगल बगल में रखिये । इस कमेटी में ऐसे आदमी रख दिये जायं जो सरकार के ऊपर लगाम लगा सकें । ऐसे आदमियों के रखने से लेबर का मामला खतरें में नहीं पड़ेगा । मैं उनकी ईमानदारी में कोई शक नहीं करता हूं । समूचे संसार में शासन के कुछ अख्तियारात उससे लेकर जुडीशियरी को दिये गये हैं, लेजिस्लेटिव को दिये गये हैं। मनुष्य समझ कर ऐसा किया गया है, देवता समझकर नहीं किया है । जो जिस काम में जाता है वैसा ही हो जाता है । इसलिये मुख्य सचिव और श्रम विभाग के सचिव का वह काम है कि जिससे न्याय करने वाली कुर्सी का काम नहीं चल सकता है। इसलिये दूसरे आदमी को सोचें। मैं श्री गोविन्द सहाय जी से कहता हूं कि यह इम्प्रूवमेन्ट नहीं है बल्कि बिल को और खराब करना है।

अब मैं एक बात सोचता हूं कि गोविन्द सहाय जी ने कहा है कि इसमें काफी वक्त नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि पैसा ज्यादा खर्च होता है, मैं उनकी बात की कद्र करता हूं लेकिन कई लाख मजदूरों से संबध रखने वाला यह विधेयक है । अगर हमारी राय

[श्री गेंदासिंह]

एक हो तो पश्चिम के आचार्य ने कहा है कि हम रिवोल्यूशन के अग्रगामी हो सकते हैं। यह उनको अग्रगामी बनने में मदद नहीं करेगा बल्कि पीछे ढकेलने में मदद करेगा ।

मैं एक बात माननीय बहुगुणा जी से पूछूंगा कि नया यूनियन बनेगा तो फेडरेशन के जरिये रिप्रेजेंट करने का अधिकार दिया गया है । बहुगुणा जी किस फेडरेशन को यह अधिकार देंगे । फिर मैं वही हाड़ चाम की बात कहता हूं । मैं अगर इस कुर्सी पर होता तो जिस पार्टी का मैं मेम्बर हूं, उस पार्टी का यदि कोई यूनियन होता तो मेरी हमदर्दी उसके साथ होती । अपने बारे में मैं कह सकता हूं, उनके बारे में कहने का मुझे अधिकार नहीं है। वह स्वयं सोचें कि आई० एन० टी० यू० सी० का जो फेडरेशन होगा, उसके साथ उनकी कुछ हमदर्दी होगी या नहीं। और अगर होगी तो आई० एन० टी० यू० सी० की और जगह की तो हमको ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन चीनी और गुड़ से मेरा सम्बन्ध रहता है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है और उसमें जो काम करने की नीति है और जो इंडिविजुअल कंसीडरेशंस हैं वह ऐसे नहीं हैं कि मैं उस फडरेशन से हमदर्द हो सकूं । मैं अभी कुछ दिन पहले शिवहारा गया था। वहां एक बड़ दुलरुवा कांग्रेसी हैं दुलरुवा को अंग्रेजी में बिलवेड कहा जायगा । मैं बहुगुणा जी को दावत देता हूं कि हमारे साथ वह चलें और वह गये भी होंगे । बिड़ला जी उसके मालिक हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आपने 'बिलवेड' शब्द किसके लिये इस्तेमाल किया है।

श्री गेंदासिंह—फैक्टरी के लिये और अगर वह पसन्द करें तो फैक्टरी के मालिक के लिये भी। तो खैर अगर वह चले जायं तो देख आवें कि, 'बिलवेड' नहीं कहूंगा "फैवरिट" कहूंगा, कुछ फैक्टरियां हैं जिनमें देश के बहुत अच्छे-अच्छे कहे जाने वाले लोग काम कर रहे हैं और जिनमें से किसी को बहुगुणा जी के दल ने पार्लियामेंट का मेम्बर बना दिया और किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ, ऐसे लोगों के हाथ में फैक्टरियां दे दी जायं तो उनमें मजदूरों की दशा क्या होगी और जो कुछ सुविधायें वहां उन्होंने दे रखी हैं दूसरी फैक्टरियों के मुकाबले में उनको देख लिया जाय तो हमारी समझ में आ जायगा कि उस फेडरेशन से, जिसके साथ हमदर्दी है इस विधेयक की और इस विधेयक के बनाने वालों की, मजदूरों को प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जाया जा सकता।

मैं इसीलिये सोचता हूं कि आदमी आदमी है और आदमी को इसलिये अपनी अक्ल से कुछ कानून ऐसे बनाने चाहिये कि यदि कभी बुराई करने की तबीयत भी आवे तो वह रोक ले। वह बेजान चीज है लेकिन कभी कभी यह जानदार हो जाता है और किसी तरफ मूव होता है और ऐसा मूव होता है कि गड्ढे की तरफ ले जाता है। तो कोई ऐसा फोर्स तो होना चाहिये कि जब आदमी गड्ढे में जा रहा हो तो उसको उस वक्त रोक सके। यहां तो हम विवेकशील और व्यवसायात्मिका बुद्धि लेकर बैठे हुये हैं तो उससे ऐसे कानून बना दें कि जब वह आसुरी प्रवृत्ति जागे तो वह पकड़ ले और कहे कि हम नहीं जाने देंगे। लेकिन हम इसमें उसी गड्ढे में जाने की तरफ दौड़े जा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है बल्कि गड्ढे की तरफ जाने की धारा है। इसलिये मैं कहता हूं कि उन सब चीजों से हम अलग रहें। मुझे लेबर के मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन इधर मैंने कुछ मजदूरों के मामलों को देखा। इसीलिये मैं यह सब कहता हूं।

विशारद जी का जो प्रस्ताव है उसका मतलब केवल इतना है कि देश भर में घुमाओ तो इसमें जो खामियां होंगी वह सब सामने आ जावेंगी और उससे यह अधिक इम्प्रूव्ड हो जायेगा। तो या तो यह हो और नहीं तो कोई समझौते की बात हो सकती है। जैसे किसी भाई ने कहा है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय, तो प्रवर समिति में ही आ जाय।

लेकिन अगर बहुगुणा जी कहते हैं कि न वह प्रवर समिति में भेजेंगे और न वह घुमाने के लिये तैयार हैं तो बड़ी खेद की बात है और यह बात नामुनासिब है ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का कि यह विधेयक जनता की राय के लिये घुमाया जाय, विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---इस के माने यह हैं कि आप प्रवर समिति वाले संशोधन के पक्ष में हैं।

श्री हरीसिंह---जी नहीं । बात यह थी कि कल और आज मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने परन्तु उन भाषणों में मुझे किसी के मुख से किसी मजदूर की वास्तविक झलक नहीं दिखलाई दी और इसका कारण यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य इस आदरणीय सदन में दिये उनमें एक भी सच्चा मजदूर कहलाने का अधिकारी नहीं है। वे स्वयं किसी न किसी सरमायादार से संबंधित हैं या स्वयं सरमायादार हैं और उन मजदूरों का शोषण करते हैं जिनके लिये यह बिल लाया जा रहा है। मैं एक उदाहरण दूं.....

श्री मोतीलाल अवस्थी---प्वाइंट आफ आर्डर । अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि जितने भी विरोधी पक्ष के वक्ता हैं वे सब सरमायादारों से संबंधित हैं। यह कहां तक पार्लियामेंटरी है ।

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने कहा कि जितने वक्ताओं ने भाषण दिये उनमें मजदूरों का हित चाहने वाला कोई नहीं है । यह उनकी राय है । अगर आप इसके खिलाफ हों तो अपने भाषण में इसका जवाब दे दीजियेगा ।

श्री हरीसिंह---उन सदस्यों से यही आशा होनी चाहिये कि जब भी कोई सदस्य इधर का बोले तो उसमें कोई न कोई अड़चन जरूर डाल दें ।

एक मिल की बात मैं आप को अभी बतला रहा था । यह जो आपने बड़ी-बड़ी संघों के रूप में दूकानें खोल रखी हैं उनके बारे में मुझे कुछ अनुभव है । जसवन्त शुगर मिल, मेरठ में स्वयं इन संघ वालों ने मिल मालिक से ठेका लेकर सस्ते मजदूर सप्लाई किये। जब कि सरकार का कानून है कि ६० या ५५ रुपये से कम वेतन नहीं मिलना चाहिये। इन संघों ने, बड़े-बड़े दूकानदारों के रूप में अपने मजदूरों को ३०,४० और ४५ रुपये मासिक तनख्वाह दिलवाई है। इसके अलावा एक बात और मेरी समझ में नहीं आती कि कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आदि के संघ भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। यह समझ में नहीं आता कि जब आप मजदूरों के हितैषी हैं, रक्षक हैं, उनका भला चाहने वाले हैं, तो यह सारे संघ अलग-अलग क्यों हैं ? इनमें क्या अन्तर है ? क्या भेद है ? और अगर है, तो क्यों ? असल बात यह है कि इन संघों के जो नेता हैं वह या तो बड़े-बड़े जमींदारों के लड़के हैं या सरमायादार हैं। उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में अब मजदूर वर्ग अधिक फैल रहा है और उसी का बोलबाला होगा इसलिये भेष बदल लिया और स्वयं मजदूर बन गये और संघों की स्थापना की । स्वयं मिल मालिक हैं, यदि नहीं हैं तो उनसे मिल गये और उनसे बातचीत की और इस तरह से उन छोटे-छोटे मजदूरों का शोषण कराया ।

क्या कोई माननीय सदस्य मुझे बतला सकता है कि फैक्टरी के छोटे मजदूरों को कितने वह क्वार्टर दिये गये जो सरकार ने बनाये हैं ? या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि उनके बच्चों की शिक्षा का, उनके लिये औषधि का और उनके रहन-सहन का उचित प्रबंध हो या है ? इसके लिये आपकी यूनियन ने या संघ ने क्या किया ? आपने सिर्फ यह किया कि जब मिल मालिक से कोई खटपट हुई तो मजदूरों को उकसा दिया कि हड़ताल कर दो। यह आप ने नहीं सोचा कि इससे उत्पादन का नुकसान होगा और उन मजदूरों का भी कोई फायदा न होगा। यहां माननीय गेंदासिंह जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कभी खेतिहर मजदूरों के बारे में इस तरह से सोचा है ? इस विधेयक पर तो यह झंझटबाजी, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने खेतिहर मजदूरों की हड़तालें कराई ? पूरब का मजदूर चार पैसे

[श्री हरीसिंह]

कमाता है, उनके लिये आपने हड़ताल की बात नहीं सोची। वजह यही है कि वहां किसानों से आपको पैसा नहीं मिल सकता, वह तो मिलेगा मिल मालिकों से। किसानों के पास पैसा है ही नहीं तो किस के खिलाफ हड़ताल करायेंगे।

आप मिल मालिकों के खिलाफ हड़ताल कराना चाहते हैं जो इस देश में आपको पैसा देते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं। आज मजदूर नेता कौन है लाला हैं और ठाकुर हैं और जो ठेकेदार है वही उसका नेता है क्योंकि उनकी लीडरी तभी चल सकती है जब उनका पेट भरता रहेगा। हमारे हाउस में माननीय गेंदासिंह जी चुनकर नहीं आ सकते अगर वह मजदूरों की बात वहां पर न करते। उनकी ही बात करते हैं। असल में जो हम लोग मजदूर हैं वह एक भी शब्द नहीं कहते और यहां पर कुछ भी नहीं बोलते।

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार ने कुछ तो किया। उसने इतना तो किया कि वे मजदूर अपने को इंसान समझने लगे। आपने उसका जिक्र भी नहीं किया और एक लेक्चर झाड़ दिया कि हड़ताल कर दो और हड़ताल करा दी, यही आपका धंधा है। मजदूरों के हित में कभी नहीं सोचा और कभी न उनमें रहे और न उनके दुख को समझा कि उनको हड़ताल कराने के लिये बाध्य नहीं किया जायगा।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हर मजदूर का एक संघ है और उससे चन्दा लिया जाता है। उस चन्दे से उस सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलती है और फिर यह करते हैं कि जब आपस में मजदूर और मालिक में झगड़ा होता है तो मुकदमेबाजी होती है तो कह दिया जाता है कि संघ के पास पैसा नहीं है वह बेचारा मजदूर अपना जेवर सामान व घर बेचता फिरता है। यह नीति आपके संघ की है।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे संघ से यह मजदूर संघ बाज आया। आप इस संघ को चुनौती दें कि वे मजदूरों को न लूटें और जो असल मजदूर हैं उनकी जीविका के लिये वह लड़े और सरकार को भी मनाने का प्रयत्न करें। मैं एक बात से सहमत हूं कि २,३ सरकारी अफसरों को मिलाकर जो एक समिति बनायी जायगी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां पर मजदूरों का प्रश्न है वहां पर मजदूर वर्ग से जो सम्बन्ध रखता है, उसको ही उसमें रखते या जो गांधी आश्रम का अच्छा आदमी होता या जनता का सदस्य होता उसको आप उसमें रखते। इस तरह से सरकारी अफसर को उस समिति में रखना उचित नहीं मालूम होता है। उनके पास ही फरियाद लेकर जायें और वही न्याय करें। अगर बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिये रख दिया जाय तो फिर वह खुद ही दूध को पी जायगी। मैं अपनी सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी उस समिति में नहीं होना चाहिये और जनता का प्रतिनिधि होना चाहिये जैसा कि हाई-कोर्ट भी कहता है कि जनता का सेवक उसमें होना चाहिये।

एक बात यह और है कि जो आपने ३० दिन के नोटिस की बात रखी है कि इतने दिन का नोटिस देकर वह हड़ताल कर सकते हैं। यह भी मुझको उचित नहीं मालूम होता है। वह आदमी मर तो आज रहा है और उसको दवा कल दी जायगी तो मैं इसको अच्छी बात नहीं समझता। केवल यहां पर अधिक से अधिक एक हफ्ते का समय देकर उनको हड़ताल करने का मौका होना चाहिये। अगर एक हफ्ते तक हमारी शर्त नहीं मानी गयी तो हम हड़ताल करके अपना कार्य बन्द कर देंगे क्योंकि यह देखने में आया है कि बड़ी-बड़ी जो फर्म वाले हैं संघ के रूप में वह तो एक माह की अवधि दे सकते हैं लेकिन इस तरह से यहां पर रखना एक सौदा करने की बात है। इसमें कोई पाई की बात करेगा और कोई धेले की बात करेगा। उन मजदूरों को कोई मौका नहीं मिलेगा।

जितने भी मजदूरों के लिये क्वार्टर बनाये गये हैं उनमें एक भी मजदूर को नहीं मिला है। उनको क्वार्टर मिले हैं जो अपने को मजदूर कहते हैं और मजदूरों के नेता कहते हैं।

इसलिये मजदूरों के हित का ध्यान रखते हुये इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो आम लोगों को ठेके दिये जाते हैं उसकी तारीफ की जाय। मैंने एक मिल के बारे में बताया था कि वहां मजदूरवर्ग ही खुद ठेकेदार बन गया था और मजदूर एक दूसरे का शोषण करने लगे। जय हिन्द। अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन के आदमी को शामिल करने की बात है, इस धारा में इसे छोड़ कर पहले सब पास हो चुका है। कमीशन सिर्फ इसलिये जोड़ा गया है कि उसकी एक्सपर्ट ओपीनियन इसमें आ जाय चूंकि वह एक खास तरह का काम करता है। इसके बारे में कोई ज्यादा मतभेद भी नहीं है। श्री गेंदासिंह जी ने थोड़ी चीफ सेक्रेटरी की और दूसरी बातें कहीं। लेबर कोर्ट्स में सिर्फ पैसे की ही बात नहीं होती है बल्कि मुख्तलिफ किस्म की बातें आती हैं। आल-राउन्ड तजुर्बे वाले आदमी की जरूरत होने से चीफ सेक्रेटरी का होना रखा गया है। दूसरा हिस्सा उन कानूनों के बारे में रोशनी डालता है जो पब्लिक सेक्टर में सरकार ने लागू किये हुये हैं। यह मुनासिब नहीं होगा कि डुप्लीकेशन आफ लाज हो जाय। सर्विस कानून के साथ इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स का कानून लगाना मुनासिब नहीं होगा। श्री गेंदासिंह जी ने कहा था कि सीमेंट फैक्ट्री में बहुत से आदमी निकाले गये और वहां का बन्दोबस्त ठीक नहीं है और मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है। यह ठीक है। वहां पर भूख-हड़ताल करनी पड़ी थी। गवर्नमेंट ने एक विशेष कन्सोलिएशन मशीनरी बनाई है और उसका बजट में प्रावीजन किया है। अभी तक वहां के झगड़ों का दफ्तरी तौर पर ऊपर के अफसर से फैसला होता था। अब कंसीलियेशन मशीनरी के कारण हालात अच्छे होंगे। वहां की तकलीफ का वाइस बहुत कुछ हमारे लेबर लाज की कमी नहीं थी बल्कि ऐसे अफसरान की कमी थी जो ऐडमिनिस्ट्रेशन में अफसरान थे उन्हें वहां लगा दिया। ऐडमिनिस्ट्रेशन में काम थोड़ी हुकूमत से चलता है और लेबर के साथ टैक्ट और भाईचारे की जरूरत है। अब तजुर्बा उनको सिखा रहा है और हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। इस कंसीलियेशन मशीनरी के बाद, मैं समझता हूँ कि, वह बहुत ठीक हो जावेंगे।

इसके बाद सोशल जस्टिस के अलावा देश और प्रदेश की इकानामी की बात है। सोशल जस्टिस के बारे में हाउस मूल ऐक्ट में पास कर चुका है, सिर्फ देश और प्रदेश की इकानामी का हिस्सा बढ़ाया गया है। इसकी प्राविजो (२) में यह है कि जब इस प्रकार की कोई तब्दीली की जायगी या अवार्ड लागू नहीं किया जायगा तो वह हाउस के सामने पेश किया जायगा। तो मैं यह समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिये यह मुमकिन नहीं रहेगा कि वह अपने अधिकारों का आरबिट्रेरी तौर पर इस्तेमाल कर सके। जब यह चीजें हाउस के सामने आ जावेंगी तो हम अपने तरीकों से, सुझावों से, उसको रेग्यूलेट करने का भी नियम बना सकेंगे और सरकार को सलाह दे सकेंगे। जहां तक इन खास अख्तियारात का ताल्लुक है उनके इस्तेमाल की विशेष परिस्थितियों में होने की बात है। यह रोज का कायदा नहीं बनाया जा सकता। आप यह देखते हैं कि हमारे संविधान में प्रेसीडेंट को, गवर्नर को दूसरे बड़े-बड़े जिम्मेदार लोगों को खास अख्तियारात दिये जाते हैं जो सिर्फ इसलिए होते हैं कि अगर कोई मुसीबत आ जाय तो उस वक्त हमारे लिये क्या मुमकिन होगा वह यह विचार सकें। गवर्नमेंट इन अख्तियारात को किस प्रकार से इस्तेमाल करती रही है इसके बारे में जब वह हिस्सा आयेगा तब कुछ रोशनी डालूंगा।

इसमें यह भी प्रोवाइड किया गया है कि इस ऐक्ट के लागू हो जाने के बाद मजदूरों को जो कुछ मिला है वह बेकार न हो जाय। हमने उसमें यह प्रोवाइड किया है कि जिस मजदूर को या मजदूरों के किसी संघ को उससे कोई फायदा पहुँचा हो तो वह

[डाक्टर जयगोपाल]

स्टेट गवर्नमेंट को दरख्वास्त दे सकता है कि फलां-फलां फैसले के अनुसार मुझे यह रकम मिलनी चाहिये। मुनासिब तहकीकात होने के बाद डी० एम० हुक्म देगा कि वह रुपया बतौर लैण्ड रेवेन्यू के वसूल किया जाय। यह दोनों ऐक्ट्स के बीच में लिंक का काम करता है। इससे बहुत कुछ मजदूरों का फायदा है, नुकसान नहीं है।

नये मजदूर यूनियन्स के बारे में माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने बड़ी नुक्ताचीनी की। हो सकता है उनकी यह राय हो कि यह मुनासिब चीज नहीं है लेकिन मैं यह समझता हूँ कि अगर आप इसके इम्प्लीकेशन्स को देखेंगे कि इसके इस्तेमाल होने से ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर क्या असर पड़ता है तो हमें उसका असर अच्छा ही मालूम होगा। बात यह है कि कहीं भी ७ आदमी इकट्ठा होकर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। एक इंडस्ट्री में एक से ज्यादा यूनियन बनती जा रही है इससे मजदूरों का बड़ा अहित हो रहा है। उससे मजदूरों की बारगेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिये कामन लीडरशिप की अत्यन्त आवश्यकता है। आज एक-एक इंडस्ट्री में एक से ज्यादा यूनियन्स हैं जो मुख्तलिफ आल इंडिया संस्थाओं से एफिलिएटेड हैं जो अपनी बात को मनवाने के लिये, अपने को पावर में लाने के लिये नाजायज तरीके इस्तेमाल करते हैं। इससे केवल नुकसान पहुँचता है तो यह कि कोई भी यूनियन इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती है। उसके इंडिपेंडेंट रहने में दिक्कत है उसको किसी न किसी सँघ से फेडरेट होना पड़ेगा। मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि अगर वह यूनियन किसी भी आल इंडिया ट्रेड यूनियन से चाहे वह टी० यू० सी० हो, आई० एन० टी० यू० सी० हो, या हिन्द मजदूर सभा हो, एफिलिएट हो जाता है तो यह चीज मजदूरों के हित के किस प्रकार से खिलाफ पड़ती है और किस प्रकार से इसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट कमजोर होता है। लेकिन आज कुछ लोग ट्रेड यूनियन्स का ग़लत इस्तेमाल करते हैं, उससे रोजगार करते हैं और कहीं-कहीं पर यह भी होता है कि मैनेजमेंट भी कहीं-कहीं यूनियनस् को आर्गेनाईज करा देती है जिससे कि मजदूरों की बारगेनिंग कैपेसिटी कम हो जाय। तो क्या मौजूदा हालत में मजदूर यूनियन्स कमजोर नहीं हो रहे ही? इस कानून के अन्दर जो खामियां देखी जाती हैं वे कोई खास खामियां नहीं हैं, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम यहां पर और यहां से बाहर निकलने के बाद वे सब लोग जो मजदूर मूवमेंट में दिलचस्पी रखते हैं इस बात का तहइया करें कि जब मैनेजमेंट का मामला आयेगा तो उसके अन्दर सब मुश्तरका तरीके से वहां लड़ेंगे। बहरहाल मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं हो सकती यदि सरमायेदारों और मिलमालिकों के मुकाबले में मैं श्री नारायणदत्त तिवारी पर ज्यादा भरोसा कर लूं, क्योंकि वे भी मजदूर वर्कर्स हैं, उनकी राय अलग हो सकती है लेकिन वे मजदूरों के हित के खिलाफ नहीं जायेंगे। मगर अमली तौर पर होता क्या है? जब हम मिल मालिकों के मुकाबिले में आते हैं तो हम अलग-अलग बहुत यूनियन होने की वजह से, मुख्तलिफ एफिलिएशन होने की वजह से, एक जगह नहीं हो पाते। इससे हमेशा मैनेजमेंट फायदा उठाता है और मजदूर संस्थाओं का नुकसान होता है।

जैसे इस प्रकार से नुकसान होता है उसी तरह से अगर हम मजदूरों के हित के मामले में कामन (common) हो जाते हैं और कामनली काम करते हैं तो फिर नुकसान मिल मालिकों का ही होता है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूँगा कि अभी हाल ही की बात है कि टैक्सटाइल मिल, सहारनपुर के मिल मालिक चाहते थे कि इतवार को भी मिल खुले और शिफ्ट से टर्न बाई टर्न वीकली छुट्टी मजदूरों को मिले। इसके ऊपर स्ट्राइक चली। वहां पर तीन यूनियनें थीं, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखती थी, एक पी० एस० पी० से ताल्लुक रखती थी और एक आई० एन० टी० यू० सी० से ताल्लुक रखती थी। फिर वहां कम्युनिस्ट वर्कर्स की लीडरशिप के अन्दर हम दोनों

यूनियनों ने मिल कर लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेंट से हर तरह की मदद उसमें मिली और फैसला मजदूरों के हक में हुआ। मजदूरों का १७ फीसदी उसमें फायदा हुआ। तो इस तरह की चीजें बहुत कम जगह पर हो पाती हैं। यह अगर हो पाती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि न इंडिपेंडेंट यूनियन बनाने की जरूरत होगी, न इस तरह से छोटी-छोटी यूनियनें बनाने की जरूरत होगी और न इस सेक्शन से कोई नुकसान ही पहुंचेगा ।

बहरहाल जहां तक मैं मजदूर तहरीक से ताल्लुक रखता हूं और तजुर्बा रखता हूं इस सेक्शन से मजदूर तहरीक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता । हां उनको नुक्सान जरूर पहुंचता है, जो मजदूर तहरीक के अलावा उसे कुछ और तरीका बनाना चाहते हैं, तहरीक के नाम पर अपना एक सियासी रोजगार बनाना चाहते हैं। इसलिये इस सेक्शन के रहने से कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता ।

इसके बाद खंड ७ में वे तमाम वजूहात दी गयी हैं जिनके मातहत स्ट्राइक और लाक आउट को रेगुलराइज (regularise) किया गया है । अब तक दफा ३ के मातहत गवर्नमेन्ट हर साल आर्डर निकाला करती थी कि अगर स्ट्राइक करना हो तो इतने दिनों की नोटिस देनी होगी, यह करना होगा वह करना होगा । सन् ४८ से ही बार-बार उसको रिपीट किया जाता रहा है । लेकिन अब सरकार ने बार-बार रिपीट करने के बजाय उसको मुस्तकिल तौर पर धारा का एक हिस्सा ही बना देना तय किया है और इस तरह से एक चीज हमारे सामने साफ तौर से आ गयी है कि स्ट्राइक और लाक आउट के लिये यह चीज करना जरूरी होगा तो फिर मैं नहीं समझता कि इसके आ जाने से क्या आपत्ति होती है या क्या दिक्कत होती है जिसके ऊपर कि बहुत एतराज किया जा रहा है । यह भी नहीं है कि यह कोई नयी चीज हो और ऐसी चीज कभी इस सदन के सामने न पेश हुई हो । यह सदन के सामने आया है, सिर्फ एक चीज नयी इसके अन्दर आयी है और वह यह कि ३० दिन के अन्दर और १४ दिन के अन्दर इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है । स्ट्राइक नोटिस १४ दिन की होगी तो नोटिस से स्ट्राइक करने तक यह सब कुछ ३० दिन के अन्दर ही हो जाना चाहिये । क्योंकि लम्बा चलने से लेबर और मैनेजमेन्ट दोनों की इनर्जी बहुत वेस्ट होती है और पिच (pitch) पर मजदूरों के टैम्प को रखना पड़ता है । इस सब के अन्दर तमाम तरह की प्रेशर टेक्टिक्स काउन्टर टैक्टिक्स दबाव और रिश्वत सभी कुछ चलता है और मैनेजमेंट की तरफ से तमाम मुमकिन तरीके स्ट्राइक को तोड़ने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह वकफा जितना ही बढ़ाया जायगा उतना ही मैनेजमेंट के लिये मुआफिक और मजदूरों के लिये कमजोरी और परेशानी का बायश होगा ।

इसके अन्दर कौन सी ऐसी चीज है कि जिस के जरिये से मजदूर का हड़ताल करने का हक छीना जा रहा है उसके इस हक को कोई नहीं छीन सकता और उसका वह हक इस विधेयक में बराबर माना गया है । जब हम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो क्या हमारे लिये यह जरूरी नहीं हो जाता कि जहां तक हो सके हम मजदूरों और मैनेजमेंट के ताल्लुकात को ठीक करें और ऐसे तरीके अख्तयार करें जिससे कम से कम डिस्प्यूट्स और स्ट्राइक्स हों और मिलमालिकों के लिये कम से कम मौका लाक आउट आदि करने का रह जाय । अगर इस विधेयक में इस तरह की कोशिश की गई है तो कौन सी ऐसी बात हो गई कि जिससे मजदूर का नुकसान होगा ? हड़ताल क नोटिस की तारीख से स्ट्राइक तक ३ दिन का समय रखा गया है, कहा गया कि केन्द्रीय सरकार ने ज्यादा समय दिया है । मैं नहीं समझता कि ३ दिन के रहने से क्या दिक्कत होती है ? यह ठीक है कि यह ३ दिन का वक्फा, अगर बड़ी यूनियनें हों, तो कुछ थोड़ा हो सकता है क्योंकि उनको आपस में बातचीत करनी होती है और इस

[डाक्टर जयगोपाल]

के लिये मैंने ६ दिन करने का संशोधन दिया है ताकि समझौते की बात के लिये काफी समय मिल जाय लेकिन अगर ६ सप्ताह का समय रखा जायगा तो वह बहुत तकलीफदेह हो जायगा और उससे तो मजदूरों को खुद बजाय लाभ के दिक्कत होगी ।

इसके बाद एक सेक्शन इस में रखा गया है कि इन्सटीगेट (instigate) न किया जाय, यानी इश्तयाल न दिलाया जाय। इसमें कहीं एजीटेट (agitate)करने की मनाही नहीं है एजीटेट कर सकता है । इस का मतलब तो यह है कि जब कोई झगड़ा चलता है तो ऐसी हालत आ जाती है कि जिस में मजदूर और मालिक के सम्बन्ध बहुत ही टेन्सी पर पहुंच जाते हैं और उन हालत में बहुत एहतियात से मजदूरों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होता है अक्सर रिएक्शनरी लोग कब्लअजवक्त हड़ताल की सलाह देकर मजदूरों को उभाड़ देते हैं और हालात मजदूरों के हित के खिलाफ चले जाते हैं और उससे मिलमालिक लाभ उठा जाते हैं। अगर हमारा इरादा मजदूरों को नुकसान पहुंचाने का होता तो इसमें एजीटेशन (agitation) का हक भी उनका न रखा जाता । यह तो एहतियात बरती गई है कि मिलमालिक मजदूरों पर कब्लअजवक्त हड़ताल करने की तरकीब न चला सकें और उन की ताकत को इस तरह से कमजोर न कर सकें और जो मजदूरों की ताकत है वह सही वक्त पर सही तरीके पर लग सके। इस तरह से इसमें केवल इल्लीगल चीजों को और प्रोवोकेशन को रोका गया है ।

इसके अलावा मैं इस धारा के इस्तेमाल के बारे में भी अर्ज कर दूं कि हमारे सूबे में जो लोग मजदूरों में काम करते हैं वे जानते होंगे कि यहां सैकड़ों इल्लीगल (illegal) हड़तालें होती हैं लेकिन सरकार की तरफ से इस इल्जाम पर कभी किसी को सजा नहीं दी गई वह बात दूसरी है कि एक बैलेन्स मेनटेन करने के लिये जहां मिलमालिक को कुछ सहूलियतें दी जाती हैं वहां वह मजदूरों को भी दी जाती हैं। मैं पचासों इल्लीगल हड़तालों की बात बता सकता हूं लेकिन कभी सरकार की ओर से किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया। इसलिए यह नहीं समझना चाहिये कि जहां हड़ताल के लिये कोई प्रोपेगेंडा होगा उसे भड़काने की बात कह दिया जायगा और उस पर सजा दे दी जायगी । जो अब तक का इतिहास है और जो मिसालें हैं उनसे साबित है कि कभी ऐसा होने का इमकान नहीं है । यहां पर चर्चा की गई कि इस को आई० एन टी० यू० सी० या किसी खास फेडरेशन के हक में सरकार की तरफ़ से इस्तेमाल किया जा सकता है । मैं माननीय गेंदासिंह जी की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि मजदूर आज वही पोजीशन रखता है हमारे हिन्दुस्तान में जो आज से दस वर्ष पहले हमारे सूबे की पोजीशन (Position) थी कि हम एक नैशनल फ्रन्ट (Na ional Front) बना कर आजादी के लिए लड़ रहे थे । आज भी जो मजदूर तहरीक के लिये जरूरत है वह इस बात की है कि जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की जमातें हैं वह एक नैशनल फ्रंट बना कर अपने हिन्दुस्तान की आर्थिक आजादी हासिल करने के लिये बढ़ें और मजदूर उसकी सबसे बेहतर फौज है इसमें कोई दो राएं नहीं हो सकतीं । इसके लिए इन कानूनों में यह हो या न हो बहुत मदद नहीं करता जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट इस वक्त चल रहा है उसकी तरफ आप थोड़ी सी तवज्जह दें तो मालूम होगा कि हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट कोई मूवमेन्ट नहीं है बल्कि हमारी यूनियनें एक तरह की स्ट्राइक कमेटीज हैं जिनका सिवाय इसके कुछ नहीं है कि मांगपेश कर दिया मनवा लिया और उसके बाद नयी मांग तैयार कर दी । लेबर को स्लोगन (slogan) पर फीड (feed) करते हैं। कितना लेबर आज इस बात के लिए तैयार है कि हिन्दुस्तान के सामने सिर्फ यह ध्येय हो कि आर्थिक आजादी के लिए हमें लड़ना है. हमेशा मांग की बात नहीं और वह सैक्रीफाइस करने के लिये तैयार हो जाय? सबसे बड़ी जरूरत लेबर का एक नैशनल फ्रंट करने की है और यह कि हम उनको बता सकें कि हमारा मंजिले मकसूद, हमारा मकसद, हिन्दुस्तान के अन्दर आर्थिक स्वतन्त्रता

पैदा करना है। यह एक उसकी फौज है। उसके लिए उनका मेंटल इक्विपमेन्ट (mental equipment) उनकी ट्रेनिंग, जोश और उमंग पैदा करने की कितनी हमट्रेड यूनियन की तरफ से कोशिश कर पाते हैं।

अगर आप इस नुक्ते नजर से देखेंगे तो मालूम होगा कि हमारा मूवमेन्ट बिलकुल बच्चा है। हमने इस तरफ भी कुछ नहीं किया है। एक ओर मैनेजमेंन्ट में हिस्सा लेने जा रहा है, पर वह उसके लिए तैयार है इसमें मुझे शुबहा है और जिस दिन मैनेजमेन्ट में दरअसल हिस्सा लिया जायगा उस दिन हमारी कमजोरी और खामी खुल कर हमारे सामने आ जायगी और सामने ही नहीं आ जायगी हो सकता है कि हमें वह निगल लें। जो भी साहब वहां जायेंगे कितना लेबर को रिप्रेजेंट करें और कितना सरमायेदार हमारी यूनियन्स में पार्ट प्ले करता है वह हम देखते और जानते हैं।

तो आज हमारे इस ऐक्ट में यह हो जाय या वह हो जाय यह ज्यादा महत्व पूर्ण नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा महत्व मैदान में है जहां उसको बतलायें कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम हिन्दुस्तान की आर्थिक आजादी की फौज के सिपाही हो। और उसके अन्दर वही जोश और उमंग हो जो कभी हम लोगों में हिन्दुस्तान की आजादी के लिए हुआ करता था और उसके लिए कभी हम सब लोग इकट्ठे हो कर लड़े थे, जैसे हमने आजादी की लड़ाई जब लड़ी थी उस वक्त न कम्युनिस्ट थे न सोशलिस्ट और न कांग्रेसी। सब तिरंगे झंडे के नीचे थे। उसी तरह आज नैशनल एकानोमी फ्रंट पर इकट्ठे होने की जरूरत है। अगर हम इसमें कामयाब हुए तो इस ऐक्ट में चाहे जितनी खामी हो आप अपने तरीकेकार से सवार हों जायंगे। जितना इसके अन्दर प्रतिबन्ध लगा कर रेगुलेट करने की कोशिश की गयी है वह उचित ही है क्योंकि इसके मानी यह हैं कि हम आज मजदूर को आगे आने वाली इंडस्ट्री में अपना चार्ज लेकर आगे चलने के लिये ट्रेन कर रहे हैं, उसकी, एक ढंग से आगे चलने के लिये आदत डाल रहे हैं, और अगर यह चीज देखनी है तो कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स (Conciliation Proceedings) में देख लिया जाय कि वह कैसे मांग पेश करता है। ऐसे पेश करता है जैसे पब्लिक मीटिंग में खड़े हो कर कहा जाता है। वह टू दि प्वाइंट (to the point) पेश करने की बात ही नहीं कर पाता जब तक उसके साथ बाहर के लोग नहीं होते हैं या उनको बाहर के लोगों ने ट्रेन नहीं किया होता है। आने वाले वक्त में जब कि हम यह मकसद रखते हैं कि इंडस्ट्री को अपने अधिकार में ले कर चलायेंगे और कैपिटलिस्ट (capitalist) को इलीमिनेट (eliminate) कर देंगे उस वक्त की तैयारी के लिए क्या इतना ढीलापन मददगार है? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस ऐक्ट के अन्दर जितनी चीजें दी गयी हैं। उनमें कोई बात ऐसी नहीं जो मजदूर हित के खिलाफ जाती है या जो किसी तरह से रिऐक्शनरी (reactionary) कही जा सकती है।

इसके मुताल्लिक मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ यह इशारा करूंगा कि केराला के मुख्य मंत्री ने जब अपनी सरकार बनायी तो उन्होंने पालिसी स्टेटमेंट दिया था। उसको पढ़ने से आपको मालूम होगा कि सबसे पहली चीज जो पालिसी स्टेटमेंट में कही गई वह यह थी कि हमें मजदूरों के और मैनेजमेंट्स के मामले की रेगुलेट करना चाहिये ताकि हमारे इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स आसान से आसान तरीके से, कम से कम समय में तय हो सकें, हमारे देश के अन्दर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर नुकसान न पहुंचे।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। आजादी की तहरीक चली, सिपाही मरा, गवर्नमेंट के वफ़ादारों ने फ़ायदा उठाया। आज भी इस आर्थिक तहरीक के अन्दर मजदूर आगे बढ़ेगा, चूंकि यह आर्थिक तहरीक है इसलिये यह मैं आपसे बतलाये देता हूं कि कदम-कदम पर जिस समय भी जरूरत आयेगी उसके लिये सेक्रीफाइस यही करेगा और उसकी इस स्पिरिट को डेवलप करने के माने यह न मान लिये जायं कि मजदूर को लूटे जाने की बात की जा रही है। इस बैकग्राउन्ड (background) के साथ अगर आप इन सब चीजों को

[डाक्टर जयगोपाल]

सोचेंगे और एक अपना ध्येय बना कर उसके ऊपर चलेंगे और बात करेंगे, तो मैं कहूंगा न आपको इस बिल में और न जिस ढंग से गवर्नमेंट इन चीजों को रेगुलेट करना चाहती है कोई बुराई और खराबी की बात मालूम होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विवाद पर बोलने की प्रेरणा माननीय तिवारी जी, माननीय गोविन्द सहाय जी और माननीय गेंदासिंह जी के भाषणों से मिली। लेकिन अपनी बात कहने से पहले मैं आवश्यक समझता हूं कि माननीय हरीसिंह जी ने जो सत्य और स्पष्टवादिता से काम लेने का सराहनीय साहस दिखाया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद दूं। उन्होंने यह कहा कि इस विवाद में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनमें से एक भी सच्चा मजदूर कार्यकर्ता नहीं है। अगर उनकी यह बात ग़लत भी हो लेकिन चूंकि इस गलती में वे बहुगुणा जी को और श्रम मंत्री जी को भी शामिल करते हैं तो साहस की बात तो है ही चाहे सत्य हो या न हो और गोविन्द सहाय जी को भी उन्होंने उसमें शामिल कर लिया। इसी तरह से इससे ज्यादा साहस की बात उन्होंने उस समय कही जब यह कहा कि जो लोग मजदूर आन्दोलन के नेता बन जाते हैं और जो मंत्री बन जाते हैं वह भी मजदूर वर्ग के लोग न हो करके सवर्ण लोग होते हैं। तो यह भी एक साहस की बात कह गये और तीसरी बात उन्होंने यह की कि जो बातें विरोधी दल के लोगों ने कहीं उनमें से बहुत सी बातों का समर्थन किया, जैसे खेतिहर मजदूरों के मुताल्लिक कि उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है। शायद वह यह न समझ पाये हों कि यह सरकार की आलोचना है या विरोधी दल की। इसके अलावा अन्तिम वक्ता महोदय ने नेशनल इकोनोमिक फ्रंट (National economic front) के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है मैं उसकी ताईद करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह अनुभव करता हूं कि केवल नेशनल इकोनोमिक फ्रंट पर ही नहीं, किसानों के फ्रंट पर भी, केवल इकोनोमिक फ्रंट पर ही नहीं, इकोनोमिक और सोशल, दोनों फ्रंट्स पर विभिन्न पार्टियों का आपस में लड़ते रहना यह सामाजिक और आर्थिक जन-क्रान्ति के लिये हानिकारक है। और मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि जो बातें अन्तिम वक्ता महोदय ने कही हैं उनसे हमारा हृदय परिवर्तन हो और हम लोग सब मिल कर काम करें।

मैं इस झगड़े में न पड़ूंगा, क्योंकि इस विधेयक का नाम ही औद्योगिक झगड़ा विधेयक ऐसा है, तो इसमें काफी झगड़ा बढ़ने का भय है, यद्यपि इसका उद्देश्य झगड़ों का निपटारा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसका नाम आप ही शुरू करा गये थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जी हां। लेकिन मैंने उस समय भी इस नाम का विरोध किया था। इसमें झगड़ों के निपटारे का उद्देश्य है तो मैं उस उद्देश्य पर ही जाऊंगा। माननीय गोविन्दसहाय जी ने, इस बात पर आपत्ति की कि माननीय नारायणदत्त जी ने इसको रिऐक्शनरी बताया। मैं इस झगड़े में तो पड़ूंगा नहीं कि अग्रगामी है या प्रतिगामी। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आजकल तो कम से कम इस सदन के इस तरफ और उस तरफ दोनों ही तरफ, के लोग समाजवाद की दुहाई देते हैं और जब सभी सोशलिस्ट हैं तो मैं तो उन लोगों में से हूं कि सालिग्राम की बटिया क्या छोटी क्या बड़ी सब एक सी, हमारे लिए तो सब देवता ही है। इसलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा कि कौन अग्रगामी है कौन प्रतिगामी। लेकिन एक बात स्पष्ट है और उसमें मुझे माननीय गोविन्दसहाय जी के भाषण से बल मिलता है, समर्थन मिलता है। वह यह कि इस बात में समाजवादियों में और प्रगतिशीलों में तीव्र मतभेद है कि इस बिल में जो संशोधन किये गए हैं उससे मजदूरों के हित बढ़ते हैं या कम होते हैं। मैं और आगे चला जाऊँगा और माननीय गोविन्दसहाय जी

की इस बात को मान लूंगा कि यह बिल मासूम है। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन माननीय गोविन्दसहायजी की इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि इस अच्छे बिल में भी, इस मासूम बिल में भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई अधिक सुधार और हो सके, जितना अधिक इम्प्रूवमेंट और हो सके वह किया जाना चाहिए इससे भी अच्छा हो सके तो बनाना चाहिए। जितना अधिक मजदूरों के लिए हितकर हो सके उतना ही अच्छा है। जो मतभेद यहां प्रकट किये गए हैं, मैं यह मानता हूँ, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अन्तिम वक्ता ने जो भाषण दिया उनकी बहुत सी बातों का, उनकी युक्तियों का, मजदूर आन्दोलन के उनके अनुभव और ज्ञान का मेरे हृदय पर प्रभाव पड़ा, हलकेपन के साथ मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। लेकिन इसी तरह से माननीय तिवारी जी की शंकाओं और आपत्तियों की भी मैं हलकेपन के साथ उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि इस झगड़े का निपटारा यहां मौजूद है और वह माननीय जगन्नाथ लहरी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसमें मौजूद है। उसमें दोनों बातें पूरी हो जाती हैं। आप इस संशोधन विधेयक को इसी सत्र में पास कर सकते हैं। अगस्त तक पास कर सकते हैं। केवल १५ दिन की बात कही गई है और यह बात कि और चीजों में भी संशोधन हो, पुराने मूल ऐक्टमें भी संशोधन किया जाय, तो उसकी परिधि बढ़ाने की बात भी कही गई है।

गोविन्दसहाय जी ने एक बात कही कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और जैसा कि मैं बराबर कहता रहा हूँ कि इस सदन में विचार से प्रवर समिति में विचार कहीं ज्यादा शान्तिमय वातावरण में होता है। यहां तो हम जो कुछ बात करते हैं, एक तो आपके द्वारा करते हैं, सीधे एक दूसरे से नहीं करते। हिन्दू अध्यात्मशास्त्र में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि पहला स्टेज आत्म-विकास की और ब्रह्मज्ञान की यह है कि ओम् तत्सत। इट इज दैट (it is that)। यानी एक थर्ड परसन। तो यह है 'ओम् तत्सत' हम यहां पहुँचते हैं। आगे नहीं पहुँचते हैं। इससे आगे जो दूसरा स्टेज है वह है तत्वमसि। तो प्रवर समिति में हम तत्वमसि तक पहुँच जाते हैं। दाऊ आर्ट दैट (thou art that)। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम माननीय बहुगुणा जी इस बात की आवश्यकता को अनुभव करेंगे और इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में दो उदाहरण मैं अपने अनुभव से दे सकता हूँ।

माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि हमारे तीन विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द हुए। एक प्रक्रिया नियमावली, दूसरा नगर निगम विधेयक और तीसरा बिक्री-कर विधेयक। बिक्री कर विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव करते हुए मैंने जो बात कही थी उसका परिणाम यह हुआ कि जब वह विधेयक यहां आया तो एक घंटे के अन्दर ही वह यहां से पास हो गया। तो जो समय बचाने की बात गाविन्दसहाय जी ने कही थी वह समय भी ज्यादा बचता है अगर हम प्रवर समिति में इस पर अच्छी तरह से विचार कर लें। प्रवर समिति की मनोवृत्ति यहां की मनीवृत्ति से भिन्न होती है। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय को स्वयं ही मालूम है कि प्रक्रिया नियमावली में जितने भी निर्णय हुए सब सर्वसम्मति से हुए, निर्विरोध हुए। सब पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। वहां का वातावरण शान्ति का व विचार का वातावरण होता है और यहां का वातावरण विवाद का, एक दूसरे पर आक्षेप करने व प्रहार करने का होता है। इसलिये उस वातावरण में इस पर विचार होना चाहिये और खास कर नगर निगम विधेयक में लगभग यही हो रहा है। इसलिये मैं समझता हूँ कि सरकार की ओर से माननीय लहरी जी का जो प्रस्ताव है, जो कि इस विधेयक से भी ज्यादा मासूम है, स्वीकार कर लिया जाय तो जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा इस पर समझौता हो सकता है और इसके मान लेने से समय बच सकता है, विवाद बन्द हो सकता है और उसके बाद

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जब प्रवर समिति से यह विधेयक यहां आयेगा तो बिना किसी विशेष बहस के यह विधेयक पास हो सकता है। इसलिये मैं, आपके द्वारा, सरकार से यह अपील करता हूँ कि लहरी जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने की प्रेरणा इसलिये मिली कि यह विधेयक कुछ मौलिक तथ्यों से परे है और नैतिक तथ्यों का इसमें हनन होता है। जहां तक इस विधेयक की धारा २ का प्रश्न है उसमें सामाजिक न्याय को हटा कर अब राष्ट्र अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय रख दिया गया है। इससे मुझे कुछ बातों का सन्देह होता है कि सामाजिक न्याय की बातें उसमें विद्यमान थीं। वह इतना व्यापक है कि उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जिससे यह भावना उत्पन्न हो सके कि अब तक जो हड़तालों का संगठन किया गया वे राज्य या राष्ट्र के अहित में थीं। अगर मान लिया जाय या कुछ देर के लिये कि यह सही भी हों कि वे राज्य व राष्ट्र के अहित में थीं तो जो चीजें मूल रूप से देश में चल रही हैं उनके लिये सरकार ने क्या किया। यह तो एक छोटा सा बिल है जो मजदूरों के झगड़ों से सम्बन्धित है, उसमें सरकार ने राज्य व राष्ट्र की दुहाई दी लेकिन देश में जो अन्य अव्यवस्थाऐं चल रही हैं और जिनमें सरकार चुप है वहां राज्य व राष्ट्र के अहित का प्रश्न नहीं हुआ।

दस साल हो गये। यह निर्णय हुआ था कि राष्ट्रभाषा हमारी हिन्दी है, अंग्रेजी समाप्त की जाय। यह घोषणा हमारा संविधान करता है, लेकिन आज तक प्रदेश की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे अंग्रेजी की समाप्ति होती। हमारा सूबा देश के उन सूबों में से है जहां से यह प्रेरणा मिलनी चाहिये थी कि अंग्रेजी समाप्त हो। इस सम्बन्ध में सरकार कोई ऐसा कदम उठाती जिससे तमाम देश को प्रकाश मिलता। अगर तब इस राज्य व राष्ट्र के अहित की बात कही जाती तो समझ में भी आती। लेकिन जाहिर है प्रश्न मूल नीति का है।

आज खरीदार और बेंचने वाले दोनों में कहीं न्याय की भावना नहीं है। गल्ले के मूल्य के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। इस नीति पर किसी सरकार की कसौटी हुआ करती है, लेकिन इतने मूल प्रश्न को जो राज्य व राष्ट्र के हित व अहित का प्रश्न है उसको छोड़ दिया जाता है। वह प्रश्न नहीं उठाया जाता है, जिस पर हमारे राष्ट्र और राज्य का भार है, जिस पर हमारे देश की ३९ करोड़ जनता खड़ी है और जिसके लिये त्राहि-त्राहि मच रही है, उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन यहां पर राष्ट्र और राज्य का प्रश्न है। असल में यह भावना का भी प्रश्न है। आप मजदूरों पर आक्षेप करते हैं, मजदूरों की भावनाओं पर कुठाराघात करते हैं कि वह राज्य और राष्ट्रीयता की भावना से परिचित नहीं होते हैं बल्कि उसके खिलाफ होते हैं। मैं समझता हूं कि यह देश की और खास तौर से प्रदेश की जनता के ऊपर और विशेष कर मजदूरों के ऊपर लांछन है। मैं समझता हूं कि मजदूरों के बीच में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा और इसका विरोध करेगा। यह भावनाओं पर कुठाराघात करता है। इसलिये ऐसी भावना को शामिल करना जो हमारे भावों को कुचले, हमारे सम्मान पर, जनता के सम्मान पर और राष्ट्रीयता की भावना पर आक्षेप लगाती हो हम समझते हैं कि इसको स्वीकार नहीं होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ बड़े मजे की बात यह है कि धारा २ में एक तरफ तो राष्ट्र और राज्य की व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है और दूसरी तरफ धारा १ में समिति का संगठन किया गया है। उसमें मुख्य सचिव और श्रम सचिव ऐसे व्यक्तियों को रखा गया है कि जो सीधे-सीधे संबंधित हैं और राज्य के काम से भी संबंधित हैं। अगर यही व्यवस्था का प्रश्न है तो यह संसार की न्याय नीति से और मौलिक सत्य से परे हो जाता है। मैं नहीं समझता कि वह कहां तक न्याय करने में समर्थ होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो स्पष्ट मत है और मैं समझता हूं कि सदन का भी स्पष्ट मत होगा कि यह जो दोनों धारायें रखी गई हैं तो इसका मतलब यही है कि सरकार मजदूर आन्दोलन को और मजदूर स्वार्थों को दबा देना चाहती है और इसकी सांठ-गांठ मिलमालिकों से है। अगर ऐसा न होता तो मुख्य सचिव और श्रम सचिव, जो न्याय नीति के विरुद्ध हैं, इसमें न रखे जाते। अपने आदमियों को रख कर मिलमालिकों को फायदा पहुंचाने की बात है। यह प्रश्न आज लोक सभा में भी उठाया जाता है और यहां भी उठाया गया होगा कि सत्तारूढ़ दल ने इलेक्शन के वास्ते पूंजीपतियों से रुपया लिया। इस धारा में खासतौर से संकेत है। जब आप अपने आदमियों को रखेंगे तो पूंजीपति लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग देंगे जिससे मजदूरों के स्वार्थों का हनन होगा और उनके स्वार्थ पूरे होंगे। इसलिये हम राष्ट्रीयता शब्द को हटाना चाहते हैं। यह हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है और मौलिकता के विरुद्ध है। यह मजदूरों की अर्थ व्यवस्था को दबायेगा और मजदूरों पर संकट आ सकता है। जब यह निश्चित रूप से कार्यान्वित होगा और सरकार अपनी बात पर कायम रही तो इसका एकमात्र परिणाम यही होगा कि तमाम प्रदेश में त्राहि-त्राहि मच जायगी।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और कोरम के अभाव में ९ मिनट विलम्ब से अर्थात् २ बजकर २४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक की धारा ४ और २ दोनों को एक साथ पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि समिति के श्रम सचिव और मुख्य सचिव राज्य अर्थ व्यवस्था के नाम पर मिलमालिकों का साथ देंगे। इससे मजदूरों का हित-साधन नहीं होगा और मिलमालिकों और पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनेगा।

अब मैं धारा ६ के सम्बन्ध में यह कहता हूं कि प्रजातंत्र का नारा लगाते हुये सरकारी पक्ष की ओर से बहुत लम्बी-लम्बी बातें की जाती हैं। जब कभी इस पक्ष के लोग प्रजातन्त्र के हनन होने, उसका विकास न होने की बात कहते हैं तो उस तरफ से बार-बार यह कहा जाता है कि इस पक्ष के लोग इस तरह से कहने के आदी हो गये हैं। लेकिन इस धारा को भली-भांति पढ़ने से यह प्रतीत होगा कि इसमें प्रजातंत्र का कहीं नामोनिशान नहीं रह गया है।

यह सबका एक हक है कि आपस में मिलकर अपना एक संगठन बनायें और अपने विचारों को स्वेच्छापूर्वक रखें और अपनी नीति को स्पष्ट करें। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के विकास के लिये यह आवश्यक ही नहीं बल्कि नितान्त अनिवार्य है कि इस प्रकार के संगठन बनें और उनके द्वारा लोग खुल करके काम करें। उस पक्ष के कुछ वक्ताओं ने कहा है कि अगर मजदूरों की ज्यादा यूनियनें बन जायेंगी तो उनमें विभाजन हो जायगा और उससे इस देश को हानि पहुंचेगी। मैं इससे अपने को सहमत नहीं पाता हूं। यूनियनों का बनाना विचारों का द्योतक है। इसमें यह कहा जायगा कि मजदूरों के स्वार्थों को लेकर के नहीं बनाने की बात है बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों की बात है तो फिर यह बात तो बड़ी यूनियनों के लिये भी कही जा सकती है क्योंकि शोषण की प्रवृत्ति यदि छोटों में उठ सकती है तो बड़ों में भी उठ सकती है। तो यह तर्क बिल्कुल निराधार और तथ्यहीन है।

अब अगर इस सरकार के दावे को देखा जाय कि यह इसलिये किया गया है कि शोषण बचे तो उसके सम्बन्ध में एक बात है कि अगर छोटी यूनियनें बनती हैं तो जो संगठन बनाते हैं उन इन्सानों के मस्तिष्क पर हमें विश्वास नहीं है और यह जनतंत्र के लिये कहां तक उचित है। देहात में कहा जाता है कि 'आदमी अजान और गदहा बरियार' नहीं हुआ करता। अगर हम आदमी की बुद्धि पर विश्वास नहीं करते तो यह क्या प्रजातंत्र हुआ?

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

अगर मजदूर संगठन बनायेंगे तो एक साथ चलने की क्षमता, विचारों की समानता और साथ ही एक कार्यप्रणाली का उनको ज्ञान होगा। अगर इन बातों को हम नहीं समझ सकते तो फिर मैं समझता हूं कि जनतंत्र का विकास नहीं हो सकेगा।

दूसरी बात एक और है कि कुछ यूनियनें जो आज राष्ट्रीय मानी जाती हैं, हो सकता है कि विशुद्ध मजदूर स्वार्थों को लेकर, देश और राज्य के हितों को ध्यान में रख जो लोग अपना एक आंदोलन चलाना चाहते हैं और किसी और मजदूर संगठन की कठपुतली नहीं होना चाहते, उनके लिये इसमें बड़ी भारी अड़चन पड़े और सरकार की प्रजातंत्र की बात कहने भर के लिये रह जाय।

मुझे सरकार के इस कानून को देख कर हंसी आती है कि इसमें वही उक्ति चरितार्थ होती है कि जिस डाल पर बैठो उसी को काटो। एक तरफ तो यह प्रजातंत्र का गुण है और वास्तविकता है कि हम एक सदन में सब लोग बैठ कर देश और राज्य की समस्याओं पर विचार कर कुछ नियम बनाते हैं और दूसरी ओर मजबूर संगठनों को इसलिये पंगु बनाने जा रहे हैं कि केवल इनके दो एक संगठन पनप सकें और खास कर उन दलों से जो संचालित ट्रेड यूनियन्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले और वह मजबूत बनें। तो महज इस तरह से मजदूरों के अधिकारों को संकुचित करके, उनके अधिकारों पर कुठाराघात करके कोई यूनियन सफल नहीं हो सकती है। देश और काल की परिस्थिति को ध्यान में रख कर ही उनके संगठन को मजबूत बनाया जा सकता है। यदि सरकार दूसरी यूनियन्स को भी वही सुविधायें नहीं देती तो मैं कहूंगा कि सरकारी पक्ष की ओर से जो यह प्रजातंत्र का नारा बुलन्द किया जा रहा है वह असत्य सिद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मुझे एक और ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि उसमें दो साल के लिये यूनियनों के वादों के प्रतिनिधित्व पर पाबन्दी लगा दी गई है कि वह ऐसे मुकदमों में भाग न ले सकेंगी। उनको प्रस्तुत नहीं कर सकेंगी। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि सरकार को हर जगह इस बात की आशंका है कि सिवाय उसके लोगों के और कोई आदमी अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं है। यही नहीं जो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हैं, राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत जो प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने हाल ही में बतलाया था कि अंग्रेजी भाषा का प्रश्न है। यह भाषा आज गुलामी की प्रतीक है। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस बात का विरोधी न होगा कि यह अंग्रेजी शासन और गुलामी की प्रतीक है। लेकिन उस राष्ट्रीय भावना को उद्भूत करने के लिये सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया और जब कहा जाता है कि सचिवालयों और सरकारी कामों में हिन्दी काम में लाई जाय, टेलीप्रिंटर्स, टेलीग्राम्स, स्कूलों, कालेजों, और दूसरी जगहों पर हिन्दी काम में लाई जाय जहां से कि देश और प्रदेश के चरित्र पर उसका एक प्रभाव पड़ सकता हो, वहां से अंग्रेजी समाप्त कर दी जाय तो कहा जाता है कि हमारे पास शब्द-कोश नहीं है, इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि हमारे न्यायाधिकार में यह व्यवस्थायें नहीं हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विधेयक से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह की बातें हैं। मैं संगत बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि उसके लिये भी कहा जाता है कि शब्द-कोष नहीं है। यह तो इस तरह की बात मालूम होती है कि किसी आदमी को तैरना सिखाने के लिये उसे जमीन पर खड़ा करके तैरना सिखा दिया जाय और उसके बाद पानी में डाल दिया जाय। इससे वह डूब जायगा। दो साल तक यूनियनें काम कर चुकें तब उनको प्रतिनिधित्व मिले यह इसी तरह की बात है। वह दो साल के समय तक क्यों रुकी रहें इसके लिये माननीय मंत्री महोदय ने कोई तर्क नहीं दिया। मैं समझता हूं कि जब तैरना सिखाना है तो पानी में डाल कर ही तैरना सिखायें। प्रजातंत्र के हिसाब से यदि यूनियनें को अधिकार देना है तो उनके अधिकारों को संकुचित न करके जो है वही दें। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन

करूंगा कि इससे केवल मजदूरों के अधिकारों और स्वार्थों का ही हनन नहीं होता है बल्कि प्रजातंत्र और जनतांत्रिक प्रणाली पर भी एक कठोर आघात होता है और जिसके लिये हम सबको इसका विरोध करना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं इसमें कुछ कानूनी अड़चनें भी आ जाती हैं। इस धारा में जो मैंने अभी निवेदन किया है इतनी अड़चनें ही नहीं हैं इसके साथ-साथ कुछ और भी अड़चनें मौजूद हैं जिनको खासतौर पर कानूनी अड़चनें कहा जाता है। यह जो संस्था बनाने की बात रखी गयी है इसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान संविधान की धारा १९ की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि 'सब नागरिकों को संस्था या संघ बनाने का अधिकार होगा ।' इसमें यह कहा जाता है कि उनको यूनियन बनाने का अधिकार है, लेकिन वह २ साल तक बाद में पैरवी नहीं कर सकते। उनको रोका गया है। अगर धारा १९ के साथ धारा १४ को पढ़ा जाय जिसमें यह है कि "भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायगा" अगर इस कानून को पास कर दिया जाय और यह सदन इस कानून को पास करने के बाद समझे कि उसने कोई ऐसा काम किया है जिसके बारे में उसकी कोई त्रुटि नहीं है तो मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में जाकर इसके खिलाफ जवाब देना होगा। उस वक्त यह फैसला होगा कि यह कानून दूसरी यूनियन को कम अधिकार देता है और उनमें फर्क करता है। विधि के समक्ष यह समानता स्थापित नहीं करता। इस बिना पर यह कानून रद्द हो जायगा जिसमें सदन के सम्मानित सदस्यों का भी अपमान होगा। इसलिये इस धारा को यहां से हटा देना चाहिये। अगर ऐसा हो रहा तो यह कानूनी आपत्ति उपस्थित होगी और इस बिल को फिर हाउस के सामने लाना पड़ेगा और सदन का समय और धन भी बरबाद होगा।

श्रीमन्, अब मैं इस विधेयक की धारा ७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें हड़ताल की नोटिस के लिये कहा गया है कि एक महीने के अन्दर हड़ताल करने का उनको नोटिस देना चाहिये। सभी लोग जानते हैं कि जब हड़ताल का प्रश्न उपस्थित होता है उस समय कोई गम्भीर परिस्थिति खड़ी हो जाती है। जब मजदूर मजबूर हो जाते हैं। तब विवश होकर हड़ताल का आश्रय लेते हैं। वैसे हड़ताल आसान चीज नहीं है। मजदूर नेता इसको जानते होंगे कि हड़ताल कोई मजाक नहीं है। जब मजदूरों को कठिनाई महसूस होती है तब वे हड़ताल करने पर उतारू होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य, जरा पैर नीचे करके कृपया बैठिये ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--तो श्रीमन्, उसका प्रोसेस इतना लम्बा है कि महीनों मजदूरों को अपना फैसला लेने में लग जाते हैं कि वह हड़ताल करने जा रहे हैं। इन तमाम बातों में काफी दिन लग जाते हैं। इसलिये मैं उचित नहीं समझता कि इसको रखा जाय। मैं समझता हूं माननीय सदस्य भी इसको मजदूरों के हित में नहीं समझेंगे कि एक महीने या १५ दिन के लिये उनको रोका जाय कि इतने दिनों तक वह आंदोलित मानसिक दशा में रहे और निश्चित फैसला न कर सकें। इसलिये इसमें जो मियाद रखी गयी है वह मियाद मजदूरों के हित की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है और ऐसी मियाद होना उनके लिये अधिकारों पर कुठाराघात करना है।

इसके बाद धारा ७ की उपधारा ६ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस धारा ६ में आप इस बात को रखना चाहते हैं कि लोग उकसावें नहीं और वह किसी तरह से ऐसा कार्य न करें। जब देश में आपने अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी है तो जब तक वह राज्य को उलटने या हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिये प्रोत्साहन नहीं देता है तब तक बोलने पर पाबन्दी लगाई जायगी या जनता के भावों को दबाया जायगा, तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार प्रजातंत्र की रक्षा हो सकेगी। यह धारा अनावश्यक भी प्रतीत होती है। अभी-अभी सदन में उस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस धारा से कोई काम नहीं चलाना है और सरकार ने अभी तक किसी हड़ताल की अवैधानिकता के विरुद्ध

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

कोई कार्यवाही नहीं की है इसलिये इस धारा पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जब हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा कि एटम बम बनने से शांति भंग होने का भय है तो सभी देशों ने कहा कि एटम बम का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। इसी प्रकार इस धारा का प्रयोग नहीं होगा तो इसे बनाया क्यों जा रहा है? इसके प्रयोग से निश्चित रूप से नागरिक स्वतंत्रता का हनन होगा।

श्रीमन्, यहां पर सरकारी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो नेता लोग यहां बोल रहे हैं, ज्यादातर मजदूरों के नेता उनका शोषण कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगर इस प्रकार की बात है तो यह विडम्बना है। लेकिन अगर प्रजातंत्र को आगे बढ़ाना है, जनतंत्र का विकास करना है, तो उसके लिये यह आवश्यक होगा कि इस तरह के संगठन चलें और मजदूर उन्नति करते-करते निकम्मे नेताओं को निकाल कर फेंक देगा। दबाने से तो विचारों में पंगुता आ सकती है और इससे समाज की कार्यक्षमता नष्ट होगी। अगर कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाय तो हमें दो बातों के बीच में सोचना है कि कम हानि किसमें है, प्रजातांत्रिक संगठनों को प्रोत्साहन देकर या उनकी शक्ति, क्षमता और व्यापकता को संकुचित करके। मैं समझता हूं कि सदन की राय इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह होगी कि जनतांत्रिक संगठनों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये और उनकी स्थापना दृढ़ होनी चाहिये। यह भी कहा गया जिसमें विरोधी पक्षवालों को खासतौर से इंगित था कि खेतिहर मजदूरों के लिये वे इस प्रकार के संगठन की मांग क्यों नहीं करते हैं? इसकी मांग सोशलिस्ट पार्टी की ओर से अभी हाल में हुई और उसे लेकर सत्याग्रह करके ३,५०० आदमी जेल में बन्द हैं। उन्होंने कहा कि खेतिहर मजदूरों की निम्नतम मजदूरी तय हो, परन्तु इसके लिये सरकार दोषी है। इस तरह की बातें जो कही जाती हैं केवल सारहीन और निरर्थक बहाने हैं जिनके कारण यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि विरोधी पक्ष के लोग कोई गम्भीर बात नहीं कहते हैं। इन तमाम बातों के आधार पर जो मैंने कही हैं मैं अपने को इस विधेयक से सहमत नहीं पाता हूं और यह महसूस करता हूं कि अगर इसको इस रूप में पास कर दिया जायगा तो निश्चित रूप से तमाम मजदूरों का अहित होगा और जनतंत्र प्रणाली पर बहुत बड़ा अवरोध आ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं वह यह कि इस विधेयक को पारित करने के लिये आज पांच बजे तक समय नियत किया गया है। अब केवल सवा दो घंटे बाकी हैं। संशोधनों पर वादविवाद के लिये अधिक समय मिले इसके लिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि अब मंत्री जी को इसके लिये समय दे दिया जाय। जो माननीय सदस्य बोलने के लिये उत्सुक हैं वे यदि संशोधनों पर बोलें तो अच्छा होगा।

श्री रामायणराय--थोड़ा-थोड़ा समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--यदि और समय दिया जायगा तो संशोधन बिना बहस के ही पास हो जायेंगे। जिसे गिलोटीन कहते हैं, जैसा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में हुआ था। अगर इस पर और आप बोलेंगे तो पुनरोक्ति तो अवश्य होगी। इसलिये अगर उपयुक्त संशोधन के सिलसिले में अन्य माननीय सदस्य बोल लें तो अच्छा होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो विरोधी पक्षके बहुत से माननीय सदस्य जिनको इस विधेयक पर सख्त एतराज था वह इस समय सदन में मौजूद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो सरकारी पक्ष में भी होता है। वह नहीं हैं तो क्या, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, मेरा आक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वे होते तो मेरी बात को समझने का उनको अच्छा अवसर मिलता। खैर। मुझे आशा है कि जो उनके प्रतिनिधि यहां विराजमान हैं वे मेरी बात को उन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे।

कल से इस विधेयक के संबंध में जितना विचार हो रहा है उसमें एक बड़ी त्रुटि की बात, महत्वपूर्ण त्रुटि की बात यह आ गयी कि इस बहस के दौरान में हमारी सारी श्रम नीति को, सारी श्रमिक समस्याओं को इस बिल के साथ लाकर नत्थी कर दिया गया। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जब वोट आन ग्रांट आयेगी, जब हम सदन के सामने विभागीय खर्च के अनुदान मांगने के लिये आयेंगे, तब उन पर बात हो सकती है। इसलिये मैं मुख्य बातों का उत्तर थोड़े-थोड़े में इस समय दूंगा। यदि माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी बहुत सी बातों का उत्तर न मिल पाये तो उसका कारण यह नहीं है कि उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हमने उनके उठाये हुये प्रश्न नोट कर लिये हैं और हम उनके संबंध में अपनी बात वोट आन ग्रांट की बहस के समय देंगे।

आज जो भी वाद-विवाद सदन के सम्मुख हुआ है उसमें मुख्य रूप से तीन बातें उठायी गयी हैं, खासतौर से उन माननीय सदस्यों द्वारा जो उस तरफ से बोले हैं। एक तो उनको गलत-फहमी इस बात से है कि स्ट्राइक पर जाने के लिये ३० दिन का नोटिस देने की जरूरत है, उनके इस भ्रम को मैं दूर कर देना चाहता हूं। हमने इस विधेयक के द्वारा इतनी ही व्यवस्था की है कि अगर कोई मजदूर यूनियन इस बात का प्रस्ताव पास कर दे कि उसको हड़ताल करना है तो उसको कम से कम १४ दिन का नोटिस मिल मालिकों और तत्संबंधी अधिकारियों को देना होगा। १४ दिन का नोटिस देने के बाद वे ऐसी नोटिस देने के ३० दिन तक किसी भी दिन डेट आफ स्ट्राइक मुकर्रर कर सकते ह अर्थात् १५ दिन से ३० वें दिन तक वे स्ट्राइक कर सकते हैं। १४ वें दिन तक स्ट्राइक नहीं कर सकते। यह जरूरी नहीं है कि १५ वें दिन ही स्ट्राइक करें, वे अपनी सुविधानुसार २१ वें दिन, १७ वें दिन, २५ वें दिन, २९ वें दिन, ३० वें दिन आदि किसी भी दिन स्ट्राइक करना तय कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई बात उनके हकों में कमी करने की यहां नहीं आती। माननीय नारायण दत्त जी तिवारी मेरे पुराने साथी हैं। बहुत अर्से से मैं उनकी बहुत सी बातों से वाकिफ हूं। उनमें एक बात यह भी है कि वह अपनी भावना में कभी-कभी पूरी दूरी तक जाकर प्रश्नों को देखने का कष्ट नहीं करते, जहां उनकी भावना से मेल खाती बात नजर में आयी, उसी को पकड़ कर वह बैठ गये। अब उन्होंने कहा कि "सेंट्रल ऐक्ट में स्ट्राइक करने की मियाद ४५ दिन है, लेकिन आपने ३० दिन ही रखा है।" हुजूरवाला, मैं कहता हूं कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि नोटिस की जरूरत ही नहीं है, और हमने ४५ दिन के बजाय ३० दिन ही कर दिया तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गयी। मैं नहीं समझता हूं कि हड़ताल करने के लिये ३० दिन के भीतर और १४ दिन के बाद वाली बात रखने में क्या बुराई है? इसमें प्रतिगामिता कहां है, मैं नहीं समझ पाया। हमारा कहना यह नहीं है कि हड़ताल कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हड़ताल कभी भी न हो।

एक बात यह भी कही गयी, हम हड़ताल करने के अधिकार को रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि जिस हालत में हम हड़ताल रोकने जा रहे हैं, उसी हालत में तालाबन्दी को भी रोक रहे हैं। मान लीजिये कि मजदूरों का कोई मामला किसी निर्णायक के सामने दिया गया हो, या कांसीलिएशन बोर्ड के सामने दिया गया हो या किसी मामले में पंचनिर्णायक ने कोई फैसला दे दिया हो और वह फैसला जितनी अवधि के लिये लागू हो, उस अवधि के अन्दर ही कोई श्रमिक हड़ताल करना चाहें या मालिक तालाबन्दी, तो उस समय हम हड़ताल या तालाबन्दी नहीं करने देंगे। क्योंकि यह चीज देश के हित में नहीं होगी। यह निर्णय इंडियन लेबर कांफ्रेंस ने पांचवी बैठक में भी मान लिया है, यह वही कान्फ्रेंस है, जो पिछले दिनों दिल्ली में हुई थी और जिसमें आई० एन० टी० यू० सी० के लोग थे, यू० टी० सी, ए० आई० टी० यू० के भी लोग थे तथा हिन्द मजदूर

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

सभा के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। इसके बाद भी आप चाहें कि हम उस हत्या में शामिल हो जायं जो आप समाज की, श्रमिक की या उद्योग की करना चाहते हैं, तो निश्चय है कि यह सरकार उस हत्या में शामिल होने वाली नहीं है। जबकि मामला पंचनिर्णायक के सामने मौजूद है, या कांसीलिएशन बोर्ड के सामने मौजूद है और फिर उसी को लेकर यदि आप हड़ताल करने के अधिकार को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसको यह गवर्नमेंट कभी भी नहीं मान सकती है। कोई भी सभ्य समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि जो काम नियम के अनुसार हो सकता हो उसे न करके हड़ताल का सहारा लिया जाय। इस बात को भी कोई नहीं स्वीकार कर सकता कि जब आपका जी चाहे तब कोई मामला पंच निर्णायक के सामने ले जायं और घंटे भर के बाद ही जी चाहे तो कहें कि नहीं हम तो हड़ताल करेंगे ही। मैं पूछता हूं कि आखिर यह कौन सा तरीका है ? हम इसको प्रगतिवादिता नहीं कह सकते हैं। किसी भी प्रगतिवादी समाज में इस तरह का काम नहीं किया जाता है। हां, दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां आज भी गोली की सजा मिलती है और वह भी सीने पर नहीं बल्कि पीठ पर गोली मारी जाती है, केवल इसलिये कि उसने मजदूर पंच-निर्णायक के सामने मामला न ले जाकर हड़ताल करने की ठानी। वहां हड़ताल देशद्रोह ही माना जाता है, अस्तु उसका प्रश्न उठता ही नहीं।

श्रीमन्, हमारी पंचवर्षीय योजना है यह राष्ट्रीय योजना है, इसको देश के सभी दल के लोग अंगीकृत करते हैं, मानते हैं। कुछ छोटे-मोटे दल भले ही इसको न मानें, लेकिन जो बड़े-बड़े राजनैतिक दल हैं वे इसको राष्ट्रीय योजना ही मानते हैं। इसको सफल बनाने के लिये जरूरी है कि इस तरह के नियम बनाये जायं जिसमें इसके सफल होने में कोई रुकावट न पड़े। हमारा यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट जो है, वह उस समय का है जिस वक्त कि माननीय पालीवाल जी इस प्रदेश के कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में तशरीफ रखते थे। सन् ४७ में यह ऐक्ट बना। उसमें हड़ताल रोकने की व्यवस्था की गयी है और उस की पहली पंक्ति में ही यह लिखा हुआ है कि हड़ताल और तालाबन्दी को रोकने के लिये तथा औद्योगिक झगड़ों के निपटारे के लिये यह विधेयक बनाया जाता है। इसके बनाने का मंशा यही है।

श्रीमन्, जहां क्रांति होती है वहां प्रतिक्रांति भी पैदा होती है। प्रतिक्रांति की रोकथाम न करना प्रतिगामिता है और देश के प्रति हमारा जो दायित्व है उससे मुख मोड़ना है। अस्तु हमारी प्रतिक्रांति पोषक स्थिति का बेजा लाभ न उठाये उसी के लिये यह औद्योगिक झगड़ों के नियम हमारे प्रदेश ने अंगीकृत किये हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि इस तरह की कोई चीज यहां लागू करें जिससे हड़ताल करना गुनाह हो जाय और मजदूरो के इस हक को छीनें, चाहे हड़ताल के न करने से मजदूरों का कितना ही नुकसान हो, हमारा ऐसा इरादा नहीं है। यह बात सच नहीं है। सच तो यह है कि आप देखें कि जिन चीनी मिलों में पहले सन् ४२-४३-४४ में मजदूर ५ आना रोज मजदूरी पाता था उसकी वह मजदूरी अब ६५ रुपये प्रति मास तक पहुंच गई है और बोनस के मामले में भी हम कह सकते हैं कि वह एक Exgratia payment नहीं रह गया बल्कि मजदूर के हक की चीज बन गया जिसे वह मांग सकता है और मजदूरों की स्थिति में काफी वृद्धि हुई है और हम कह सकते हैं कि यह सब बहुत कुछ आपस की बातचीत और समझौते से हुई है और मैं यह भी कह सकता हूं कि यही चीज अगर केवल दबाव से आई होती तो मजदूरों के जो सच्चे हकूक हैं उनका हनन हो गया होता। मुझे अफसोस है कि इस तरह से हड़ताल के मामले को लेकर अनेक बातें कही गई। कहीं पर तो एक माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया कि सरकार मालिकों की दलाल है, क्योंकि वह लोग सरकारी सेल्स टैक्स वसूल करते हैं और इसीलिये यह सरकार पूंजीपतियों की दलाली करती है। सेल्स टैक्स की वसूली की जाती है और इसीलिये सरकार पूंजीपतियों की दलाल है, ऐसी बेबुनियाद

बात वह बशौक कहें, लेकिन सरकार मजदूरों के लिये क्या कर रही है यह तो सभी समझ सकते हैं।

हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में एक स्कीम है और उस स्कीम को इस सदन ने स्वीकार किया है। उसके अनुसार बिना नोटिस के हड़ताल या तालाबन्दी दोनों गैरकानूनी हैं, एक सज्जन ने कहा था कि गैर कानूनी हड़तालों में भी सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर इस तरह की गैरकानूनी चीज होती है तो उसको गवर्नमेंट रोकेगी और जब तक सदन की स्वीकृति उस के लिये है तब तक पूरी ताकत के साथ उसको रोकने में और अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में कोई कमी यहां पर और सदन के बाहर सरकार नहीं रहने देगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कोई इल्लीगल हड़ताल करता है तो हमारी ओर से कोई कार्यवाही नहीं होती। यह बात गलत है, हमारी तरफ से गलत हड़ताल करने वालों को सजा निश्चय ही दी जायगी, जब कोई हड़ताल मेलाफाइडी कारणों से हुई, हो या उस में प्रोवोकेशन नहीं हुआ है, तो सजा जरूर दी जायगी। गवर्नमेंट देख लेगा कि कहीं ऐसा तो, नहीं है कि वाकई मजदूरों को मिलमालिकों ने परेशान ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको हड़ताल के लिये मजबूरन आमादा होना पड़ा है, इस तरह के तमाम कारणों को गवर्नमेंट देखेगी और देखेगी कि हड़ताल के कारण कैसे हैं। लेकिन अगर सरकार समझती है कि जानबूझकर शरारत के लिये, उद्योग और उत्पादन को क्षति पहुंचाने के लिये ऐसा किया गया है और उससे प्रदेश को आर्थिक क्षति पहुंच सकती है तो उस चीज को वह कभी भी माफ नहीं करेगी। अगर हमें सदन ने ऐसा गलत चीज को रोकने की शक्ति दी है तो हम पूरी ताकत से ऐसी गल्तियों का मुकाबला करेंगे और इस तरह की हड़तालों को रोकेंगे।

अभी माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि जैसा इस विधेयक में है उस तरह से हड़तालों की रोकथाम कहीं भी नहीं की जा रही है। ऐसी बात नहीं है मैं कहता हूं कि यह सब जगह है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल ऐक्ट में केवल पब्लिक यूटिलिटी वाले, विभागों के हड़तालों की रोकथाम की व्यवस्था के लिये है। मैं उन्हें बता दूं कि मध्य प्रदेश ने कानून बनाया है, बम्बई में अपना कानून बना है, मदरास ने बनाया और इनके अलावा अन्य प्रदेशों में अभी सेंट्रल ऐक्ट ही लागू होता है। हम जानते हैं कि सेंट्रल ऐक्ट में भी यही शर्तें हैं जिनको हम इस बिल के द्वारा ला रहे हैं, यानी यह तमाम शर्तें इंडस्ट्रीयल डिसप्यूट्स ऐक्ट, १९४७ में मौजूद हैं। और उसमें एक चीज और जरूर है कि पब्लिक युटिलिटी कनसर्न्स पर अकेले प्रतिबन्ध लगा है पर वह उद्योग भी उसमें शामिल हो सकते हैं जो कि शिड्यूल में हैं, अब कौन उद्योग बाकी रह जाता है वह श्री नारायणदत्त जी मालूम कर लें। फर्क इतना है कि उन्होंने संसद के सामने साफ-साफ पूरी २ बात सीधे-सीधे कहने से इंकार किया और यह कह कर टाल दिया कि जिन को जरूरत पड़ेगी उनको वह समय २ पर शामिल करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। नारायणदत्त जी इस पेंच को समझें, हंसें नहीं। जब एक बात इंडियन लेबर कांफ्रेंस में स्ट्राइक के संबंध में सभी तत्वों ने मंजूर कर ली कि बिना नोटिस के श्रमिक हड़ताल नहीं करेंगे, जिस सम्मेलन में मजदूरों के साथी श्री डांगे, श्री बसावड़ा, श्री दुबे और एच० एम० एस० आदि श्रमिक के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनका कहना था कि बिना नोटिस के हड़ताल करना पाप है तो इस सरकार ने १४ दिन के नोटिस की व्यवस्था इस विधेयक में रखकर कोई जघन्य पाप नहीं किया है।

अब नारायण दत्त जी को एक बात और परेशानी की हुई। नारायण दत्त तिवारी जी इसलिये कहा है कि करीब-करीब सब के विचारों का उनके भाषण में प्रतिनिधित्व हुआ है। उन्होंने यह कहा कि हमें यह तो बतावें कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों ऐसा किया। मैंने कहा था जिस समय बिल इंट्रोड्यूस किया था कि एक चीज आज तक इस भवन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के जरिये ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के जरिये हम कर रहे थे और निरंतर उसको करते जाते और इस

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

भवन को सूचना भी नहीं होने वाली थी। हमने इस नियम द्वारा इस भवन की मुकम्मिल स्वीकृति ले ली है डीटेल में। सेक्सन ३ यू० पी० इन्डस्ट्रियल ऐक्ट के सम्बन्ध में बोलते हुए श्री तिवारी ने उसके लिये जिस विशेषण का इस्तेमाल किया था 'आल पावर फुल क्लाज।' तो वह उसके मातहत शक्ति इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम भी यही चाहते हैं कि यह भवन जान जाय और जनता जान जाय कि हम किन-किन बातों को अपने अधिनियम द्वारा पारित किया चाहते हैं, इस प्रदेश के लिये और इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था की बेहतरी के लिये क्या-क्या कदम उठाना चाहते हैं। हम कोई बात छिपा कर भी रखना नहीं चाहते। इस अहम उत्तरदायित्व को पालने के लिये हम भवन से मंजूरी लेना चाहते हैं। या तो मंजूरी देता है भवन या नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो हम अपने उन अर्ध-सरकारी आदेशों के द्वारा जो आज तक काम करते रहे हैं, उसे बन्द कर देंगे क्योंकि स्ट्राइकों के सम्बन्ध में बिल्कुल यही अधिकार, यही चीजें उस सरकारी आर्डर में भी लिख दी जाती थीं जिसे हम समय-समय पर यू० पी० इन्डस्ट्रियल ऐक्ट के सेक्शन ३ के अधिकार से, कर दिया करते थे। उन्हीं बातों को आज इस सदन में हम स्वीकृति के हेतु प्रस्तुत किये हुए हैं। अगर सदन समझता है कि नाहक हड़तालें न हों, बिना नोटिस के हड़ताल न हो या तालाबन्दी न हो, कंसीलियेशन मशीनरी में भवन का विश्वास है, और जब कोई मामला पंच-निर्णायक के यहां हो उन हालतों में कोई भी हड़ताल न हो। तो इन्हीं चीजों का जिक्र जब इस बिल के द्वारा आपके सामने किया गया हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी विशेष आपत्ति का हमें सामना करना पड़ेगा।

कुछ भाइयों ने एक चीज और कही। उन्होंने कहा कि यह जो यूनियनों के मुकदमों में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के सिलसिले में कानून लाये हैं, बड़े प्रतिगामी कानून हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसी वक्त कहूं "मोर लाइट ओ लार्ड, आर दे विल पैरिश दि हैवन दे आर गोइन्ग टू कांकर"। यह प्रार्थना मैंने अपने मन में की। अगर इसका असर आगे चल कर नारायणदत्त जी पर और उनके साथियों पर हो जाय तो मैं इसको भगवान की कृपा समझूंगा। तिवारी जी से कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यह पूछेंगे कि और किस प्रदेश में यूनियनों के प्रतिनिधित्व करने के सिलसिले में ऐसी व्यवस्था है। आप बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट को पढ़ लीजिये। हमने तो संघों के प्रतिनिधित्व के कार्य में दो साल की रुकावट की गुंजायश रखी है। एक यूनियन जब पैदा होगी तो दो साल तक मुकदमों के मामलों में नहीं बोलेगी, बस इतना ही है। और अगर कोई काम ऐसी यूनियन करना चाहती है तो उसके लिये कोई मनाही नहीं है। माननीय नारायणदत्त जी अगर को आपरेटिव चलाना चाहते हैं, बेशक चलावें, वह ऐसी यूनियन्स से लिट्रेसी ड्राइव करना चाहते हों तो बेशक करें। अगर मिलमालिक और मजदूर के झगड़े के मामले में हड़ताल कराना चाहते हैं तो पंच-निर्णायक की आफत आप अपने सिर पर न ओढ़ें। एक तरफ यह बात होती है पंच-निर्णायक वालों की व्यवस्था कर श्रमिकों के हड़ताल का अधिकार छीना जा रहा है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि श्रमिक यूनियनें दो साल तक मुकदमेबाजी नहीं कर सकती हैं, तो जहां आप मुकदमें में फंसे, पेंडेंसी में फंसे, और हड़ताल से भी गये। तो जहां आप उस दशा में फंसे तो आपका चारा खत्म है। आप कलेक्टिव बारगेनिंग से आइये। मुकदमों को रखिये बालाये ताक।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यदि वह चाहें तो नारायणदत्त तिवारी जी के पास बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट भेज दूंगा जिसको वह देख सकते हैं। उसमें तो यह है कि यूनियन वही बोल सकती है, मुकदमे के मामले में जो रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन हो। जिस समय बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट बना था, एक यूनियन है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड जो सम्बन्धित है ग्रेटर बाम्बे से, यकीन मानिये कि आई० एन० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० दोनों संगठन परेशान हैं उस यूनियन से। वह रही स्वतंत्र, इतनी स्वतंत्र की श्रमिकों

से भी उसका सम्बन्ध समाप्तप्राय सा हो रहा था। पर वह रही रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन अब हटाये तो हट नहीं जायेगी। अब उसका ऐसा लम्बा चौड़ा सिलसिला है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। उसमें इतने काम्प्लीकेशंस होंगे कि एक बार जो यूनियन इस तरह से रिप्रेजेन्टेटिव डिक्लेयर हो गई तो वह जिन्दगी भर के लिए हो गई।

अब अगर हमको कोई शरारत करना होता, इरादे में कोई खराबी होती, और माननीय राजनारायण जी के दल के लोग अगर ऐसा कहें तो उनकी बात जां भी होगी क्योंकि उनकी कोई संस्था श्रमिक संगठनों के मैदान में नहीं है, लेकिन माननीय नारायणदत्त जी की हिन्द मजदूर सभा को तो हमने रोका नहीं। उसको तो इंडिया गवर्नमेंट भी मान्यता देती है। हम मान्यता देते हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वह फेडरेशन वाला क्लाज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा आदि पर लागू होने वाला नहीं है। वह उन्हीं पर लागू होगा जो हमारी राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं के प्रति ध्वन्सात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, या जो दूकानदारी वाली यूनियनों से मिलकर कोई नया फेडरेशन बनाने की कोशिश करें। Bombay Industrial Relations Act में तो Representative Union मुकदमा कर ही नहीं सकती। यहां तो दो साल ही हैं। दो साल बाद मुकदमा ले। मुझे इस बात की खुशी है कि मुकदमें का जो इंस्टीट्यूशन है उससे इतना प्रेम विरोधी पक्ष के वक्ताओं ने इस बहस में दिखलाया जिससे मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की पंच-निर्णय से औद्योगिक विवादों को तय करने की नीति को उन्होंने स्वीकार किया। ऐडजुडिकेशन का जो प्रोसेस है वह उन्हें इतना प्यारा हो गया है कि वह भी समझने लगे हैं कि वह यूनियन जिन्दा रह ही नहीं सकती जो मुकदमेंबाजी नहीं करती। हमें इस बात की खुशी है कि अब विरोधी पक्ष हमारी रीति-नीति में आना चाहते हैं। हम आपके द्वारा उन्हें सलाह देते हैं कि दो साल यूनियन को जमने दें और फिर उसे भी मौका होगा। मुझे तो इस मौके पर शेक्सपीयर याद आता है। उसने तय तो कर लिया कि मिरांडा की शादी वह कर देगा फर्डिनेंडे नौजवान के साथ जो कि उसे दिखाई दिया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि जल्दी ही हां कर देने से मूल्य कम हो जायेगा। "लेस्ट टू लाइट ए प्राइस मे मेक दि प्राइस लुक लाइटर" तो हम यह भी नहीं चाहते कि झट से यूनियन आवे और मुकदमेंबाजी के प्रांगण में उतर जाय, क्योंकि हो सकता है कि कहीं लंगड़ी-लूली न हो जाय, कहीं किसी गड़बड़ी में न पड़ जाय। ऐसी ही एक यूनियन के बारे में मैं बताना चाहता हूं जिसने अपीलेट ट्रिब्यूनल से एक मजदूरों का जीता हुआ मामला खराब करवा दिया, इस यूनियन ने उस जीते हुए मुकदमें के बावजूद भी मजदूरों के बोनस का मुकदमा हरवा दिया, क्योंकि पहले तो वह लम्बी-चौड़ी बातें करके आये थे, लेकिन जब बोनस के मुकदमें में आये तो अनुभव तो था नहीं मजदूरों का बोनस गवां दिया। तो इस तरह की गलतियों से भी मजदूरों को बड़ी हानि होती है।

हम अपने किसी स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं करना चाहते। हमारा स्वार्थ तो तब हो सकता था कि जब हम कोई ऐसे नियम बनाते कि केवल मात्र आई० एन० टी० यू० सी० ही इस क्षेत्र में रहेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। तिवारी जी जानते हैं कि इस सरकार ने जब-जब त्रिदलीय सम्मेलन किया है तो एच० एम० एस० के प्रतिनिधियों को भी और आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधियों को भी बुलाया और उसी अनुपात में बुलाया जिस अनुपात में कि उनकी शक्ति है, उनकी मेम्बरशिप है। तो हम कोई इरादा ऐसा नहीं करते। यह बदनीयती जो हमारे ऊपर लादी गई है उससे हमें तकलीफ हुई। निहायत साफ ईमान के साथ हम यहां आये हैं। हम नहीं चाहते कि इन बड़ी-बड़ी संस्थाओं के रास्ते में हम कोई रोड़ा अटकावें। एक साहब ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हमारे दोस्त विशारद जी ने कहा--इंडिपेंडेंट तो यहां बहुत से लोग हैं, वह मुझे माफ करेंगे। लेकिन कुछ न कुछ तो बनना ही पड़ेगा। या तो ही 'He' में रहें या 'She' शी में रहे। बीच में और क्या चीज होगी? या तो ही 'He' हो या शी 'She' हो। बीच वाली कोई चीज होती हो तो उसका मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत मुनासिब नहीं होती, यह पता है। तो यह इंडिपेंडेंट संस्था जो आप कहते हैं यह कोई चीज समझ में नहीं आती।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आपकी अन्तर्राष्ट्रीय पालिसी वही है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--आई० एल० ओ० में जाइयेगा तो वहां इंडिपेंडेंट तो कोई माना ही नहीं जायगा । वहां तो बोला जायगा कि तुम्हारे फेडरेशन में कितने मेम्बर हैं ? हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह कहता है कि इंडिपेंडेंट फारेन पालिसी हमारी है । लेकिन इंडिपेंडेंट फारेन पालिसी के माने यह नहीं हैं । विचार-शून्य इंडिपेंडेंट होता है ।

अब मैं एक बात माननीय तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी नीयत साफ है, अपना काम साफ है । कोई बात छिपी हुई नहीं है । सब कार्ड्स टेबिल पर हैं । साफ बात है कि इस नियम के अनुसार हम श्रमिकों के जीवन को सुगमता से चलाने व सुधारने की व्यवस्था रखना चाहते हैं । इसमें मैं समझता हूं कि कोई गुमराह करने का सवाल नहीं है और न हो ही सकता है ।

एक माननीय सदस्य ने एक बात यह भी कही कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर को चुनाव समिति में रख कर बड़ा खतरनाक काम किया है । गेंदासिंह जी के मुंह से यह बात सुन के बड़ी हैरत हुई । अनुभवी आदमी हैं और इस विधान भवन में बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां उन पर रही हैं और भविष्य यदि चाहेगा तो शायद उससे बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां आयेंगी । माननीय चिन्तामणि ने अपनी पुस्तक Indian Politics Since Mutiny के Dedication में लिखा है "वी काल अवर फादर्स फूल्स, अवर चिल्डरन विल काल अस डबल आसेज" । गेंदासिंह जी ने क्या निश्चय करने के बाद यह बात कही ? उन्हें इस बात का विश्वास है भी या नहीं ? इसमें मुझे विश्वास नहीं होता । वह कभी अगर सरकार में हुए तो क्या सरकार के मुख्य सचिव को यह कह कर टाल देंगे कि तुम बेकार के आदमी हो, क्योंकि तुम मुख्य सचिव हो । मुख्य सचिव को रखना इसलिए आवश्यक समझा गया कि सारे प्रान्त की ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की अंडरस्टैंडिंग उनको होती है । हमको लेबर ट्रिब्यूनल व लेबर कोर्टस के लिये आदमियों की आवश्यकता पड़गी । जिस तरह के आदमी लेंगे इनका सीधा ताल्लुक चीफ सेक्रेटरी व लेबर सेक्रेटरी या हाइकोर्ट से होगा । तो अगर उनसे राय न ली जाय और अफसर चुन लिये जायं, तो यह तो अजीब मजाक होगा । वह आदमी तय करे कि कौन आदमी अच्छा है, जो उस आदमी के सम्बन्ध में पिछली जानकारी न रखता हो और वह चुनकर काम कभी ठीक से न चला सके तो किसका क्या भला इससे होगा ? मुख्य सचिव और श्रम सचिव केवल मात्र उसमें इसलिए रक्खे गये हैं कि एक को तो अपने विभागीय मामलों का ज्ञान है और दूसरे को प्रान्त क सभी अधिकारियों का ज्ञान है । उन अफसरों में क्या-क्या खामियां हैं और क्या-क्या खूबियां हैं यह सब देखकर ही उनका चुनाव होगा ।

एक भाई ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर के रखने की क्या जरूरत है ? हम ने इसलिये उसे रक्खा है कि कुछ लेवल तक जुडीशियल सर्विस के लोगों का भी पब्लिक सर्विस कमीशन ही सिलेक्शन करता है । माननीय गेंदासिंह जी के मस्तिष्क में यह भय छा गया कि हमने मुख्य सचिव व श्रम सचिव दोनों को रख कर गलत बात की है, ऐसा भय किसी तरह हम निकाल दें इसलिये हम ऐसे आदमी को भी समिति में लाये हैं, जो इंडिपेंटेंड हैं । जुडीशियल सर्विस के लोगों को सिलेक्ट करते वक्त जो बातें किसी भी चुनाव समिति मद्देनजर रखती हैं वही बातें कुछ न कुछ हमारे सामने इस चुनाव में भी आयेंगी । इसलिये हमने उसको भी इस समिति में यहां रक्खा है । यह बदकिस्मती की बात है कि किसी ने इस नजरिये से प्रश्न देखा नहीं या देख कर उसे नजरन्दाज कर दिया ।

सबसे बड़ा काम हमने अपनी तरफ से यह किया है कि हमने लेबर को जुडीशियल साइड को बिलकुल इंडिपेंडेंट कर दिया । ताकि एक्जिक्यूटिव इंटरफियरेंस न रहे । इस सम्बन्ध

में कोई मांग न होने पर भी हमने स्वयं उसको कर दिया है और उसको करने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर और हाई कोर्ट के जज महोदय को हमने उसमें रख दिया है ताकि वेटेज गवर्नमेंट का न रहे और वेटेज इंडिपेंडेंट लोगों का ही रहे ।

हाई कोर्ट के जज को हमने इस समिति का चेयरमैन बनाया है । जब किसी संस्था का चेयरमैन हाई कोर्ट का जज होगा तो कोई फैसला गलत हो जाय इसका इमकान नहीं रहता । सब जानते हैं कि हाई कोर्ट का जज कितना सेंसिटिव होता है । हमारी जुडीशियरी बड़ी इंडिपेंडेंट है और हमारे प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को उससे बड़ा उत्साह मिलता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है इसलिये समिति का चेयरमैन हाई कोर्ट के जज को रक्खा है और वह समिति को पूर्णतया स्वतंत्र नहीं चलने देंगे और बाधायें स्वीकार करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ।

अस्तु एक बात कतई समझ में नहीं आयी कि क्यों हमारे खिलाफ इतना यहां इस प्रश्न को लेकर कहा गया । मैं तो यह नहीं कहूंगा कि विरोध के लिये विरोध किया गया । लेकिन शायद विधेयक ठीक से नहीं पढ़ा गया । कुछ माननीय सदस्यों को कितनी सूचना है, अगर आप की इजाजत हो तो मैं बतला दूं । माननीय अवस्थी जो जो कानपुर के हो रहने वाले हैं उन्होंने कहा था कि कानपुर में १०० दिन हड़ताल चली । अब जरा सोचने की बात है कि बिना पूरा सूचना बात कही हो क्यों जाय? इसी में कमी आ जाती है । ८१ दिन हड़ताल चली और १०० दिन बतलाये गये । पूरी जानकारी नहीं होती तो दिक्कत होती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बात कही है उस पर मैं उनको चैलेंज देता हूं कि उनकी बात गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष--कितने दिन की हुई थी ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--सरकारी आंकडों में वह ८१ दिन की हो सकती है लेकिन बराबर १०० दिन हड़ताल वहां चली ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं तारीख दिये देता हूं । हड़ताल २ मई, १९५५ से चली और २१ जुलाई, १९५५ को खत्म हो गई । यह जितने भी दिन हुये मैं तो इतनी ही अर्थमेटिक जानता हूं कि यह कुल ८१ दिन हुये । मुझे आशा है कि भविष्य में कम से कम श्रमिकों के संबंध में उतनी ही बात कही जाय जिसका पूरी जानकारी हो । जानकारी के परिवर्द्धन के लिय ठीक रास्त अखतियार करने चाहिये । मैं उधर के लोगों को दावत देता हूं कि वह कृपा कर आयें, बैठें और बातचीत करें। हमसे उनको भी रोशनी मिलेगी और उनसे हमको भी रोशनी मिलेगी और इस तरह से हमें सही रास्ता निकालने में आसानी होगी ।

एक साहब ने कहा कि श्रमिकों के कानूनों की अवहेलना होती है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है । यह जो श्रम विभाग की तरफ से "श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की कार्यवाहियों की वार्षिक समीक्षा" बंटी है । नारायणदत्त जी ने उस विवरण पुस्तिका का एक हिस्सा पढ़ा और दूसरे को नहीं पढ़ा । इसमें दिया हुआ है कि कितने मुकद्दमे पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट और फैक्टरीज ऐक्ट के उल्लंघन के सिलसिले में चलाये गये । ऐसी ९५२ शिकायतें आईं और उनमें से १६४ शिकायतें ऐसी थीं जो विदआउट जूरिस्डिक्शन रिफर कर दी गईं थीं और बाकी सब शिकायतों में काम हुआ । कारखानों के विरुद्ध ४४१ मुकद्दमे चलाये गये । उनमें जुरमाने हुये और रुपया वसूल किया गया । यह सारी बातें इस पुस्तिका में दी हुई हैं । इसके पृष्ठ २३ को पढ़ने की कृपा करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आप इससे क्या साबित कर रहे हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं इससे यह साबित कर रहा हूं कि पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट और फैक्टरी ऐक्ट के उल्लंघन के सिलसिले में जितनी शिकायतें आई हैं, हमने सब पर अमल किया है और फैसला कराने की कोशिश की है। जिन्होंने हमारे कहने से नहीं किया हमने उनका प्रोसीक्यूशन करा दिया या अदालत द्वारा कराया। कुछ अदालतों ने माना कुछ ने नहीं माना। हम अदालतों को आज्ञा तो नहीं दे सकते।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिये एक प्रश्न पूछता हूं। क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि छितौनी शुगर मिल में हड़ताल की गई थी और ७६ मजदूर निकाल दिये गये थे। सरकार ने पंचायत मुकर्रर की थी लेकिन फिर भी वह निकाल दिये गये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--बजट वाले दिन बातें करूंगा। मेरा ताल्लुक इस मिल से दस साल से है। वोट आफ ग्रांट्स के दिन मैं सब बातों का जबाब दूंगा। मैं उसूल की बात कर रहा हूं किसी खास मिल की बात नहीं कर रहा हूं। तिवारी जी ने कहा कि आखिर इन ट्रेड यूनियन्स में क्या खराबी आ गई जो विधेयक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धात्मक कदम उठा रहे हैं। यह सन १९५६ की श्रम विभाग की विवरण पुस्तिका के यह पृष्ठ ३७ पर दिया हुआ है मैं पढ़कर सुनाये देता हूं।

"इसलिये व्यवसायी संघों के नेतृत्व के गुणों में सुधार करने के लिये समग्र प्रयास करने की आवश्यकता है।" यह हमारी सन ५६ की पुस्तिका के पृष्ठ ३७ के पहले पैराग्राफ की पाँचवी लाइन में दिया हुआ है। उन्हें समझना चाहिये था कि हमें महसूस हो रहा था कि हमारे ट्रेड यूनियन्स में कमी आ रही है। अब सवाल यह है कि हमने सभी कारण पुस्तिका में लिखे क्यों नहीं? "वाशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक," मैं समझता हूं कि ठीक नहीं था और विभाग ने बड़ा अच्छा किया कि इसको नहीं छापा क्योंकि यह विदेशों में भी जाती है। अगर यह चीज वहां पढ़ी जाती तो कितना नाम होता। माननीय तिवारी जी का, मेरा, ए० आई० टी० यू० सी० का और आई० एन० टी० यू० सी० का, हिन्द मजदूर सभा की यह बात सबके समझने और विचारने की है।

एक बात यह कही गयी कि इन अमेंडमेंट्स को लेकर जिनका सम्बन्ध सब निर्णायकों के फैसलों को माडीफाई करने का है। सरकार बड़ा घोर अन्याय कर रही है। माननीय तिवारी जी ने तो यहां तक कह डाला कि ९९ प्रतिशत मजदूरों के मुआफिकत के फैसले सरकार ने अब तक उलटे हैं अर्थात् यह शक्ति गलत प्रयोग हुयी। गत १० वर्षों में सरकार ने सिर्फ २ ऐसे फैसले पलटे हैं। दोनों फैसले मार्टिन कम्पनी के मजदूरों के थे जो सरकार ने पलटे। मुकदमों का लड़ने वाला मैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल तक जाने वाला मैं और उसके बाद जब मुकदमा फैसले के बाद भी पलट गया तो उसके लिये हल्ला मचाने वाला मैं। हां मैंने मजदूरों के समक्ष बात रखी और उनको समझाया और उन्होंने मेरी बात स्वीकार तक कर ली और कोई हड़ताल नहीं होने पाई। एक जो सवाल उठाया गया था, मार्टिन कम्पनी के मजदूरों के परसनल वेज का मामला था, जो ६ दिसम्बर सन् १९४८ की विज्ञप्ति पर आधारित था। उसमें यह है कि पहली दिसम्बर, १९४९ से मजदूरों की मंहगाई की दरों में सरकार ने कुछ परिवर्तन किये। लेकिन इस परिवर्तन के कारण अगर किसी मजदूर के कंसालिडेटेड वेज में कमी हो तो यह परिवर्तन उस श्रमिक के उस वेतन से कम न होगा जो वह एक मास पहिले पाता था। जब उस आज्ञा के "Implementation" का सवाल आया तो उसे सच्चा मतभेद हो गया। उसमें ईमानदारी से एक डिफरेंस आफ ओपीनियन हुआ कोई बेईमानी का सवाल नहीं है। सरकार ने मालिकों के इंटरप्रिटेशन को मानकर उस जी० ओ० के निकलने के एक महीने बाद एक्जीक्यूटिव आर्डर निकाल दिया

कि मालिकों का इंटरप्रिटेशन उचित है। श्रमिक संघों ने उस एक्जीक्यूटिव आर्डर को लेबर-कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि उक्त सरकारी आज्ञा से पैदा होने वाले मालिक मजदूरों की लाइएबिलिटीज क्या हैं और राइट्स क्या हैं, इस मामले को कोर्ट डिसाइड करेगा यह एक्जीक्यूटिव आर्डर से नहीं डिसाइड हो सकता। पहली कोर्ट में मजदूर हार, गया लेकिन अपीलेट कोर्ट में मजदूर जीत गया। तब सरकार के सामने मालिक आये और उन्होंने कहा कि आपके ही हुक्म से हमने इसको स्वीकार किया था और तब हमने पैसा दिया है। अब आप इसको ६ साल के बाद उस बुनियाद को बदलते हो तो जो पैसा सन् ४८ में देय था उसको सन ५४ में देने से बहुत बड़ा आर्थिक असर हम पर (कम्पनियों पर) पड़ेगा और हम (मालिक) इस पैसे को नहीं दे सकते। अपने पुराने वादे को मद्देनजर रखते हुए कि ईमानदारी से उस वक्त, इस बात को महसूस किया गया था, सरकार ने उस फैसले में कुछ ही, आनूल नहीं, परिवर्तन कर दिया और वह परिवर्तन मजदूरों के विरुद्ध गया। उस परिवर्तन के कारण लगभग १ लाख ३७ हजार रुपया जो देय था उसमें से सिर्फ एक चौथाई अंश मजदूरों को मिला।

दूसरी ओर पिछले वर्ष में एक बात पैदा हुई। मार्टिन कम्पनी के बिजली मजदूरों के संबंध में प्रदेशीय श्रम अदालत ने तीन महीने का बोनस दिलाने का आदेश दिया। यह भी मामला इसी मार्टिन कम्पनी के मजदूरों का था। लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि एक भी महीने का बोनस नहीं देना चाहिये और इसका कारण उन्होंने बतलाया था कि चूंकि बिजली की हर मशीनें चौबीसों घंटे चलती हैं इसलिये ऐसा होना चाहिये। मैं उस लम्बी बहस में नहीं जाना चाहता। सरकार ने फैक्टरी इंस्पेक्टर को, एलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को ब्वायलर इंस्पेक्टर को बुलाया और उनसे पूछा कि क्यों यह मशीनें चौबीसों घंटे चलती हैं? और उन्होंने कहा नहीं मशीने चौबीसों घंटे तो चल ही नहीं सकती। वहां "mechines" भी शिफ्ट्स में चलती हैं। तो उसमें इस कारण कि इस गलत बिना पर फैसला गलत हो गया है सरकार ने उस फैसले को बदल दिया। और तीन महीने के बोनस देने का जो फैसला था उसी को चालू कर दिया।

सरकार ने जब फैसला बदला तो यह नहीं कि जब आई० एन० टी० यू० सी० की मुआफिकत में फैसले हुये नहीं बदले और जब दूसरी यूनियनों की मुआफिकत में फैसले हुये तो उनके विरुद्ध बदल दिये। इन दो दृष्टान्तों को जो मैंने दिये हैं उनके सिवाय श्री तिवारी जी कोई तीसरा दृष्टान्त इस बात का नहीं दे सकते कि सरकार ने कभी भी पंचनिर्णयिकों का फैसला मजदूरों के विरुद्ध ऐसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए या अलावा इसके कभी भी बदला और अगर वह ऐसा उदाहरण दे देंगे तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने पद से इस्तीफा देकर घर बैठ जाऊंगा।

कोई तीसरा परिवर्तन इस प्रकार का और नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि इन दोनों मामलों में सरकार ने बहुत समझदारी से काम किया है, बहुत मुनासिब काम किया है। तिवारी जी की तरफ से कहा गया है कि कहां है यह ताकत, उस जगह का नाम बताइये। सेन्ट्रल ऐक्ट में भी यह ताकत है, जरा सा फर्क है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट या एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट पार्टी बन जाय उस मुकदमे में, जो कि होने का उसे अधिकार है, तो वह ऐसे फैसले माडीफाई कर देगी। हमने यह नहीं रखा। हम तो तब माडीफाई करेंगे जबकि अन्याय होगा, चाहे वह इस तरफ से हो या उस तरफ से, मजदूर पर हो या मालिकों पर।

उसूल में यह बात हुई, अब डिटेल में आ जाइये। कहते हैं कि सामाजिक न्याय तक हम सरकार के हाथों में यह शक्ति स्वीकार करते हैं, अर्थात् अगर सामाजिक न्याय इन्वाल्ड है तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है। हमने संशोधन किया कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर अगर कोई बुरा असर पड़ने वाला हो तो भी हम फैसला modify करेंगे और स्टेक की अर्थ-व्यवस्था पर कोई बुरा असर पड़ने वाला हो तो भी हम करेंगे। जब आप ने सामाजिट

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

न्याय की बात कबूल कर ली तो उसके आगे चलिये। अगर किसी फैसले की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के रेट ऐसे हो जायं कि वह २५ पाई पर यूनिट मिलने लगे तो क्या कोई इंडस्ट्री इस उत्तर प्रदेश में चलेगी ? वैसे ही हमारे प्रदेश के रेट दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा हैं---कुछ से कम भी हैं, लेकिन ज्यादा अधिक हैं, और इससे बड़ा असंतोष है। अगर कोई फैसला न्यायालय से ऐसा हो जाय कि मजदूरों को इतना वेतन मिलेगा और उसकी वजह से सारी इंडस्ट्री अपसेट हो जाय, तो क्या सरकार देखती रहे। सरकार उस मामले में हमेशा विचार करेगी, मजदूरों से सम्मिलित होकर विचार करेगी और अगर उसके विचार में यह बात आये कि यह फैसला हमको नुकसान में डाल देगा, इससे हमको खतरा है, यह हमारे स्टेट की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा असर डालेगा तो निश्चय ही हम उसको बदलेंगे।

कल मुझे एक बड़ा भयंकर आश्चर्य हुआ। कहा गया कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था से मतलब लगाया जायगा इनकम टैक्स का। हुजूरवाला, इनकम टैक्स से इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं वादा करता हूं कि अगर इनकम टैक्स किसी फैसले के कारण कितना भी कम क्यों न हो उस की वजह हम एवार्ड माडीफाई नहीं करेंगे। इसके लिये मैं आप को एश्योर करता हूं। हम तो इसको माडीफाई तब करेंगे जब देखेंगे कि हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था डगमगा रही है। इनकम टैक्स अर्थ व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वह तो सरकार के बजट का एक हिस्सा होता है। बजट की बहस से ही गलती होती चली आ रही है---डेफिसिट बजट के माने डेफिसिट फाइनेंसिंग और नेशनल इनकम के माने इन्कम टैक्स जो लगाये जा रहे हैं वह ठीक नहीं हैं। यह जो गलती चली आ रही है, मैं श्रीमन् के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आगे से न की जाय। इसमें और कोई बात नहीं है।

हमारे लहरी साहब ने फीरोजाबाद की बड़ी चर्चा की। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि कितने प्रासीक्यूशन वहां के मालिकों के हमने किये। हम किसी मालिक के दिल में बैठकर उसके मन को परिवर्तित नहीं कर सकते। किसी शरारती की शरारत को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी शरारत के लिये उसे सजा देने का हक हमको है, वह हम देते चले आये हैं और देते रहेंगे। आज भी नान-इम्प्लीमेंटेशन आफ एवार्ड के कई मुकदमें चल रहे हैं और ऐसी पार्टियों के खिलाफ भी चल रहे हैं कि जिनका बजट हमारी प्रदेश की सरकार के बजट से ज्यादा है। ११ प्रासीक्यूशन मार्टिन बर्न के खिलाफ पड़े हुये हैं। वह मामले हाई कोर्ट में हैं, वह फैसला करेगी। यही नहीं, सारे प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में ऐन्युअली हम ऐसे मालिकों को प्रासीक्यूट करते हैं। हम पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के सिलसिले में भी कोर्ट में कई बार गये। यह हमारे प्रदेश के मजदूरों का दुर्भाग्य है कि वह सरकार के कंधों पर चढ़ना भी चाहते हैं और उसे लात भी मारना चाहते हैं।

सरकार के कंधे पर चढ़कर वह अपने हक को पूरा करना चाहते हैं। और यह भी तब दूसरे कहते हैं कि हमारे साथ हस्तक्षेप क्यों? मैं आप के द्वारा विशारद जी तथा लहरी साहब से तथा दूसरे उन सदस्यों से, जो श्रमिक आन्दोलन में स्वस्थ वातावरण को बढ़ाने की चेष्टा में हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को सरकार की सहायता मात्र देखने या दिखाने की कोशिश न करनी चाहिये। हमारे श्रमिक आन्दोलन का यह दुर्भाग्य है कि उसके नेता अपनी शक्ति और प्रेरणा की शक्ति के आधार पर कोई काम नहीं कर सकते। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अधीन कई मुकदमें लगे हुये हैं। अब बेचारे वहां से लिखते हैं कि इस ऐक्ट के मुताबिक उनको पैसा वसूल कर के दिया जाय। स्वयं कुछ करने के लिये तैयार नहीं हैं तो फिर किस से कहा जाय कि क्या करें। वह सरकार के कंधों पर चढ़ना चाहते हैं और उसके कंधों पर लद कर आगे चलना चाहते हैं।

एक चीज और कही गयी कि यह जो नियम है इससे मजदूर संघ समाप्त हो जायंगे। मेरा निवेदन है कि इससे न तो पुराने संघ और न नये ही समाप्त होंगे। उनको इस कानून से

बढ़ावा मिलेगा। इस सम्बन्ध में जो शंका उठायी गयी, पुराने अदालतों में पड़े हुये मामलों के बाबत, मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मुझको भी कुछ शंका इसमें हुई थी लेकिन वह बिल को समझने से दूर हो गयी। एक भाई ने कहा कि पुराने उन मुकदमों का क्या होगा जो अब अदालतों में लगे हुये हैं और उन यूनियनों के लगे हुये हैं जिनकी उमर २ साल से कम हो जाय। अगर आप काफी विचार से इस कानून को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि पुराना मुकदमा अगर कोई प्रोसीडिंग में है तो वह ऐसा valid माना जायेगा मानों कि यह प्रतिबन्ध लगा ही न हो अर्थात् यह प्रतिबन्ध existing cases पर लागू नहीं होगा। वह व्यवस्था इस ऐक्ट के अन्दर कर दी गई है उसको आप पढ़ सकते हैं।

कहा गया कि रिहन्ड डाम बन रहा है उसका ठेकेदार चला गया तो उन मजदूरों को कहां से उनका मुताल्बा बोनस आदि के सम्बन्ध में कहां से मिलेगा क्योंकि जब तक यूनियन दो साल की होगी तब तक अगर किसी कारखाने का मालिक कहीं चला गया या वह काम ही समाप्त हो गया तो फिर मजदूरों का हिसाब कहां से होगा। अव्वल राय तो इस सम्बन्ध में मेरी यह है कि वह यूनियन स्वयं किसी फेडरेशन के साथ शादी कर ले और अगर यूनियन ऐसा नहीं करती तो और भी रास्ते हैं। ५ मजदूर दरख्वास्त बनाकर भेज दें तो उस पर विचार हो सकता है। एक मजदूर नहीं भेज सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हो चुका है कि एक मजदूर Industrial Disputes Act के मातहत मुकदमा नहीं कर सकता है एक से अधिक कर सकते हैं। चाहे वह २ मजदूर हों या ३ मजदूर हों। अगर वह दरख्वास्त लगा दें कि हमको बोनस चाहिये तो उनको रास्ता मिल सकता है। अगर विशारद जी मेरे कमरे में आयेंगे तो मैं उनको यह समझा दूंगा. . . . .

श्री व्रजनारायण तिवारी--मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार मंत्री जी कमरे में आने की बात कहते हैं तो क्या मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्थगित कर के और उस पर राय लेने के बाद फिर सदन के सामने उसको लेकर आयेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--कुछ मनोरंजन को भी स्थान दीजिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--कहा गया कि फ़ैडरेशन और ट्रेड यूनियनों पर २ वर्ष की अवधि लगा दी गई तो मालिकों पर क्यों नहीं लगाई गई ? लेकिन यूनियन से मालिकों का कोई ताल्लुक नहीं है। मालिक तो मुकद्दमें में खुद आता है या बड़े बैरिस्टर उनके शेयर-होल्डर होते हैं वे आते हैं या वह अपने लेबर आफिसरों को भेज देते हैं। जब फेडरेशन आफ एम्पलायर्स एसोसियेशन की चर्चा आवे तब उसका जिक्र आता है। यदि कोई संशोधन इस पर हमारे सामने होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे। यूनियन में हम मालिकों के फेडरेशन को नहीं ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा यह नीति रखी है कि मजदूरों और मालिकों के बीच के मसलों को विवेचन हम इस तरह से करें कि हमारे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर खोटा असर न पड़े। श्रीमन्, अगर कोई ऊल जलूल हड़ताल होती है तो प्लान्ड इकानामी सफल नहीं हो सकती। सबको आज स्वस्थ परम्पराओं पर चलना होगा। मजदूरों की शक्ति का परिवर्धन करने के लिये और उनको आगे ले जाने के लिये आज तक श्रम न्यायालयों का मार्ग सफल रहा है। अस्तु, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी इस नीति को मान्यता देते हुये हमारे विरोध पक्ष के सदस्य हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। हम इसे प्रवर समिति में ले जाने का विरोध नहीं करते यदि इसे जल्दी से पास कराने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अनुचित जल्दी का इरादा नहीं है। काफ़ी दिनों से यह बिल जानकारी के लिये था और माननीय श्रममंत्री के कमरे में विरोध पक्ष के कुछ सदस्यों के साथ इसके सम्बन्ध में वार्तालाप भी हुआ था और उनके और हमारे विचारों के मतभेद स्पष्ट हो गये थे और ऐसा लगा था कि अब इसमें अधिक वार्तालाप श्रेयस्कर नहीं है। हम आप को विश्वास दिलाते हैं कि हम सच्ची नियत से, मजदूर की भलाई के लिये, इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के लिये, इस बिल को लाये हैं। हम चाहते हैं कि श्रमिकों की शक्ति बढ़ाई जाये और उनके लिये

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

जो हमने काम किये हैं उनके लिये हमारे प्रदेश की सरकार सारे देश की सभी सरकारों से सराहना की पात्र बनी हुई है। अभाग्यवश हाल में दिल्ली में होने वाली लेबर कान्फ्रेंस में विरोध पक्ष के नेता नहीं थे वर्ना वे देखते कि हमारे लेबर हाउसिंग के काम के सम्बन्ध में हमारी कितनी प्रशंसा की गई। बावजूद इसके कि इंडस्ट्रियल पापुलेशन बम्बई, बंगाल, और मद्रास में हमसे ज्यादा है, तो भी हमारे इस प्रगतिवादी कार्यों को मद्देनजर न रखना अच्छी बात नहीं होगी। हमारी अच्छी नीयत को मानते हुये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य अपने प्रस्तावों को वापस लेंगे और जो अनुमति मैं मांगूगा उसमें मेरी सहायता करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं दोनों संशोधनों को एक-एक करके लेता हूं। पहले मैं श्री भगवतीसिंह विशारद का संशोधन लेता हूं जो इस प्रकार है---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७ को तीन मास तक राय प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---दूसरा संशोधन माननीय जगन्नाथ लहरी का है जो इस प्रकार है---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जावे कि वह आवश्यकतानुसार परिधि को भी बढ़ा सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ और ३

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० २८, १९४७ की धारा ४-ङ का संशोधन।

२---संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४-ङ में उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(१) राज्य सरकार एक समिति संघटित करेगी जिस में निम्नलिखित होंगे:---

धारा ४-घ के अधीन सूचियां तैयार करने के निमित्त समिति।

(१) अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी और जो ऐसा व्यक्ति होगा, जो या तो हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो;

(२) राज्य सरकार के मुख्य सचिव;

(३) श्रम विभाग में राज्य सरकार के सचिव;

(४) राज्य सरकार के लीगल रिमेम्बरेंसर, तथा

(५) उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन द्वारा नाम निर्देशित कमीशन का एक सदस्य।"

३--मूल अधिनियम की धारा ४-झ में, प्रतिबन्धक के खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ की धारा ४-झ का संशोधन।

"(२) परिवर्तन का प्रभाव जिन मजदूरों पर पड़ने की सम्भावना हो, वे ऐसे व्यक्ति हों जिन पर फंडामेंटल ऐन्ड सप्लीमेंटरी रूल्स, सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल ऐन्ड अपील) रूल्स, सिविल सर्विसेज (टेम्पोरेरी सर्विस) रूल्स, सिविल सर्विस रेगुलेशन्स, अथवा कोई अन्य नियम अथवा विनियम लागू होते हों जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञापित किये जायं।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

सं० प्रा० एक्ट सं० २८, १९४७ की धारा ६-क का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ६-क की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धक में शब्द "सामाजिक न्याय के आधार पर" के स्थान पर शब्द "राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक कारणों से" रख दिये जायं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रस्तावित खंड ४ का विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, इस खंड के द्वारा सरकार इस बात का अधिकार लेना चाहती है कि वह राष्ट्रीय और प्रादेशिक आर्थिक व्यवस्था के नाम पर और सार्वजनिक कारणों के नाम पर किसी भी अभिनिर्णय अथवा पंचनिर्णय का संशोधन कर सके, प्रत्यावरोध कर सके और समाप्त कर सके। मैं ऐसी ओमनीबस पावर्स को, बेलगाम अधिकारों को सरकार को देने के लिये तैयार नहीं हूं। माननीय बहुगुणा जी ने उस मीटिंग का भी जिक्र किया, जब कि हम लोगों को उन्होंने और माननीय मंत्री जी ने अपने कमरे में आमंत्रित किया था यह सुनने के लिये कि हमारे क्या विचार हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है और शायद दूसरे मित्र जो यहां बैठे हुए हैं उन्हें भी याद होगा कि वे इस बात से सहमत हो गये थे कि जहां तक राजकीय अर्थ-व्यवस्था का संबंध है, उसको नहीं रक्खा जायगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--कोई बात तय नहीं हुई थी, यह था कि यह बात आपकी विचारणीय है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, आखिर इतना तो उन्होंने मान ही लिया कि कुछ बातचीत हुई थी कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था और राष्ट्रीय व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जायगा। लेकिन क्या पुनर्विचार हुआ, यह तो आप देख ही रहे हैं कि उस मीटिंग में यह बात मान लेने के बाद भी कि उस पर पुनर्विचार होगा, इसको यहां नहीं रखा गया है....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--पुनर्विचार की कहां बात थी? विचार तो किया गया....

उपाध्यक्ष--विचार तो किया ही गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मीटिंग में इस प्रकार विचार करके सरकार कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकी। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार से बेलगाम सरकार को अधिकार देने का परिणाम यह होगा कि एक तो जो ट्रिब्यूनल हैं वे अपना काम ठीक से नहीं कर पायेंगे। किसी को भी यह सर्टेन्टी (Certainty) नहीं हो सकती कि जिस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

फैसले को हम करने जा रहे हैं या जो निवेदन हम करने जा रहे हैं वह निवेदन या वह फैसला कायम रहने वाला है या नहीं। चूंकि अन्ततोगत्वा हर फैसला सरकार के पास आने वाला है, सरकार यह तय करने वाली है कि आया अर्थ-व्यवस्था के प्रति कोई हानि होती है या नहीं होती।

अब श्रीमन्, आप देखें कि इसमें मजदूरों के लिये क्या प्राविजन किया गया है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था और राष्ट्रीय व्यवस्था के नाम पर पूंजीपति यह कहेंगे कि इससे हमारी इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा, इससे प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा और इससे उत्पादन की कीमत बढ़ेगी, इस तरह से तमाम दुनिया भर की बातें बना बना कर और केवल सामाजिक न्याय का नाम ले लेकर वे इस हथियार का उपयोग कर सकते हैं। इसलिये मेरा अपना विचार यह है कि जिस प्रकार से संशोधन किया जा रहा है अगर इसको हम स्वीकार करते हैं तो ट्रिब्यूनल के फैसले की जो सैंक्टिटी है वह नहीं रहने वाली है और इससे मजदूरों के हक पर मिल मालिक अपना पूरा प्रभाव इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि वे इसमें संशोधन करा सकें। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मैं उपमंत्री जी का बड़ा ही अनुग्रहीत हूं कि मैंने अपने प्रस्ताव द्वारा जो विचार प्रकट किये थे उनके बहुत से अंशों से उन्होंने अपनी सहमति तो प्रकट नहीं की, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि इस क्लाज ४ में जिसमें संशोधन प्रस्तुत किया गया है और जो विचाराधीन है, सामाजिक न्याय के आधार पर हमारे उपमंत्री जी ने बतलाया कि हमने ५०, ५० परसेंट का संशोधन किया था कि एवार्ड जो संशोधित हुये उनमें एक मिल मालिक को मिले तो दूसरा मजदूर को मिला। तो यदि ५०, ५० परसेंट सामाजिक न्याय के आधार पर सब को न्याय मिल सकता है तो ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी थी कि माननीय मंत्री जी ने इतना और अंश जोड़ दिया, जब कि सामाजिक न्याय के आधार पर इस प्रदेश की आर्थिक नीति को धक्का नहीं पहुंच सकता है और धक्का नहीं पहुंचा है और सब को सोशल जस्टिस मिल ही जाती है, तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी? माननीय नारायण दत्त जी ने इसके ऊपर काफी प्रकाश डाला है, मैंने भी कल इस पर काफी प्रकाश डाला था और आज भी मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो कमजोर होता है, जो सताया हुआ होता है, जो पददलित होता है उसी को सोशल जस्टिस की आवश्यकता पड़ती है। मिल मालिक भी अगर समझते हैं कि वे पददलित हो रहे हैं, वे सताये जा रहे हैं तो वे भी सोशल जस्टिस के लिये कह सकते हैं। इसलिये जो अंश माननीय मंत्री जी ने छोड़ा है वह गलत है और उसको निकाल देना चाहिये।

*चौधरी रघुराजसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश है उसको मैं पढ़ कर आप के द्वारा सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। पहले इसमें 'आन ग्राउन्ड्स आफ सोशल जस्टिस' था लेकिन अब उसका संशोधन इस तरीके से किया जा रहा है कि 'आन पब्लिक ग्राउन्ड्स एफेक्टिंग नेशनल आर स्टेट एकानामी आर सोशल जस्टिस' रहे। इसका मतलब मैं तो यही समझा कि नाक को इस तरफ से न पकड़ कर दूसरी तरफ से पकड़ा जा रहा है, नाक तो दोनों तरफ से ही पकड़ी जायगी लेकिन इस तरफ से जो पकड़ी जायगी तो जरा जोर से पकड़ी जायगी, फिर वह छूटेगी नहीं। जो कुछ पहले से इसमें है उससे असर कम होता है। बात यह है कि सोशल जस्टिस के हाजतमन्द मिलओनर नहीं हैं, उनके पास तो लक्ष्मी की ताकत है उसके द्वारा तो वह न मालूम क्या-क्या प्राप्त कर सकते हैं। इस सोशल जस्टिस के जरूरतमन्द तो गरीब मजदूर हैं यह चीज उसी के लिये थी, उसी को खत्म कर दिया और इन दो-तीन बातों को रख दिया ताकि मौका मिल सके इस बात का कि अगर चीज उसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हक में जाती है तो कह दिया कि यह नेशनल इन्टरेस्ट की चीज है या देश की इकोनोमी के लिये जरूरी है, दूसरी या तीसरी बात कुछ कह दी। मुझे इसमें सिवा इसके और कोई बात नजर नहीं आई।

यह तो ऐसी तरमीम है कि जिसने इस बिल के सारे मंशा को खत्म कर दिया। किसी ने कहा है कि 'खत का मजमूं भांप लेते हैं लिफाफा देखकर' तो यहां भी लिफाफा देख कर ही सारा मजमून खुल गया कि हकीकत क्या है। माना कि उधर के बैठने वाले बड़े होशियार, दानिशमन्द, तजुर्बेकार हैं और हर एक बात को उम्दा दलायल के साथ समझा सकते हैं, लेकिन हुजूरवाला, क्या जब अक्ल का बटवारा हुआ था तो क्या अक्ल का सारा हिस्सा बटवारे में उधर ही पहुंच गया और इधर वालों के हिस्से कुछ आया ही नहीं? मैंने तो इस दौरान में अभी तक यही देखा है, यहां बजट भी आया, बड़ी बहस उस पर हुई और अब यह बिल भी यहां पेश हुआ है, एक तिल बराबर भी अपोजीशन की बात के लिये जगह नहीं है, क्या उनके दिमाग में कोई चीज ठीक आती ही नहीं? वह भी अपनी ताक़त सर्फ करते हैं। उनसे भी लोगों ने कहा कि जाकर सदन में हमारी नुमाइन्दगी करो। हम भी वोट ले कर आये हैं, हम भी इन्सान हैं, दिमाग रखते हैं। हमारी भी बात सुनी जानी चाहिये। क्या यही डेमोक्रेसी है, यही जम्हूरियत की हुकूमत है? वही सरकार का हिसाब है कि घरबार तो सब आप का है लेकिन कोठी-कुठले को हाथ न लगाइयेगा। मैं उधर बैठने वालों से एक और दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वक्त की बड़ी किल्लत है और मौसम खराब है, फ्लू का जमाना है, हम तो परेशान हाल हैं, मेहरबानी कर के थोड़ी सी अक्ल वह इधर भी भेज दें क्योंकि हमें इतनी वाकफियत और इल्म नहीं है और उसको हमें दरकार है। हम चाहते हैं कि हमारा वह हाल न हो कि 'दिल थाम के आये और जिगर थाम के चलें'। इसलिये मैं बहुत मोहज्जबाना दरख्वास्त करूंगा कि हम आप की तरफ के लोगों की बड़ी-बड़ी दलीलों और जुमलों से वैसे ही खायफ रहते हैं और बड़े अल्फाज से हम बड़े कनफ्यूज्ड हो जाते हैं और कुछ थोड़ी सी नरवसनेस सी बढ़ जाती है। बड़े मुल्कों की, अमरीका की, बम्बई की, शेक्सपीयर की बातें कोट की जाती हैं तो हम कुछ घबरा से जाते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन आप की शायरी का सब लोहा मानते हैं।

चौधरी रघुराजसिंह—मैं तो अपने दिल का इजहार करता हूं। तो इस अमेंडमेंट ने साफ इस बात को जाहिर कर दिया कि यह तो वही बात है कि मजदूर और मिल ओनर में झगड़ा हो गया तो उसमें कोई न कोई ग्राउन्ड लगा कर अपनी बात सीधी कर ली।

जब उसकी मांग पूरी नहीं होती, अव्वल तो वह माँगता कब है, अगर उसका सिर्फ पेट भर जाय और इतना उसको मिल जाय जिससे वह अपने तन को ढांक ले, हिन्दुस्तान का मजदूर मुतमईन है, उसको आप खुश्क रोटी दे दीजिये, तन ढांकने के लिये दे दीजिये, वह भी जाड़े में, गर्मी में वह भी नहीं, वह खुश रहेगा और बराबर अपने काम में लगा रहेगा। जब कोई बात होती है तो वह महज उस वक्त तंग आ करके जंग पर तुलता है। इसलिये जो सोशल जस्टिस की बात की जाती है वह हर माने में उधर ही जायगी, यानी मिल ओनर्स की तरफ। इसी बिल से जो इसमें अल्फाज हैं, उनसे साफ झलक इस बात की दिखाई देती है कि मिल में झगड़ा हुआ और सरकारी आदमी तहकीकात करने पहुंचे, जाते ही मिल ओनर ने पूछा हाऊ डू यू डू सर (how do you do sir)? थैन्क यू सर (thank you sir)। आपका इतनी देर से खाने का या चाय का इंतजार कर रहा था, बड़ी देर इंतजार किया, बड़ी तकल्लुफ के बाद उन्होंने कहा अच्छा खैर कोई बात नहीं और बस उसके बाद जब बाहर आये तो जो मजदूर बाहर खड़े हुये हैं उन्होंने कहा हुजूर हमारी भी बात सुनिये। तो अफसर साहब ने कहा कि अरे यह तो नेशनल इम्पोर्टेंस का मामला है। तो जाहिर है कि जस्टिस किसको मिलेगी। आज बड़ी लम्बी-चौड़ी तकरीरें यहां होती हैं। हमने तो यह देखा कि मजदूरों पर लाठी चार्ज हुआ और उनके सीने में गोली लगी, मरे, लेकिन हमने यह कभी नहीं देखा कि किसी मिल औनर को किसी तरह की भी चोट पहुंची हो।

[चौधरी रघुराज सिंह]

अब अल्फाज भी हुजूर वाला इतने पेचोदा आते हैं कि समझ में ही नहीं आते। अब दूसरी जबान सामने आ गई, मुमकिन है कि आइन्दा तीसरी आ जाय, इसी में जिन्दगी खत्म हो जायगी। अगर आप उन अल्फाज को देखें जो बिल में मौजूद हैं तो वह सारी चीजें मौजूद हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया। और कहा यह जाता है कि यह सब कुछ हम मजदूरों के लिये करते हैं। अभी आपने १९४७ में कानून बनाया और १९५६ में तब्दील कर दिया . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप अपनी बात बार-बार दोहरा रहे हैं।

चौधरी रघुराजसिंह--मैं इस अमेंडमेंट की पुरजोर मुखालिफत करता हूं।

श्री रामायणराय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखने में यह बहुत साधारण सा संशोधन है। लेकिन जब मैंने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तो मुझे इस संशोधन से मजदूर आंदोलन की जो बुनियादी बातें हैं, उनसे इसका सम्बन्ध प्रतीत हुआ। सबसे पहले जर्मनी में इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रीय हित की बात जर्मन श्रम नीति तैयार करते हुये नात्सी नेताओं ने की थी। जहां तक मजदूरों के सच्चे हितैषियों का सम्बन्ध है, स्वयं मार्क्स ने कहा था कि श्रमिकों का अपना कोई राष्ट्र नहीं होता है। राष्ट्रीय हित के नाम पर गरीब मजदूरों की हत्या, गरीब मजदूरों का शोषण करने की नीति इस संशोधन के द्वारा रखी जा रही है। इसलिये मैंने आवश्यक समझा कि इस अवसर पर मैं अपना विचार जरूर व्यक्त करूं।

श्रीमन्, हमारे उपमंत्री महोदय जब इस बिल के ऊपर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई, हमारे सामने दूसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने की बातें हैं, अगर हमने उसमें ढील डाल दी तो संभव है कि हम अपनी योजना को कार्यान्वित न कर सकें। उनका यह खतरा, उनके मन में जो यह शक है यह शक सही है, इसलिये सही है कि वह जानते हैं कि उनके कार्यक्रम में, उनकी रीति-नीति में कोई प्रेरणात्मक चीज नहीं है। जनता का सहज सहयोग प्राप्त किया जा सके इसके लिये कोई आधार नहीं प्रस्तुत है। इसीलिये उनको इस तरह की बंदिश बांधने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के स्थान पर श्रीमन्, राष्ट्रीय न्याय और राज्य की अर्थ नीति की बात की गई। जब अर्थ नीति की बात की गई, राज्य की माली हालत बनाने बिगाड़ने का बहाना लिया गया तब मुझे मजबूर होकर उधर सदन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत हुआ। संभव है कि आप भी उन लोगों में से हों जिनका यह खयाल हो कि बहस के लिये बहस हम लोग करने आये हैं, लेकिन मैं आपको यह, श्रीमन् के द्वारा, बताना चाहता हूं कि जिस समय इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत किया गया सुबह से शाम तक हम लोग इसलिये बैठे हुये हैं कि यह मामला उन लोगों का है जिनका पुरसांहाल आज कोई नहीं है। हमदर्दी की डींग हम सभी भरते हैं लेकिन जब उनकी बात होती है तो सदन की उपस्थिति इस बात की गवाही देती है कि इस वर्ग के प्रति लोगों के मन में कितना प्रेम है, कितनी करुणा है, कितनी दया है। आप अपने तर्कों के द्वारा तरह-तरह की बातें करते हैं लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि इस प्राविजन को अगर इस बिल के अन्दर रख दिया गया तो कभी भी वास्तविक न्याय उन गरीबों को प्राप्त नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--"आप" का प्रयोग मेरे लिये हो जाता है। इसलिये आप "सरकार" का प्रयोग कीजिये।

श्री रामायणराय--श्रीमन्, आपके द्वारा उपमंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह बिल उनके ही द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संभव है श्रीमन् कि अब शायद मंत्री जी को मेरी बात समझ में आ गई हो। वह यह बात समझ लें कि इस सदन में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो श्रम संबंधी बुनियादी प्रश्नों पर भी दिमागों में सफाई रखते हैं और शब्दजाल

के द्वारा अधिक गलतफहमी नहीं पैदा की जा सकती। यह गरीबों को लूटने की जो साजिश है वह साजिश अब नहीं चल सकती है और यही कारण है कि मैंने अपने विचार व्यक्त किये।

(श्री ब्रजनारायण तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--ब्रजनारायण जी, देखिये इजाजत तो मैं आपको दूंगा, लेकिन वही बात दुहराने की इजाजत नहीं दूंगा। जो बात कोई कह चुका है अगर वही बात आप दुहरायेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। कोई नई बात आप कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं दुहराऊंगा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुये .....

श्री उपाध्यक्ष--संशोधन कोई पेश नहीं है। वह उस खंड का विरोध कर रहे थे।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--तो आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस पक्ष के लोग कई तरह से अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--यह बात माननीय रघुराजसिंह जी कह चुके हैं। आपने कहा कि आप दोहरायेंगे नहीं। यह बात माननीय रघुराजसिंह जी कह चुके हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--किसी माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी की समझ में यह बिल प्रतिक्रियावादी है, मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर यह बिल प्रतिक्रियावादी नहीं है तो जो संशोधन रखा गया है माननीय मंत्री जी की तरफ से वह क्या है? किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि मजदूरों की कभी ५ रुपये तनख्वाह थी वह अब ५५ रु० हो गई। मैं कहता हूं कि जब ५ या ७ रुपये तनख्वाह थी तो पूंजीपति के क्या मुनाफे थे और आज क्या हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जहां पर हड़ताल करने पर मजदूरों को निकालने का प्राविजन है वहां लाक आउट होने पर बिना मुआविजा कारखाने को जब्त करने के लिये भी प्राविजन है?

श्री उपाध्यक्ष--साधारण वादविवाद का जवाब देने का इस वक्त मौका नहीं है। खंड ४ के संबंध में आप बोल सकते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--जहां तक सामाजिक न्याय के आधार पर नेशन का जिक्र किया गया है तो जैसा कि रामायणराय जी ने कहा इसके द्वारा लोगों को भुलावा देने की बात की जा रही है। मैं तो जानना चाहता हूं क्या कोई संकट भविष्य में देश पर आने वाला है कि इस तरह डर कर सरकार की तरफ से संशोधन लाये जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक तरफा हैं और मजदूरों के खिलाफ हैं। ये संशोधन इसलिये लाये जा रहे हैं कि सरकार मजदूरों को दबा कर अधिक धन पैदा करवा सके। इसलिये मैं इस खंड का विरोध करता हूं।

***श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--श्रीमन्, अभी जो तर्क उपस्थित हुए हैं उनके सम्बन्ध में मैंने अपने विचार अभी थोड़ी देर पहले रक्खे थे। अब मैं सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

हमारे इस अमेंडमेंट के सिलसिले में यह कहा गया कि राष्ट्र का नाम क्यों मजदूरों के लिये दिया गया, क्योंकि मजदूरों का कोई राष्ट्र नहीं होता, मार्क्स ने ऐसा कहा था। म इसे मानने को तैयार नहीं हूं कि मजदूरों का यह राष्ट्र नहीं है। बाहर मजदूर दल अगर इस तरह की बात सुनेगा तो उसे भी इन्तहाई तकलीफ होगी। इस राष्ट्र में जितना अपनत्व मुझको है, उतना ही श्रमिक वर्ग को भी है। मार्क्स ने जो कहा वह आज कहां तक हमारी हालतों में ठीक उतरेगा यह कहना मुश्किल है। मार्क्स की हर बात भी हमने नहीं मानी है। कुछ बातें उन्होंने अच्छी कहीं हैं और कुछ पुराने जमाने की हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

एक चीज कही गई कि राष्ट्रीय इकोनामी को इस विधेयक में लाने की जरूरत क्या पड़ी ? एक मेरे मित्र ने उधर से कहा कि यह तो कुछ नाक को टेढ़ा पकड़ने की बात है । तो पकड़ तो हमें करना ही है मजदूरों के खिलाफ, अगर हम अपनी पकड़ कमजोर करते हैं तो इसमें क्या हानि किसी की होती है ? हां, अगर साफ नीयत से काम करते हैं तो भी क्या बुरा, यही चीज पहले भी एपेलेट ट्रिब्यूनल ऐक्ट के सेक्शन १५ में रक्खी गई थी और अल्फाज उसमें हुबहू यही थे । जब पिछला संशोधन विधेयक इस भवन में आया था तो उसमें यह शब्द विद्यमान थे पर श्री नारायणदत्त जी ने उस समय एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि जहां-जहां "राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था" शब्द विधेयक में आये हों उनको हटा दिया जाय । उसे इस भवन ने स्वीकार कर लिया ।

इसी कारण आज फिर इस भवन में यह संशोधन उपस्थित हुआ है ।

राजकीय अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा गया क्या भविष्य में कोई आर्थिक संकट देश पर आने वाला है ? भगवान न करे आवे । लेकिन यह उस संकट के लिये नहीं है बल्कि आर्थिक व्यवस्था पर कभी भी कोई बुरा प्रभाव पड़े, उसके लिये है । मैंने आप से कहा कि यह मजदूरों के हकों पर कुठाराघात किया जाय या उनकी मुखालिफत की जाय, इसलिये नहीं है । हमारा इरादा साफ है । अगर कोई गलती हो जाय तो उसको दूर किया जाय । अब इन शब्दों के साथ मैं आप से इतना कहना चाहता हूं कि जब जिम्मेदारी सरकार की है कि जो पैसा ऐवार्ड से मिलना है उसको सरकार दिलाये और ऐज एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू (as arrears of land revenue) दिलाये । फिर हम यह भी देखें कि हमारे समाज के ढांचे पर ऐसे फैसलों का बुरा असर न पड़े और अगर बुरा असर पड़ गया और कारखाने का आर्थिक ढांचा गिर गया तो मजदूर कहां जिन्दा रहेगा । पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में ५२ नये कारखाने बने । अगर नये कारखाने बनने बंद हो जायं तो श्रमिक का क्या होगा ? जिन भाइयों ने इस तरह शंका उपस्थित की है उनसे मैं उसको दूर करने के लिये कहना चाहता हूं कि जितना दर्द मजदूरों के लिये आपके दिलों में है, उससे कम नहीं, यदि ज्यादा नहीं तो सबके बराबर जरूर हमारे दिलों में भी है । यह विधेयक श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात करने के लिये नहीं बनाया जा रहा है । उनका हित राष्ट्र के हित से परे नहीं है । अस्तु मुझे आशा है कि मेरे इन विचारों को मद्देनजर रखते हुये हमारे भाई अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई संशोधन उपस्थित नहीं है, केवल खंड ४ का विरोध किया जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार स्टेट इकोनोमी को अपनी नेशनल इकोनोमी का हिस्सा नहीं समझती है ? इसे अलग क्यों रखा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह तो दो तरह से हो सकता है । एक तो मैटर ऐसा हो सकता है कि जिसका नेशनल इकोनोमी पर कोई असर न हो और उसका लोकेलाइज्ड अफेक्ट हो । सारे राष्ट्र पर उसका असर न पड़ता हो । लेकिन उद्योग पर पड़ जाय । जैसे चीनी के उद्योग पर पड़ जाय । मलाबार में बढ़ जायगा लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता है । इसलिये इस को रखा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

५--मूल अधिनियम की धारा ६-ज की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-- सं० प्रा० ऐक्ट

"(१) जब किसी मालिक द्वारा धारा ६-ञ से ६-द के उपबंधों के मालिक द्वारा देय", अधीन, अथवा किसी निपटारे अथवा पंच-निर्णय के धनराशि की अधीन, अथवा इस ऐक्ट के अधीन नियुक्त या वसूली। संघटित पंच-निर्णायक (Adjudicator) या राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण (state industrial tribunal) द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ से पूर्व दिये गये पंच-निर्णय के अधीन, कोई धनराशि किसी मजदूर को देय हो तो वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए मजदूर राज्य सरकार के पास धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी कोई धनराशि देय है तो राज्य सरकार उस धनराशि का प्रमाण-पत्र कलेक्टर को दे देगी जो उसे उसी प्रकार वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानो कि वह मालगुजारी की बकाया हो।"

संं० २८, १९४७ की धारा ६-ज का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--मूल अधिनियम की धारा ६-झ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-- सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ६-झ का संशोधन।

"(३) किसी यूनियन का कोई अधिकारी तब तक किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत न होगा जब तक कि इंडियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट, १९२६ के अधीन यूनियन की रजिस्ट्री हुए दो वर्ष न हो गये हों तथा यूनियन एक ही व्यवसाय के लिए रजिस्टर्ड न हुआ हो: ऐक्ट संख्या १६, १९२६।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यूनियनों के किसी फेडरेशन का कोई अधिकारी ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जो निर्धारित किये जायं, किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है।" सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ में नई धाराएं ६-न, ६-ध, तथा ६-प का बढ़ाया जाना।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'खंड ६ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६-झ की उपधारा (३) की पंक्ति ४ में शब्द "रजिस्ट्री" के आगे से शब्द "हुये दो वर्ष न हो गये हों तथा यूनियन एक ही व्यवसाय के लिये रजिस्टर्ड न हुआ हो" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "न हो" रख दिये जायं।'

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इस संशोधन का अर्थ जैसा कि शब्दों से ज्ञात है ये शब्द रखना उचित नहीं होगा कि दो वर्ष की अवधि बीत चुकी हो तबही यूनियन मान्य मानी जाये। इस संबंध में काफी विवाद हो चुका है। संशोधन को रख कर उन पदाधिकारियों के कार्य में रोड़े अटकाना होगा जो किसी भी ऐसे न्याय पक्ष को लेकर सरकार के सामने रखना चाहते हों अभी हमारी सरकार की पक्ष की ओर से बताया गया कि दो साल की अवधि यूनियनों के पक्ष में है लेकिन उलटकर मालिकों के पक्ष में नहीं है और वह इसलिये नहीं हो सकती है कि उनकी कोई यूनियनें नहीं है। इस तरह के तर्क इसके जबाव में उचित नहीं समझ में आते। मालिकों की यूनियनें न हों यह सम्भव नहीं है। वह यूनियनें बना सकते हैं और यों तो मरचेंट्स चेम्बर आफ कामर्स और नार्दर्न इंडियन कार्मिशयल असोसियेशंस मौजूद हैं। और क्या उनके लिये अब सम्भव नहीं है कि वे भी अपनी यूनियनें बनावें? अगर व्यवहार हो तो समान रूप से हो। हमारे लिये यह शर्त रखना कि हमारी यूनियनें दो साल की अवधि की ही हों और उनके लिये न होना अनुचित है। उनके लिये भी यही शर्त रखी जाय। एकांगी फैसला हमारे लिये अमान्य होगा। अतः यह दो वर्ष की शर्त न रखी जाय बल्कि रजिस्ट्रेशन के साथ ही यूनियनें मान्य मान ली जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय मोतीलाल जी अवस्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के अभिप्राय से बिलकुल सहमत हूं। उनका अभिप्राय शायद यह है कि दो साल की अवधि समाप्त कर दी जाय लेकिन जो शब्दावली संशोधन की है उससे उनका अभिप्राय पूरा नहीं हो सकता। उसमें सरकार को एक मौका मिल जाता है कि अनरजिस्टर्ड जो यूनियन्स हों वे अपनी पैरवी नहीं कर सकतीं जबकि आज के वर्तमान कानून के अनुसार पांच मजदूर भी यूनियन में न होते हुये भी अपनी मांग को पूरा करा सकते हैं। तो कहीं अगर सरकार ने एक कदम बढ़ाकर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया तो इससे अच्छा परिणाम होनेवाला नहीं है। मैं उनके अभिप्राय का स्वागत करते हुये उनसे प्रार्थना करता हूं कि इससे आगे जो भगवतीसिंह जी विशारद का संशोधन आ रहा है वह उनके अभिप्राय को पूरा करता है इसलिये वे अभी अपने संशोधन को वापस ले लें और उस संशोधन का समर्थन करें तो उनका अभिप्राय पूरा हो जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, नारायणदत्त जी ने मेरा काम दूसरी तरह से हलका कर दिया है और इसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जो सवाल उठाया गया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस २ वर्ष वाली बात के बारे में मैं काफी कह चुका हूं। अब उससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। हां, मैं पुनः इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने इस २ वर्ष वाले क्लाज को केवल इसलिये रखा है कि यूनियनों का जो संगठन है उसमें पैरेलल ट्रेड यूनियनिज्म कम हो और यह मांग हमारी प्रदेशीय सरकार के सामने त्रिदलीय सम्मेलनों में बराबर आती रही है कि स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने के लिये सरकार कुछ करे। हम अपने विचार से समझते हैं कि इससे स्वस्थ परम्परायें पैदा होंगी और इसलिये मैं मोतीलाल जी के संशोधन से सहमत नहीं हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैंने तिवारी जी के तर्क को सुना लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है कि अगर हम भगवतीसिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो यूनियनों को रजिस्टर्ड हो जाना आवश्यक है। इसलिये जैसा मेरा संशोधन है उसको मैं सदन के सामने रखता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं श्रीमन्, इसका विरोध करता हूं और इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ६-ञ की उपधारा (३) की पंक्ति ४ में शब्द 'रजिस्ट्री' के आगे से शब्द 'हुये दो वर्ष न हो गये हों तथा यूनियन एक ही व्यवसाय के लिये रजिस्टर्ड न हुआ हो ' निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द " न हो" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अंस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं भगवतीसिंह विशारद जी से जानना चाहूंगा कि उनका संशोधन लगभग वैसा ही है जैसा मोतीलाल अवस्थी जी ने रखा था । वह गिर गया है । अब वह किस आधार पर मेरी इजाजत उपस्थित करने के लिये चाहेंगे । अगर उनके और मोतीलाल जी के संशोधन में कोई भेद हो तो वे बताने की कृपा करें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--श्रीमन्, जो प्रस्ताव मोतीलाल जी ने रखा था यदि वह गिर गया है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि उनके संशोधन का आशय दूसरा था और मेरे संशोधन का आशय दूसरा है । उसके बिल्कुल विपरीत है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप मेरे संशोधन को लें और इस पर विचार होने दें ।

श्री उपाध्यक्ष--अगर आप का संशोधन मैं ले लूं तो उसके माने यह होंगे कि आप पूरे खंड का विरोध कर रहे हैं । आपका संशोधन तो आ नहीं सकता, हां, आप पूरे खंड का विरोध कर सकते है । मैं इसकी इजाजत दे दूंगा ।

***श्री भगवतीसिंह विशारद**--जी हां, मेरा मतलब यही है । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बहुगुणा जी ने जो तर्क मैंने अपने भाषण में कल प्रस्तुत किये थे, उन में से बहुतों को स्वीकार किया है । एक का तो जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया और कुछ को उन्होंने स्वीकार किया । लेकिन संभवतः अपने पक्ष को कमजोर करने के लिये वह अपनी बात को प्रकाश रूप में नहीं लाये हैं । मैंने जैसा कल कहा था, उसी तरह पर आज भी कहना चाहता हूं कि बंबई में लेबर रिलेशन्स ऐक्ट में जो स्वीकार किया गया था उसके पहले उसे हम अपने यू० पी० में स्वीकार किये थे और हम ने इस सरकार को चैलेंज किया था और इसके द्वारा पालित और पोषित आई० एन० टी० यू० सी० को शुगर इंडस्ट्री के सिलसिले में कहा था कि रैफ्रडम हो । मजदूरों को जिस फेडरेशन पर ज्यादा विश्वास हो उसको मान्यता मिल जाय । लेकिन चूंकि एक जगह हार गये थे इसलिये उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिये अब दूसरी तरह से मजदूरों के बढ़ते हुए आन्दोलन को रोकने की चेष्टा की जा रही है । माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि जो पेंडिंग सूट्स हैं वह वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन इस संशोधन विधेयक में इस धारा के स्वीकार करने के बाद एक अजीब हालत हो जायगी । एक यूनियन को एक मामले में प्रतिनिधित्व मिल जायगा लेकिन उस केस के फैसले के बाद किसी दूसरे केस में उस यूनियन को कोई प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं रहेगा । एक जगह हम उसको मानेंगे और दूसरी जगह नहीं । पांच व्यक्ति किसी भी कारखाने के इकट्ठे हो कर अपने मामले को आगे बढ़ा सकते हैं यह बात कमरे में बतलाने वाली नहीं है । सभी को मालूम है और बहुगुणा जी इस पर अगर अच्छी तरह से प्रकाश डाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

बड़े मनोरंजक ढंग से बहुगुणा जी ने बताया कि यूनियन वधू को किसी न किसी के साथ ब्याह तो करना ही पड़ेगा । मैं भी उसी मनोरंजक ढंग से कहना चाहता हूं कि हम विश्वामित्र बन कर रहना चाहते हैं, हम ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहते हैं, आप क्यों मेनका बन कर हमारी तपस्या को भंग करना चाहते हैं ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--श्रीमन्, मैं इस खंड का विरोध करना चाहता हूं । मुझे दुख है कि माननीय बहुगुणा जी ने अपनी बुद्धि से प्रेरित होकर जो अकाट्य तर्क देने की चेष्टा की उन से मैं प्रभावित न हो सका ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उन्होंने हमको यह बतलाया, बंबई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट का जिक्र करते हुये, कि वहां रिप्रेजेंटेटिव यूनियन्स हैं और सब उनका विरोध कर रहे हैं। जहां तक मैं समझा उन्होंने यही कहा।

श्रीमन्, बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट में और हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में बहुत अन्तर है। वहां पर केवल यूनियन के रिप्रेजेन्टेटिव को ही मान्यता नहीं दी गयी है बल्कि उनको भी मान्यता दी गयी है और यहां पर बहुगुणा जी ने एक का ही नाम लिया है इसलिये बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट की इसके साथ तुलना करना इसके साथ अन्याय करना है। मैं यह जानता हूं कि इस प्रकार से २ वर्ष की धारा ट्रेड यूनियन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिये किसी राज्य ने आज तक पास नहीं की। जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश की सरकार के अलावा अन्य किसी प्रदेश की सरकार ने ऐसी धारा पारित नहीं की है। मद्रास या बम्बई जहां पर भी इस प्रकार के विधान बने हैं वहां पर इस प्रकार का कोई विधान पारित नहीं किया गया। मुझे आश्चर्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रकार के संशोधन को करने की इजाजत प्रांतीय सरकार को कैसे दे दी। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ही इसके लिये दोषी नहीं है बल्कि केंद्रीय सरकार भी उतनी ही दोषी है कि इस प्रकार के संशोधन के लिये उन्होंने इजाजत दी।

नये फेडरेशन के संबंध में या कुछ फेडरेशन जिनको सरकार नियुक्त करेगी उनके लिये नियमावली होगी। उनके लिये जो नियम बनाये जायेंगे वह हमारे सामने आने वाले नहीं है। अभी मुझे मालूम हुआ कि वे सदन के सामने आयेंगे तो इसके लिये उनको धन्यवाद है। लेकिन जो भी नियम बनाये जायेंगे वह सब फेडरेशन के लिये नहीं हो सकते हैं। आई० एन० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० के अलावा भी फेडरेशन हो सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे संघ का ही फेडरेशन नहीं हो सकता है जो इस राज्य तक सीमित हों। जो नये उद्योग धंधों तक ही सीमित हों तो ऐसे प्रगतिशील फेडरेशन भी हो सकते हैं और उन नये फेडरेशन के निर्माण को रोकना मैं उचित नहीं समझता। मैं हिन्द मजदूर सभा को समझ सकता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मजदूर संघ कोई फेडरेशन बनाना चाहता है तो हमको कोई हक नहीं है संविधान के अनुसार कि उनके इस हक़ को छीन सकें। मैं उनके इस अधिकार को मानता हूं। अगर उनका कोई फेडरेशन बनता है तो उसको रोकने का हमें अधिकार नहीं है।

जिस प्रकार से इसमें यह संशोधन सरकार की तरफ लिखा गया है कि यूनियन का कोई पदाधिकारी यूनियन की तरफ से पैरवी नहीं कर सकता है लेकिन यूनियन का कोई प्रतिनिधि पैरवी कर सकता है। यहां केवल अफसर को ही छोड़ा गया है। अगर कोई नई यूनियन भी कहती है कि यह हमारा कोई अफसर नहीं है, मंत्री नहीं है या पदाधिकारी नहीं है वह मेम्बर है तो वह यूनियन की तरफ से प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह आपका संशोधन केवल अफसर को रोकता है, किसी मेम्बर को नहीं रोकता है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मैं नये फेडरेशन को रिप्रेजेंट कराऊंगा और उसके जो मेम्बर हैं उनको अधिकार दिलाऊंगा और वह मेम्बर पैरवी कर लेंगे। मैं ऐसा करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे निरर्थक संशोधन को माननीय मंत्री जी वापस कर लें तो अच्छा होगा।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अच्छा हुआ मैं माननीय नारायणदत्त जी के बाद बोला। जब किसी को भ्रांति हो जाती है तो वह उसको छोड़ती नहीं है। माननीय नारायणदत्त जी ने जो तर्क उठाया उनका उत्तर तो मैं दूंगा लेकिन पहले विशारद जी ने जो कहा उसके संबंध में दो एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने जो दलील पेश की इस धारा के खिलाफ, इसमें फिर वही भावना आती है कि अगर यूनियन मुकदमा नहीं करेगी तो क्या करेगी मैं चाहता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यूनियनों का कार्यक्षेत्र केवल मुक़दमेबाजी ही न रहे। उनके सामने मजदूरों के संगठन के कई क्षेत्र हैं। यूनियन बनने पर हम कोई आपत्ति नहीं करते हैं। कल किसी भाई ने कहा कि यह अवैध घोषित होगा। खैर, हो जायगा तो उनका काम बन जायगा। लेकिन मैं उनको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि यह अवैध घोषित नहीं होगा क्योंकि यह एक स्पेशल एजेंसी या इन्स्ट्रूमेंट है। इसमें हमें अधिकार है पार्टीज का रिप्रेप्रेटेशन रेग्यूलेट करने का। उन्होंने कहा कि वह ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं और स्वयं ही कह दिया कि विश्वामित्र भी नहीं रह सके। तो वह बात ही खत्म हो गई।

नारायणदत्त जी को एक भ्रम हो गया है कि सिर्फ यूनियनों के अधिकारियों के मुकदमों में जाने पर को रोक है और बाको को रोक नहीं है। मेरी राय है कि उन्हें रेस्ट्रिक्टिव क्लाज के साथ इनेबलिंग क्लाज भी पढ़ना चाहिये कि किसको हमने अधिकार दिया है। वह गलतफहमी में न रहें। वह २ साल तक श्रमिक सेवा की दंड बैठक करें, मेहनत का काम करें श्रमिकों में जाकर। अदालतों में जाकर झटपट नेता बनने की नीति ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि वह कोआपरेटिव्ज आफ इंडस्ट्रियल हाउसिंग का काम वह या इधर के कोई भाई शुरू कर दें और फिर देखें कि हम उनकी कितनी सहायता करते हैं। हम उन्हें रुपया देंगे। लेकिन उनको तो शिकायत है कि मुकद्दमेबाजी नहीं हो पाती है। उनको एक शौक पड़ गया है मुकदमेबाजी का और इसी रास्ते पर वह चलना चाहते हैं, पर अगर इस प्रदेश के श्रमिकों की तरक्की करनी है, उनकी भलाई करनी है तो नया रास्ता अपनाना होगा। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग मिलकर मजदूरों को उठाने की चेष्टायें करें इस विधेयक द्वारा यह कोशिश और तेज होगी. क्योंकि जब मुकदमेबाजी का रास्ता अवरुद्ध हो जायगा तो दूसरा रास्ता लोग निकालेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उनके इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि जो इस धारा को निकालने के सिलसिले में है और विश्वास करता हूं कि वह भी अब मेरे तर्कों को सुनने के बाद अपनी आपत्ति वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय रामपाल जी आप बैठ जायं। मैंने इस सदन के एक नियम की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया था कि दायें तरफ से बायें तरफ और बायें से दायें तरफ कोई सदस्य न जायं। आपने नियम का उल्लंघन पहली मर्तबा किया है इसलिये मैं कोई कार्यवाही नहीं करता। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे नियमों का पालन करें।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवतीसिंह विशारद--मैंने खंड ६ में एक और संशोधन दिया था। वह हमारे सामने नहीं आया?

श्री उपाध्यक्ष--आप का संशोधन ३६ घंटे पहले नहीं आया था इसलिये समय के अन्दर न आने के कारण उसको स्वीकृति नहीं दी गई।

खंड ७

७--मूल अधिनियम की धारा ६-द के पश्चात् निम्नांकित नई धाराएं ६-ध से ६-य तक के रूप में जोड़ दिया जाय :--

अविधिक हड़तालों तथा द्वारावरोधों का निषेध।

"६--ध--(१) किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त कोई व्यक्ति :

(क) हड़ताल करने के पूर्व तीस दिन के भीतर मालिक को हड़ताल का नोटिस दिये बिना; अथवा

(ख) ऐसी नोटिस दिये जाने के चौदह दिन के भीतर; अथवा

(ग) ऐसी किसी नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल के दिनांक की समाप्ति के पूर्व; अथवा

(घ) किसी समझौता अधिकारी या बोर्ड के समक्ष समझौते की किसी कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान में तथा ऐसी कार्यवाही की समाप्ति से तीस दिन के उपरान्त तक, यदि वह व्यक्ति उस औद्योगिक झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है; अथवा

(ङ) किसी श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के प्रारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति तक के काल में, यदि वह व्यक्ति उस औद्योगिक झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है; अथवा

(च) ऐसे काल में जबकि कोई समझौता अथवा पंचनिर्णय लागू है तो उस समझौते अथवा पंचनिर्णय के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले पर,

हड़ताल न करेगा।

(२) कोई भी मालिक अपने किसी मजदूर को--

(क) द्वारावरोध करने के पूर्व तीस दिन के भीतर उसे द्वारावरोध की नोटिस दिये बिना; अथवा

(ख) ऐसी नोटिस दिये जाने के चौदह दिन के भीतर, अथवा

(ग) ऐसी किसी नोटिस में निर्दिष्ट द्वारावरोध के दिनांक की समाप्ति के पूर्व; अथवा

(घ) किसी समझौता अधिकारी या बोर्ड के समक्ष समझौते की किसी कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान में तथा ऐसी कार्यवाही की समाप्ति से तीस दिन के उपरान्त तक, यदि वह व्यक्ति उस झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है; अथवा

(ङ) किसी श्रम-न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के प्रारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति तक के काल में, यदि वह मजदूर उस झगड़े से संबंधित है जो उस कार्यवाही का विषय है; अथवा

(च) ऐसे काल में जब कोई समझौता या पंच निर्णय लागू है तो उस समझौते अथवा पंचनिर्णय के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले पर,

द्वारावरोध द्वारा काम पर आने से न रोकेगा।

(३) इस धारा के अधीन हड़ताल या द्वारावरोध (lock-out) की नोटिस उस दशा में आवश्यक न होगी जब कि औद्योगिक संस्था में द्वारावरोध या हड़ताल, जैसी भी दशा हो, पहिले से चल रही हो, किन्तु मालिक ऐसे द्वारावरोध या हड़ताल की सूचना, इस सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी को उस दिन दे देगा जिस दिन हड़ताल या द्वारावरोध घोषित किया जाय।

(४) इस धारा के अधीन दी गयी हड़ताल या द्वारावरोध की प्रत्येक नोटिस में एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट किया जायगा जिसके तीन दिन के भीतर

यदि नोटिस के अनुसार हड़ताल या द्वारावरोध न किया जाय तो नोटिस प्रभावी न रह जायगी और हड़ताल या द्वारावरोध के लिये एक नयी नोटिस फिर देनी होगी।

(५) उप-धारा (१) में उल्लिखित हड़ताल की नोटिस व्यक्तियों की ऐसी संस्था द्वारा ऐसे ढंग से ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दी जायगी जो इस संबंध में नियत किये जायं।

(६) उप-धारा (२) में उल्लिखित द्वारावरोध की नोटिस ऐसी रीति से दी जायगी जो नियत की जाय।

अविधिक हड़तालें तथा द्वारावरोध।

६-न --(१) कोई भी हड़ताल या द्वारावरोध अविधिक होगा यदि वह धारा ६-ध का उल्लंघन कर के आरम्भ या घोषित किया जाय अथवा उस दिनांक के बाद तक जारी रखा जाय जब कि उस हड़ताल या द्वारावरोध से, जैसी भी दशा हो, संबंधित औद्योगिक झगड़े पर कोई बोर्ड विचार करना आरम्भ करे या वह किसी श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास निर्णय के निमित्त अभिदिष्ट किया जाय।

(२) किसी औद्योगिक संस्था में किसी अविधिक द्वारावरोध के फलस्वरूप घोषित की गई हड़ताल या किसी अविधिक हड़ताल के फलस्वरूप घोषित किया गया द्वारावरोध अविधिक न समझा जायगा।

अविधिक हड़तालों या द्वारावरोधों के लिये उभाड़ने या उकासने का निषेध।

६-प--कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को किसी हड़ताल या द्वारावरोध में, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत हो या जो आरम्भ होने पर उनके विपरीत होगा, भाग लेने या उसके अग्रसारण के लिये अन्य प्रकार से कार्य करने में न सहायता देगा, न उभाड़ेगा और न उकसायेगा।"

*श्री भगवतीसिंह विशारद---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६--ध की उपधारा (१) का भाग (च) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रक्खा है उसके सम्बन्ध में श्रम मंत्री जी ने अभी सेंट्रल ऐक्ट का, और भारत सरकार ने जो कानून पेश किया है, उस पर काफी अच्छी तरह से प्रकाश डाला और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से यह कानून पेश हुआ था उससे और पहले किस तरह से ट्रेड यूनियन्स के कार्यकर्ताओं की सम्मिलित बैठक हुई थी, उन लोगों ने यह स्वीकार कर लिया था कि बगैर नोटिस दिये हुए कोई हड़ताल नहीं होगी। जब फेडरेशन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुये थे, वहां विचार हुआ तथा उसकी लाइट में माननीय मंत्री जी यह संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यह बताने का कष्ट करें कि जो चीज आप यहां रख रहे हैं वह सेंट्रल ऐक्ट में कहां है? उन्होंने इस बात की बंदिश कहां लगायी है कि किसी भी कारखाने के मजदूर या मेंबर उस समय तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं जब तक कि पंचनिर्णय लागू है? लेकिन हमारे मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें यह बात और जोड़ दी है कि ऐसे काल में जब कि कोई समझौता या पंचनिर्णय लागू है उस समझौते अथवा पंच निर्णय के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले पर, हड़ताल नहीं करेगा।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि बहुत से मौके ऐसे आते हैं जब कि पंच फैसला होता है और पंच फैसला होने के बाद उसकी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो उन शर्तों को पूरा कराने के लिये सरकार से लिखा पढ़ी होती है, सरकार से कोशिश की जाती है। लेकिन सरकार भी केवल दर्शकमात्र रह कर उन फैसलों को किसी तरह से कार्यान्वित नहीं करवा पाती और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती सिंह विशारद]

उस समय मजदूर के सामने कोई चारा नहीं रह जाता कि जो पंच फैसला हुआ, जिसको मजदूरों ने किसी तरह से उसे अपने पक्ष में करवा लिया, और उसे कार्यान्वित नहीं किया गया तो वह हड़ताल करे। जब सेंट्रल ऐक्ट में इसका कोई प्राविजन नहीं है तो आप क्यों इस तरह का प्राविजन बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जो मेरे विचार से सहमत होंगे और जिस तरह की उदारता भारत सरकार ने दिखलायी है उसी तरह की इजाजत इस खंड के द्वारा भी दे दी जायगी कि पंच निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा हो, तो मजदूरों को हड़ताल करने का हक रहेगा।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आप की अध्यक्षता में मुझे अपने विचार जाहिर करने का यहां मौका मिला। यह जो धारा है और जो अमेंडमेंट है इसका मैं विरोध करता हूं। जहां तक मजदूरों की जिन्दगी का ताल्लुक है, इस देश में मजदूर खुशहाल नहीं हैं। अभी जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था उसी से यह मालूम हुआ कि अभी तक शहरों में ७ प्रतिशत के लगभग मजदूर बेकार हैं और ग्रामों में भी दो-तीन प्रतिशत मजदूर बेकार हैं। उनकी हालत बहुत खराब है, उनको भरपेट खाने को नहीं मिलता, पहनने के लिये कपड़े नहीं मिलते। अगर मजदूर ज्यादा खुश रहेंगे तो वे ज्यादा काम करेंगे। देश के निर्माण में, देश को बनाने में मजदूरों का भी बहुत जबर्दस्त हाथ है। अगर मजदूरों की हालत अच्छी रहेगी तो देश भी आगे तरक्की कर सकता है। यहां कहा गया है कि मजदूर १४ दिन की नोटिस देने पर उसके पहले किसी भी हालत में स्ट्राइक नहीं कर सकता है। लेकिन १४ दिन वाली बात एक अजीब सी है। स्ट्राइक कहीं लीगलाइज होता, उसे कानूनी हक मिला होता तो बात दूसरी होती--"खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती, गरेबां फाड़ता है तंग, जब दीवाना आता है।" जब कोई परेशानी होती है, जब कोई दिक्कत सामने आती है तभी मजदूर स्ट्राइक करने को सोचता है। दुनियां के किसी भी मूवमेंट को देख लीजिये, कोई भी तहरीक देख लीजिये, उसके लिये कहीं भी इजाजत नहीं दी जाती है। सिर्फ बात यह है कि वह तहरीक सही हो, उसका मंशा सही हो, बाज वक्त इमर्जेंसी आती है और उसके अन्दर समझा जाता है कि स्ट्राइक १४ दिन के अन्दर नहीं बल्कि २४ घंटे के अन्दर ही होना चाहिये या एक हफ्ते के अन्दर ही होना चहिये, तो फिर उस वक्त आदमी उस समय की जरूरत को समझ कर ही काम करता है। जब कोई परेशानी होती है तभी स्ट्राइक होती है, ऐसी सूरत में कानून बना कर उसके जरिये पाबन्दी लगाना कि १४ दिन के पहले स्ट्राइक नहीं हो सकती, मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा गलत है। इस तरह से आदमी को अपने ख्यालात का इजहार करने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। यह तो वही हुआ कि--"इंसाफे आरजूए मुद्दा मुश्किल में है, तक रहा हूं मुंह किसी का, बात दिल की दिल में है।" इस तरह से फ्रीडम आफ स्पीच पर भी रोक लगायी जाती है जिसका अख्तियार संविधान के मुताबिक हमको मिला हुआ है। जहां तक स्ट्राइक का सवाल है और जहां तक राय देने का सवाल है वह तो जरूरी चीज है लेकिन यह जो अल्फाज हैं "इन्सटीगेशन" और 'प्रोवोकेशन' यह अल्फाज बड़े पुरमानी और वाइड हैं। अगर मजदूर कोई मामूली सी बात हकबजानिब करते हैं, कानून दुरुस्त कार्रवाई करते हैं उसको भी कहा जा सकता है कि यह इन्सटीगेशन के जुमले में आता है और प्रोवेकेशन है। इस तरीके से तो उनको और उनके नुमाइन्दों को अपने ख्यालात का इजहार करने से भी वंचित रखा जा रहा है। इसलिये मैं पुरजोर अलफाज में इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि ऐसी दफात का इजाफा इसमें न किया जाय।

श्री रामायणराय--उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को मजदूरों का जो सब से बड़ा हथियार है, जो उन का सब से बड़ा हक है और जिसके छीनने की कोशिश हो रही है उसके विषय में स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब कभी मजदूर हड़ताल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता है तो उस की कोई वस्तुगत परिस्थिति होती है, कोई उसकी परेशानी होती है। मान लीजिये कि उनका कोई नेता मारा जाता है, ऐसे समय में आप उनसे कहते हैं कि १५-२० दिन वेट करो, नोटिस दो और जब अधिकार हो जाय तब हड़ताल करो। हड़ताल एक ऐसी सामाजिक क्रिया है जिसको जब चाहे मजदूर नेता या मजदूर संगठन नहीं ला सकते हैं। श्रीमन्, हड़ताल के इस अधिकार को रोकना उचित नहीं है। बार-बार इसकी दलील में कहा गया कि हमारी नियत अच्छी है और हम समाजवाद की ओर लोगों को ले जाना चाहते हैं। इसमें नियत का सवाल नहीं उठता है क्योंकि सामाजिक जीवन में परिणामों से ही हम लोग किसी चीज की माप कर सकते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--समय बहुत थोड़ा है, आप संक्षेप में कहें।

श्री रामायणराय--मैं दो मिनट से अधिक नहीं लूंगा। मैं स्वयं देख रहा हूं कि अब समय कम है। मैं समझता हूं कि मजदूर के हित के खिलाफ यह चीज जायगी इसलिये सरकार इस प्रतिबन्ध को हटा ले। अगर यह न हटाया गया तो मजदूर आन्दोलन की जो जान है वह खत्म हो जायगी। माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान श्रमिकों के कल्याण की ओर है और मेरा ऐसा ख्याल है कि उन की नियत भी खराब नहीं है। लेकिन यह जो संशोधन किया जा रहा है इससे मजदूरों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है। इसलिये मैं इस खंड का विरोध करता हूं।

***श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि विशारद जी ने अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट की दोहाई दी। यदि वह उस ऐक्ट की धारा २० से आगे पढ़ें तो मालूम हो जायगा कि इस विधेयक में हमने बिलकुल उन धाराओं के पैरलल प्राविजन रखें हैं, स्ट्राइक के विषय में, यह कि हड़ताल मामले को पेंडेंसी के जमाने में न हो और एवार्ड के लागू रहने की पीरियड में न हो, जो उसमें वहां है वही बातें यहां इस बिल में हमने बिलकुल वैसे ही यहां रख दी है। यह सारे प्राविजन उस ऐक्ट में मौजूद हैं कि इल्लीगल स्ट्राइक नहीं होगा, जो इन्सटीगेट करने के विरुद्ध प्राविजन है, वह भी उस ऐक्ट में है। वह सेंन्ट्रल ऐक्ट की धारा २२ से २४ तक पढ़ लें। किसी बेंच के पास या बोर्ड में समझौते के लिये कोई मामला जाता है उसमें समझौता हो जाय तो ठीक है लेकिन जब पंच फैसला कोई होय तो वह तो सब को मानना ही होगा, ऐसी स्थिति में जब-जब हड़ताल हुई है तो सरकार ने हड़ताल की नौबत नहीं आने दी है, अगर आती है। तभी हम इसको लागू करते हैं। इसलिये मैं उनके इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६-ध की उपधारा (१) का भाग (च) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब आगे किसी माननीय सदस्य को संशोधन रखने का समय नहीं दिया जायगा क्योंकि ५ बजे तक इसको पास करना है। इसलिये मैं जिन माननीय सदस्यों का नाम लूं और अगर वह पेश करना चाहते हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जायं और जो नहीं पेश करना चाहते हैं वे कृपया न खड़े हों।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६-प निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड ८, ९, १, शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५७ की धारा १६ का संशोधन।

८---उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १६ के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं तथा सदा से बढ़ाये हुये समझे जायं---

"तथा मूल अधिनियम की धारा ६-क के उपबंध ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय बने रहेंगे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५७ की धारा १७ का संशोधन।

९---उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (२) में शब्द "राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रक्खी जायगी" के पश्चात् आने वाले शब्द निकाल दिये जायं।

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त तथा अन्य विषयों की व्यवस्था करने के निमित्त संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ में अतिरिक्त संशोधन करने का विधेयक

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७।

यह इष्टकर है कि यहां पर आगे चलकर प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ को संशोधित किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८, ९ और १, प्रस्तावना, और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५२ मिनट पर सोमवार, २९ जुलाई, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२७ जुलाई, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०---ए० पी०---८५ एल० ए०---१९५७---७९६।